सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग

बलात्कार विधियों के पुनरीक्षण

पर

एक सौ बहत्तरवीं रिपोर्ट

मार्च, 2000

न्यायाधिपति
बी० पी० जीवन रेड्डी
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

डी०ओ०न०6(3) (36) 2000—एल (एलएस)

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110 001.
दूरभाष : 3384475
निवास :
1, जनपथ
नई दिल्ली-110 011
दूरभाष : 3019465

प्रिय श्री जेठमलानी जी,

मैं इस पत्र के साथ बलात्कार विधियों के पुनरीक्षण के बारे में 172वीं रिपोर्ट भेज रहा हूँ।

2. रिट याचिका (दा०) सं० 1997 की 33 में अर्जीदार 'साक्षी' ने, जो कि महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं में रुचि लेने वाला एक संगठन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में प्रयुक्त पद 'मैथुन' की परिभाषा के बारे में निर्देश आदि देने के लिये प्रार्थना की थी।

3. उच्चतम न्यायालय ने 13 जनवरी, 1998 के अपने आदेश द्वारा विधि आयोग को निर्देश दिया कि वह उक्त रिट याचिका में उठाए गये प्रश्नों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करे। आयोग ने 28-7-1998 को एक शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता के बारे में अपनी 156वीं रिपोर्ट में से विस्तारपूर्वक उद्धरण दिये। उक्त रिपोर्ट में तत्कालीन विधि आयोग (14वां विधि आयोग) अर्जीदार के दृष्टिकोण से, कतिपय मामूली बातों के सिवाय, सहमत नहीं था। उच्चतम न्यायालय अर्जीदार द्वारा प्रस्तुत इन विचारों से सहमत था कि 156वीं रिपोर्ट में जो विषय वस्तु थी उसमें उन प्रश्नों पर विशिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया था जो रिट याचिका में उठाए गये थे।

4. माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिये जाने पर, अर्जीदार ने अर्जी में उठाए गये विशिष्ट प्रश्नों की बाबत एक नोट तैयार किया। माननीय न्यायालय ने 9 अगस्त, 1999 के अपने आदेश में आयोग से पुनः विचार करने के लिये कहा। न्यायालय ने यह समीक्षा की कि उन प्रश्नों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता थी। 9 अगस्त के उक्त आदेश में माननीय न्यायालय ने विधि आयोग से निवेदन किया कि वह 'अर्जीदार द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों पर विचार करे और भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने के लिये सिफारिश की जा सकती है या नहीं, इसकी भी परीक्षा करे या कमियों को किसी अन्य प्रकार से दूर करने के बारे में उपाय बताए,।

5. विधि आयोग द्वारा तैयार किए गये टिप्पणों की एक प्रति तत्पश्चात् 'साक्षी' को उसके विचार आमंत्रित करने हुए दंड संहिता या साक्ष्य अधिनियम में प्रक्रिया सम्बन्धी प्रकृति के परिवर्तन करने के सुझाव देने के लिये भेजी गई। तत्पश्चात् कुछ अन्य संगठनों ने भी, अर्थात्, इन्टरवेन्शंस फॉर सपोर्ट, हीलिंग एण्ड अवेअरनेस—आइएफएसएचए, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोशिएशन—एआईडीडब्ल्यूए और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन—एनसीडब्ल्यु, प्रस्तावित सुझावों पर अपने विचार प्रस्तुत किये।

6. इन संगठनों के साथ विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात् आयोग ने धारा 375 में वर्णित अपराध की परिधि में विस्तार करने के लिये तथा इस धारा में से लिंग भेद दूर करने के लिए परिवर्तनों की सिफारिश भी की हैं। धारा 376, 376क से 376घ तक में भी कतिपय अन्य परिवर्तन करने की सिफारिश की है। हमने एक नई धारा 376ङ जोड़ने की सिफारिश भी की है जो अवैध लैंगिक संपर्क की बाबत है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का लोप करने और धारा 509 में दंड में वृद्धि करने की सिफारिश भी की है। प्रक्रिया सम्बन्धी उपबन्धों की कमियों को दूर करने के लिये हमने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 में भी कतिपय परिवर्तन करने की सिफारिश की है।

7. माननीय उच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग के प्रत्युत्तर और सिफारिशों के संबंध में अर्जीदार की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए अपने आदेश दि० 18-2-2000 के द्वारा भेजा था। तदनुसार आयोग ने उन टिप्पणियों पर विचार किया और अपने अतिरिक्त प्रत्युत्तर और सिफारिशें दि० 14-3-2000 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। इस समय जो रिपोर्ट भेजी जा रही हैं उसमें दि० 14-3-2000 के उक्त अतिरिक्त प्रत्युत्तर और सिफारिशें भी सम्मिलित है।

1—56 M. of LJ & CAIC(ND)/2000.

8. वर्तमान रिपोर्ट में अभिरक्षा जन्य बलात्कार तथा नौजवानों के साथ लैंगिक दुरुपयोग के अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं के आलोक में बलात्कार संबंधी विधियों के पुनरीक्षण की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। किसी बालक पर लैंगिक आघात का अपराध उस बालक को एक दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक क्षति पहुँचाता है और इसलिए कठोर उपबन्धों के द्वारा बालकों के साथ लैंगिक दुरुपयोग को रोकना अति आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र कनवैन्शन और विभिन्न संवैधानिक उपबन्धों में भी बालकों की सभी प्रकार के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग से बचाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट का लक्ष्य भी उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

सादर,

भवदीय,
(वी० पी० जीवन रेड्डी)

श्री राम जेठमलानी,
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विषय वस्तु	पृष्ठ सं०
अध्याय एक	भूमिका	1
अध्याय दो	प्रस्तावित उपबन्धों के विषय में आमंत्रित विचार	4
अध्याय तीन	भारतीय दंड संहिता, 1860 में सिफारिश किये गए परिवर्तन	8
अध्याय चार	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सिफारिश किये गए परिवर्तन	14
अध्याय पांच	साक्ष्य अधिनियम, 1982 में सिफारिश किये गए परिवर्तन	23
अध्याय छः	'साक्षी' के प्रकीर्ण सुझाव	27
अध्याय सात	निष्कर्ष	28
उपाबन्ध—क	'साक्षी' द्वारा दाखिल किया गया ता० 3-8-99 का शपथ पत्र	37
उपाबन्ध—ख	साक्षी को 27-8-99 को चर्चा के लिये विधि आयोग द्वारा भेजे गये भा० दं० सं० की सुसंगत धाराओं का संशोधित प्रारूप	44
उपाबन्ध—ग	साक्षी द्वारा दिये गये पत्र की प्रतिलिपि	48
उपाबन्ध—घ	साक्षी, आईएफएसएचए और एआईडीडब्ल्यूए के तारीख 13-9-99 के सुझावों की प्रतिलिपि	55
उपाबन्ध—ङ	राष्ट्रीय महिला आयोग के तारीख 17-9-99 के सुझावों और तारीख 14-10-99 के पत्र संख्यांक जेएस/एनसीडब्ल्यू/एससी/नेटवर्क/99 की प्रतिलिपि	60
उपाबन्ध—च	क्राइम्स ऐक्ट, 1900 (न्यू साउथ वेल्स) की धारा 409ख का उद्धरण और न्यू साउथ वेल्स लॉ कमीशन की 87वीं रिपोर्ट में क्राइम्स ऐक्ट, 1900 (एनएसडब्ल्यू) पुनरीक्षण के विषय में की गई सिफारिशें (नवम्बर, 1998)	63

अध्याय एक

भूमिका

पृष्ठभूमि

1.1. रिट याचिका (दां०) संख्यांक 1997 का 33 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ता० 9 अगस्त, 1999 को किए गए आदेश में विधि आयोग से यह निवेदन किया कि वह अर्जीदार द्वारा उठाये गये प्रश्नों की जांच करें और यह जाँच भी करे कि भा० द० सं० में संशोधन करने अथवा कमियों को दूर करने के लिए कोई अन्य उपाय करने की क्या सम्भावना है।

1.1.1 अर्जीदार 'साक्षी' महिलाओं से सम्बन्धित प्रश्नों में रुचि लेने वाला एक संगठन है, जिसने भारत के उच्चतम न्यायालय में उपरोक्त रिट याचिका दाखिल करके यह प्रार्थना की थी कि न्यायालय (क) भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में वर्णित 'मैथुन' के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रवेश, जैसे—लिंग/योनि प्रवेश, लिंग/मुख प्रवेश, लिंग/मलद्वार प्रवेश, आंगुल/योनि और आंगुल/मलद्वार प्रवेश तथा किसी भी वस्तु का/योनि प्रवेश सम्मिलित हैं, इस बात की घोषणा करे या कोई अन्य समुचित रिट या निदेश प्रदान करे, और (ख) रिट याचिका के प्रत्यर्थियों और उनके सेवकों तथा अभिकर्त्ताओं को ऐसा पारिणामिक रिट, आदेश या निदेश जारी करे कि वे अन्वेषण करने पर सत्य पाए गये सभी मामलों को रजिस्टर करें।

1.1.2. विधि आयोग को रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने 13 जनवरी, 1998 के अपने आदेश द्वारा विधि आयोग को निदेश दिया कि वह उक्त रिट याचिका में उठाये गये प्रश्नों के संबंध में अपने विचार दर्शाये। विधि आयोग ने 25-3-1998 के अपने शपथपत्र में माननीय न्यायालय का ध्यान विधि आयोग की 156 वीं रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रिट याचिका में उठाये गये प्रश्नों और भा० द० सं० के विषय में विचार किया था। किन्तु वह रिपोर्ट संसद् में पेश नहीं की गई थी अतः मामले को कुछ मास के लिये स्थगित करने का निवेदन किया। वह मामला 3 मास के लिये स्थगित कर दिया गया। इस बीच में विधि आयोग की उपरोक्त रिपोर्ट संसद् के दोनों सदनों में रख दी गई। तत्पश्चात्, विधि आयोग ने 28-7-98 का अपना शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें प्रश्नगत समस्या के संबंध में उक्त रिपोर्ट में से अनेक अंशों को विस्तारपूर्वक उद्धृत किया गया। यह कहना पर्याप्त होगा कि तत्कालीन विधि आयोग (14वां विधि आयोग) रिट अर्जीदार के दृष्टिकोण से, मोटी तौर पर, सहमत नहीं था सिवाय उन कतिपय मामूली विषयों की बाबत, जिनका उल्लेख आगे उपयुक्त प्रक्रम पर किया जाएगा। माननीय न्यायालय ने उक्त शपथपत्र पर तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य विभाग द्वार दाखिल किये गये शपथपत्र पर विचार करने के पश्चात् ही 9-8-1999 का उपरोक्त आदेश दिया है।

1.1.3. माननीय न्यायालय के आदेश में रिट अर्जीदार के विद्वान् वकील का यह मंतव्य दर्ज है कि विधि आयोग की 156वीं रिपोर्ट की विषय वस्तु से अर्जीदार परिचित था किन्तु उस रिपोर्ट में उन विशेष प्रश्नों पर चर्चा नहीं की गई थी जो रिट याचिका में उठाये गये थे। अतः अर्जीदार के विद्वान् वकील ने यह निवेदन किया था कि विधि आयोग तथा भारत सरकार उन प्रश्नों पर आगे और विचार करें। न्यायालय उक्त मंतव्य से सहमत थी। न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि विधि आयोग ने 156वीं रिपोर्ट उस समय प्रस्तुत की थी जब उक्त प्रश्न आयोग के विचार के लिये नहीं भेजे गये थे तथा विधि आयोग की उक्त रिपोर्ट में रिट याचिका में उठाये गये प्रश्नों के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया था। उक्त आदेश में यह उल्लेख भी है कि माननीय न्यायालय के सुझाव पर अर्जीदार ने रिट याचिका में वर्णित विशेष प्रश्नों तथा अन्य संबंधित प्रश्नों के संबंध में एक टिप्पण तैयार किया था। न्यायालय ने उसे देखने के पश्चात् ही विधि आयोग से उक्त प्रश्नों पर नये सिरे से परीक्षण करने का निदेश दिया था। 'संक्षिप्त प्रश्न' की एक प्रति तथा उससे संलग्न उपाबन्ध और शपथ-पत्र की प्रति विधि आयोग के सचिव को भेजी गई थी और यह निवेदन किया गया था कि उन्हें विधि आयोग के अध्यक्ष के समक्ष विचारार्थ रखा जाए। आदेश में यह उल्लेख भी किया गया था कि विधि आयोग, यदि उसे ऐसा परामर्श दिया जाये तो, अर्जीदार से, ऐसी रीति में जिसे आयोग उचित समझे, सहायता करने का निवेदन कर सकता था। न्यायालय ने उल्लेख किया कि उन प्रश्नों पर 'गहराई से परीक्षण की आवश्यकता थी'। तद्नुसार वह मामला 3 मास के लिये स्थगित कर दिया गया और यह अपेक्षा की गई कि विधि आयोग उक्त अवधि में माननीय न्यायालय के समक्ष अपने उत्तर प्रस्तुत कर देगा।

1.1.4. माननीय न्यायालय का आदेश विधि आयोग को 19-8-99 को प्राप्त हुआ और अध्यक्ष के समक्ष रखा गया।

1.2. **"संक्षिप्त प्रश्न"** :—अर्जीदार द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 'संक्षिप्त प्रश्न', जिन्हें विचार के लिए विधि आयोग को भेजा गया है, तीन भागों में विभाजित हैं। (उपाबन्ध क) भाग 1 का शीर्षक 'विधि आयोग और भारत सरकार के

विचारार्थ प्रस्तुत संक्षिप्त प्रश्न' है । भाग 2 का शीर्षक 'विद्यमान कमियां' है और भाग 3 का शीर्षक 'भारतीय दण्ड संहिता के संशोधन के सुझाव' है । हम उक्त तीनों भागों में दिये गये मंतव्यों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं ।

1.2.1. भाग 1 : विधि आयोग और भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत संक्षिप्त प्रश्न—(1) बालकों के साथ लैंगिक दुराचार की अनेकों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या यह उचित नहीं होगा कि भा० दं० सं० की धारा 375 के स्पष्टीकरण में दिये गये 'प्रवेशन' पद के अर्थ में उन सभी प्रकार के प्रवेशों को सम्मिलित किया जाये, जैसे—लिंग/योनि प्रवेश, लिंग/मुख प्रवेश, लिंग/मलद्वार प्रवेश, आंगुल/योनि और आंगुल/मलद्वार प्रवेश तथा किसी भी वस्तु का/योनि प्रवेश । धारा 375 के स्पष्टीकरण में 'प्रवेशन' की सीमित व्याख्या के कारण धारा 376(2)(च) में निहित प्रयोजन और उद्देश्य नष्ट हो जाता है ।

(2) क्या यह गलत नहीं है कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ प्रवेशन के दुराचार को भा०दं०सं० की धारा 377 के अंतर्गत अप्राकृतिक अपराध के रूप में अथवा धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने के अपराध के रूप में इस आधार पर वर्गीकृत किया जाए कि प्रवेशन किस 'प्रकार' का था और इस पर गौर न किया जाये कि उसका बालक पर क्या 'प्रभाव' पड़ा ।

(3) क्या यह गलत नहीं है कि ऐसे बालक के साथ असहमतिपूर्ण प्रवेशन को भा०दं०सं० की धारा 377 के अधीन अपराध के रूप में माना जाना इस आधार पर जारी रखा जाये कि ऐसा प्रवेशन सहमतिपूर्ण प्रवेशन (जैसे कि सहमतिपूर्वक समान लैंगिक मैथुन) के समान है, जहां सहमति देने वाले पक्षकार को दुष्प्रेरक के रूप में अथवा अन्यथा उत्तरदायी माना जा सकता है ।

1.2.2. भाग 1 के साथ संलग्न 'उपाबन्ध क' में तीन टिप्पणियां हैं, जिनका हम क्रम से उल्लेख कर रहे हैं :

टिप्पण 1 : धारा 375 और 376 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 'बलात्कार के अपराध में आवश्यक लैंगिक दुराचार गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है' । दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार को ऐसे कठोर कारावास से दंडनीय बनाया गया है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो जुर्माने के अतिरिक्त आजीवन कारावास से दंडनीय हो सकता है । ऐसी स्थिति में प्रवेशन के अर्थ में ऐसा विस्तार करना उचित होगा ताकि उसमें न केवल योनि प्रवेश सम्मिलित हो जाये बल्कि मलद्वार और मुख प्रवेश तथा शरीर के किसी भी अंग का या किसी अन्य वस्तु का प्रवेश भी आ जाये ।

टिप्पण 2 : बालकों के साथ लैंगिक दुराचार के अधिकांश मामलों में लैंगिक/योनि प्रवेश से भिन्न प्रवेश के उदाहरण मिलते हैं । ऐसा प्रवेशन बालक पर दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण होता है । ऐसी दशा में, प्रवेशन का सीमित अर्थ देना अपर्याप्त साबित हो सकता है ।

टिप्पण 3 (क) : विधि आयोग की 156वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि लैंगिक/मुख प्रवेश और लैंगिक/मलद्वार प्रवेश को भा०द०सं० की धारा 377 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाये और आंगुल प्रवेश और किसी अन्य वस्तु का योनि या मलद्वार में प्रवेश को धारा 354 के अंतर्गत सम्मिलित करना और उसके लिये कठोर दंड का उपबंध करना उचित होगा । इस सिफारिश पर विचार की आवश्यकता है । इस सीमित दृष्टिकोण के कारण बालकों के साथ दुराचार के विभिन्न रूपों के छूट जाने की सम्भावना है तथा एक बात और भी है कि बालकों के साथ लैंगिक दुराचार प्रायः उनके जाने हुए व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है । वास्तव में बलात्कार का वास्तविक उद्देश्य स्त्री को लैंगिक दृष्टि से अपमानित करना या उसका शील भंग या नीचा दिखाना होता है । यह स्त्री तथा बालक की लैंगिक विशुद्धता और स्वनियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अतः विधि आयोग की उक्त सिफारिश से दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 में अंतर्निहित उद्देश्य, जिसके द्वारा उक्त धारा 376 की उपधारा (2) और उसका खण्ड (च) अंतःस्थापित किये गये थे, नष्ट हो जाता है । उक्त सिफारिश में इस तथ्य की भी अनदेखी की गई है कि कोमल आयु की बालिका उस अंतर की मात्रा में भेद नहीं कर सकती है जिस मात्रा में उसका योनि प्रवेशन हुआ है । उपरोक्त विचार बिन्दु को स्पष्ट करने के लिये तत्पश्चात् कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं ।

टिप्पण 3 (ख) : इस टिप्पण में अर्जीदार ने टिप्पण 3 (ख) में उल्लिखित उदाहरणों के प्रकाश में यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि विधि आयोग की 156वीं रिपोर्ट पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है ।

1.3. भाग 2 : विद्यमान कमियां—इस भाग के उपाबन्ध (क) के परिशिष्ट (ख) में ('साक्षी' के मंतव्यों की एक प्रति, जिसमें परिशिष्ट (ख) भी है, इसके साथ संलग्न है) विभिन्न उदाहरण देकर अर्जीदार ने यह तर्क दिया है कि वे उदाहरण बलात्कार का अपराध गठित नहीं करते हैं और सम्भवतः धारा 377 के अंतर्गत अप्राकृतिक अपराध अथवा धारा 354 के अधीन स्त्री की लज्जा भंग का अपराध भी, विद्यमान विधि के कारण, गठित नहीं करते हैं । अधिक से अधिक वे आघात या आपराधिक बल प्रयोग के सीमित रूप हो सकते हैं यद्यपि उक्त सभी उदाहरण गंभीर प्रकृति के तथा अत्यधिक आंदोलित करने वाले हैं । अतः यह आवश्यक है कि इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाए और 'लैंगिक हमला' का अपराध सूक्ष्मता से परिभाषित किया जाए और उसकी परिधि का उल्लेख किया जाए ।

भाग 3 : भारतीय दंड संहिता में संशोधन के सुझाव : इस भाग में अर्जीदार द्वारा प्रस्तावित कतिपय संशोधनों का वर्णन है । यह कहना पर्याप्त है कि इन संशोधनों के द्वारा 'बलात्कार' या 'बलात्संग' की परिभाषा के स्थान पर 'लैंगिक हमला' की परिभाषा को रखने का तथा लिंग भेद दूर करने का उद्देश्य है । अपराध की परिधि में विस्तार करने का भी उद्देश्य है । 'सहमति' शब्द की परिभाषा देने का भी आशय है । एक नई धारा 375 के सृजित करने का उद्देश्य भी है, जिसका शीर्षक होगा 'गुरुतर लैंगिक हमला' । इस नये अपराध में धारा 376 की उपधारा (2) तथा धारा 376क से लेकर 376ङ तक की धाराओं के अधीन वर्गीकृत अपराधों का सम्मिश्रण करने का आशय है ।

अध्याय दो

प्रस्तावित उपबन्धों के विषय में आमंत्रित विचार

2.1. संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन तथा संवैधानिक उपबन्ध :— बालकों के साथ दुराचार के विश्व भर में हुए विभिन्न मामलों से मानव मात्र में गम्भीर चिंता व्याप्त हो गई है। बालक अधिकार कन्वेंशन (20 नवम्बर, 1989) के अनुच्छेद 34 में सदस्य राज्यों को आदेश दिया गया है कि वे बालकों की सभी प्रकार के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुराचार से रक्षा करें। इन प्रयोजनों के लिए राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे निम्नलिखित को रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करें :—

(क) किसी अवैध लैंगिक कार्य में शामिल होने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित करना या बलपूर्वक लगाना;

(ख) बालक का वैश्यावृत्ति के लिए अथवा अवैध लैंगिक कार्यों के लिए शोषणपूर्ण प्रयोग;

(ग) बालक का लैंगिक चित्रांकन या अन्य सामग्री के लिये शोषणपूर्ण प्रयोग।

2.1.1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(च) में तथा राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात की अपेक्षा करता है कि बाल्यावस्था और युवावस्था का शोषण से बचाव हो तथा चारित्रिक और तात्विक रूप से परित्याग से बचाव हो। अतः बालक पर लैंगिक दुरुपयोग या लैंगिक हमले से संबंधित विद्यमान उपबन्धों को सख्त करने की आवश्यकता है।

2.2. विधि आयोग के प्रस्तावों का प्रारूप :— अर्जीदार द्वारा प्रस्तुत 'संक्षिप्त प्रश्नों' पर विचार करने के पश्चात् तथा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में और कतिपय पश्चिमी देशों में प्रवृत्त कानूनों पर दृष्टिपात करने के पश्चात् विधि आयोग ने एक प्रारूप (ख) तैयार किया है जिसकी कुछ नई धारायें प्रस्तावित हैं, अर्थात्, धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ जो कि विद्यमान धारा 375 से लेकर 376घ के स्थान पर प्रस्तावित हैं और एक नई धारा, अर्थात् धारा 376ङ का प्रस्ताव भी है। इन नई धाराओं का मूल प्रयोजन धारा 375 के अंतर्गत 'बलात्कार के अपराध' के स्थान पर 'लैंगिक हमला' के अपराध को रखने का है जिसमें योनि, गुदा या मूलमार्ग में, चाहे शरीर के किसी भाग या किसी अन्य वस्तु के प्रवेशन को सम्मिलित किया गया है। तदनुसार धारा 376 में धारा 375 के परिवर्तन के आलोक में, में उपांतरण किया गया है। धारा 376क, 376ख, 376ग, 376घ को तात्विक रूप से बनाये रखा गया है सिवाए इसके कि उन्हें धारा 375 के अंतर्गत अपराध में किये गये परिवर्तनों और दंड के बारे में कुछ परिवर्तनों के अनुरूप बनाया गया है। एक नया अपराध, अर्थात् धारा 376ङ, जिसका शीर्षक 'अवैध लैंगिक संपर्क' है, सृजित करने का आशय है। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती उपबन्धों के आलोक में अनावश्यक होने के कारण धारा 377 को समाप्त करने का प्रस्ताव है। भा० दं० सं० की धारा 509 में भी संशोधन करने का विचार है जिससे कि वहाँ अधिक दंड की व्यवस्था की जाये जहाँ उक्त धारा में वर्णित अपराध लैंगिक उद्देश्य से किया जाता है।

2.2.1. आमंत्रित विचार :— उक्त प्रारूप की एक प्रति दि० 27-8-99 को साक्षी को भेजी गई थी और उसे दि० 13-9-99 को विचार-विमर्श के लिये आमंत्रित किया गया था। यह संकेत दिया गया था कि ऐसा विचार-विमर्श न केवल विधि आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप के संबंध में होगा बल्कि साक्षी अपने किन्हीं सुझावों और विचारों को प्रस्तुत करने के लिये भी स्वतंत्र होगा तथा साक्षी अन्य महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को भी विचार-विमर्श के लिये अपने साथ ला सकता था। तदनुसार, तीन व्यक्ति, अर्थात्, श्रीमती वेना कपूर (साक्षी की निदेशक), श्रीमती जसजीत पुरेवाल (आईएफएसएचए की निदेशक) और श्रीमती कीर्ति सिंह (एआईडीडब्ल्यूए) ने अपने-अपने संगठनों की ओर से विचार-विमर्श में भाग लिया। तीनों ही संगठनों ने अपने सुझाव लिखित में भी प्रस्तुत किये जो कि साक्षी द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल किये गये सुझावों के अतिरिक्त हैं।

हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि इसमें इसके पश्चात् हमने जहां भी 'साक्षी' का उल्लेख किया है वहाँ उसका अर्थ केवल साक्षी से नहीं है बल्कि दोनों अन्य संगठनों, अर्थात् आईएफएसएचए और एआईडीडब्ल्यूए से भी है और उनके अतिरिक्त एन सी डब्ल्यू से भी है जिसे यहां सम्मिलित किये गये सुझावों पर सुना गया था।

2.3. भा० दं० सं० के उपबन्धों के बारे में साक्षी के विचार :— सुनवाई के पहले दिन (दि० 13-9-99), उक्त तीनों महिलाओं ने विधि आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप की यह कह कर प्रशंसा की कि जहां इस विषय पर एक तात्विक कदम था और उनके

अनेक विचारों की पूर्ति करता था। एक लम्बे विचार-विमर्श के पश्चात् उक्त महिलाओं ने उक्त प्रारूप में निम्नलिखित परिवर्तनों की सलाह दी —

(क) हमला किये गये व्यक्ति की आयु जिसका उल्लेख धारा 375 के छठे खण्ड में है और धारा 375 के स्पष्टीकरण (2) में और धारा 376 (1) में भी है (जहां पत्नी की आयु का उल्लेख है)—16 वर्ष कर दी जानी चाहिये। उक्त आयु को 18 वर्ष करना उचित नहीं होगा।

(ख) इस आशय का एक उपबन्ध जोड़ा जाना चाहिये कि यदि हमला किया गया व्यक्ति अपनी आयु बताता है तो न्यायालय को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के अनुरूप उपबन्ध करने का सुझाव दिया जाए।

(ग) धारा 375 में लैंगिक हमले की परिभाषा में ऐसा स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये कि प्रवेशन का अर्थ किसी भी मात्रा तक प्रवेशन से होगा क्योंकि बालकों की दशा में कभी भी पूरा प्रवेशन नहीं होता है।

(घ) प्रारूपित धारा 375 के स्पष्टीकरण (2) को हटा दिया जाना चाहिये (जिसमें कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन, जिस पत्नी की आयु 15 से कम नहीं है, लैंगिक हमला नहीं माना जाएगा) किसी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बलपूर्वक मैथुन को भी इसी प्रकार से अपराध माना जाना चाहिए जिस प्रकार से किसी पति द्वारा पत्नी पर की गई शारीरिक हिंसा अपराध मानी जाती है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए उक्त महिलाओं ने यह बात कही कि विधि आयोग के प्रारूप में दी गई धारा 376(1) में से 'जहां तक कि यह व्यक्ति जिस पर लैंगिक हमला किया गया है उसकी अपनी पत्नी नहीं है और 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है वहां अपराधी किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा' [विद्यमान धारा 376 (1) की स्वीकृति] को हटा दिया जाना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर उक्त महिलाओं ने विचार रखा कि धारा 376क को भी हटा देना चाहिये।

(ङ) प्रारूप (आयोग का प्रारूप) की धारा 376(1) के प्रथम परंतुक में आने वाले शब्दों 'पिता, पितामह या भाई' के स्थान पर 'कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति की तुलना में न्यास हैसियत में है' शब्द रखे जाने चाहिए एवं उसके साथ एक स्पष्टीकरण और जोड़ा जाना चाहिए जिसमें यह उल्लेख रहे कि उक्त पद के अंतर्गत पिता/सौतेला पिता, भाई/सौतेला भाई, शिक्षक, अनुदेशक, संरक्षक और तत्समान व्यक्ति भी आते हैं।

(च) सहमति की परिभाषा दी जानी चाहिए जिसका अर्थ 'अप्रत्याहरणीय स्वैच्छिक सहमति' हो।

2.3.1. इस अध्याय के पूर्वपैरा 2.2.1 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा, बैठक की पहली तारीख पर, दिये गये टिप्पण की एक प्रति उपाबन्ध—ग पर है।

2.4. दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के बारे में 'साक्षी' द्वारा प्रस्तुत विचार :— पहले दिए हुए विचार विमर्श के अंत में ऊपर के पैरा में उल्लिखित व्यक्तियों को यह इंगित किया गया कि यदि वे दंड प्रक्रिया संहिता अथवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से किसी में भी प्रक्रिया संबंधी किन्हीं परिवर्तनों का सुझाव देना चाहते हों तो वे अगली तारीख तक, अर्थात्, 17 सितम्बर 1999 तक, ऐसे सुझाव भेज सकते हैं। यद्यपि 'संक्षिप्त प्रश्नों' में प्रक्रिया संबंधी विधियों में किन्हीं परिवर्तनों का उल्लेख नहीं किया गया था (और वे केवल भारतीय दंड संहिता में संशोधन तक सीमित थे) हमारी यह राय थी कि जब तक दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों में भी कतिपय परिवर्तन साथ-साथ नहीं किये जाते तब तक भारतीय दंड संहिता की मूल विधि में परिवर्तन करने का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसी कारण से हमने साक्षी को सुझाव दिया कि वह तात्विक विधियों में परिवर्तन करने में निहित प्रयोजन को प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया संबंधी विधियों में भी संशोधन करने के सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकती थीं। तदनुसार साक्षी ने न केवल दंड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में बल्कि भारतीय दंड संहिता में भी संशोधन करने का प्रस्ताव करते हुए 14 सुझाव रखे। उपाबन्ध-छ। साक्षी द्वारा सुझाए गये प्रक्रिया संबंधी संशोधन निम्नलिखित प्रकार से है :—

(1) विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि जहां 12 वर्ष से कम आयु की शिकार लड़की का वक्तव्य दर्ज किया जाता है वहां यह कार्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा स्त्रियों या बालकों से हितबद्ध किसी संगठन की किसी महिला द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। उक्त सिफारिश को साक्षी के टिप्पण में दर्शाये गये कतिपय परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की उपधारा (1) के वर्तमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखना चाहिए :

"परन्तु किसी ऐसे पुरुष से जिसकी आयु 16 वर्ष से कम हो अथवा किसी स्त्री से उसके घर या उसके पसंद के किसी स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी"।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में एक नई उपधारा, अर्थात्, उपधारा (6) इस आशय की जोड़ी जानी चाहिये कि किसी ऐसे पुरूष का, जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, अथवा किसी महिला का, जांच के दौरान कोई वक्तव्य केवल उसके संबंधी मित्र या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में, जो ऐसे पुरुष या ऐसी महिला की पसंद का हो, दर्ज किया जाना चाहिए।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा, अर्थात्, 164क जोड़ी जानी चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि जैसे ही किसी पुलिस वाले को लैंगिक हमले के किसी मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है, वह ऐसे व्यक्ति की (जिस पर लैंगिक हमला होने का अभिकथन है) किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा परीक्षा कराई जानी चाहिए और ऐसा चिकित्सा व्यवसायी परीक्षा करने के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें विनिर्दिष्ट ब्यौरे होंगे। यह प्रस्ताव विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिश ही है जिसमें कुछ मामूली परिवर्तन किये गये हैं ।

(5) विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में उपधाराएं (1क), (1ख), (1ग), और (1घ), आवश्यक परिवर्तनों के साथ जोड़ी जानी चाहिएं ।

(6) लैंगिक हमले के दोषी व्यक्ति को जमानत देते समय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों में से एक शर्त यह होनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति हमले के शिकार व्यक्ति के निकट नहीं आयेगा।

(7) लैंगिक हमले के मामले में, लैंगिक हमले के शिकार व्यक्ति के सामान्य जीवन में दांडिक न्याय प्रक्रिया द्वारा या उसके कारण से कोई अवधान या व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए ।

(8) लैंगिक अपराध का अन्वेषण और विचारण समयबद्ध होना चाहिए और छह मास के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(9) 'सामाजिक कार्यकर्ता' पद की परिभाषा इस प्रकार की जानी चाहिए जिसका अर्थ ऐसी महिला से हो जो स्त्रियों अथवा बालकों में हितबद्ध है या उनके हित के लिए कार्य करती है तथा जो स्त्रियों और बालकों के प्रति हिंसा की समस्याओं से परिचित है ।

(10)(क) साक्ष्य अधिनियम में इस आशय की एक नई धारा 114ख सम्मिलित की जानी चाहिए कि जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 376क से लेकर 376घ के अंतर्गत गुरुतर लैंगिक हमले के अभियोजन में यह प्रश्न उठता है कि ऐसे हमले के शिकार व्यक्ति ने उसके लिये सहमति दी थी या नहीं और जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष यह कथन करता है कि उसने ऐसी सहमति नहीं दी थी तो न्यायालय को यह अभिकल्पना करनी चाहिए कि ऐसा ही था।

(ख) साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 का खण्ड (4) हटा दिया जाना चाहिए (जो बलात्कार अथवा बलात्कार के प्रयास के दोषी व्यक्ति को यह साबित करने की अनुमति देता है कि अभियोजक स्त्री सामान्यतया चरित्रहीन थी)।

(ग) साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में एक और खण्ड, अर्थात्, खण्ड (च) जोड़ा जाना चाहिए जिसमें साफ तौर पर यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि लैंगिक हमले की बाबत किसी प्राभियोजन में हमला ग्रस्त व्यक्ति से जिरह में उसके पूर्व लैंगिक इतिहास, चरित्र और चाल-चलन के बारे में कोई प्रश्न पूछने या ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो सहमति को प्रमाणित करने के लिए हो अथवा अन्यथा ।

(घ) लैंगिक हमले के मामले में चिकित्सा रिपोर्ट का अनस्तित्व परिवादी या हमलाग्रस्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं होगा ।

(11) दंड प्रक्रिया संहिता में या साक्ष्य अधिनियम में इस आशय का एक उपबन्ध होना चाहिए कि ऐसे अवयस्क व्यक्ति की, जिस पर लैंगिक हमला हुआ है, अपराधी की उपस्थिति में गवाही लेने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे अवयस्क व्यक्ति को निश्चित रूप से पीड़ा पहुंचेगी । ऐसे कदम भी उठाए जाने चाहिए जिससे कि ऐसा उपयुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाया जाए जिसमें कि बालक पुनः स्वस्थ हो सके।

(12) लैंगिक हमले के शिकार बालक की गवाही उसके किसी मित्र, रिश्तेदार या ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में, जिसपर अवयस्क का विश्वास हो, न्यायाधीश/मैजिस्ट्रेट द्वारा यथाशीघ्र अवसर पर दर्ज की जानी चाहिए। उपरोक्त सुझाव के समुचित क्रियान्वयन के लिए वीडियो टेप/सर्किट टेलीविजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बालक को जिरह की दशा में, प्रश्न न्यायाधीश को सौंपे जाने चाहिए ताकि वह उन प्रश्नों को अवयस्क से पूछ सके। अवयस्क की गवाही को लेखबद्ध करते समय उचित विराम दिए जाने चाहिए ताकि अवयस्क परेशानी का अनुभव न करे।

(13) लैंगिक हमले के सभी मामलों का विचारण विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके न्यायाधीश, प्राभियोजक और परामर्शदाता 'लैंगिक हमले की समस्याओं के बारे में विशेष रूप से प्रशिक्षित/भावना प्रधान व्यक्ति होने चाहिए'।

(14) भा. दं. सं. की धारा 166 में समुचित संशोधन करके एक नया अपराध सृजित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा किसी लोक सेवक के लिए विधि के ऐसे निदेश का अननुपालन अपराध होगा जो किसी अवयस्क/स्त्री को उसकी पसंद के स्थान

से भिन्न किसी स्थान पर बुलाने का प्रतिषेध करता है तथा जो ऐसे लोक सेवक के लिए अपराध है जो विधि के ऐसे किसी निदेश का अननुपालन करता है जो उस रीति के बारे में है जिसमें अवयस्क से संबंधित अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

2.3.2. 'साक्षी' के सुझावों के बारे में विचार-विमर्श :— ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सुझाव पर आयोग ने, ऊपर पैरा 2.2.1 में उल्लिखित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन महिलाओं की उपस्थिति में, विधि आयोग की 84वीं तथा 154वीं रिपोर्ट के आलोक में, विचार-विमर्श किया । उपरोक्त सुझावों में से कुछ से हम सहमत हैं (जैसा कि आगे के अध्यायों की सिफारिशों से स्पष्ट हो जाएगा) किन्तु हम उक्त सभी सिफारिशों से सहमत होने में असमर्थ है।

2.5. राष्ट्रीय महिला आयोग (एन० सी० डब्ल्यू०) से आमंत्रित विचार :— विधि आयोग यह अभिलिखित करना चाहता है कि अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पूर्व आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी एक पत्र भेजा था जिसके साथ (विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया) ऊपर उल्लिखित प्रारूप (उपाबन्ध-ख) था और उन्हें 16-8-99 को पधारने तथा चर्चा करने का निमंत्रण दिया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी संयुक्त सचिव श्रीमती लीना मेहेंदले को भेजा था। विधि आयोग की एक सदस्या न्यायाधिपति श्रीमती सीता सेठ ने उक्त संयुक्त सचिव को सुना और उनसे अपने विचार/सुझाव लिखित में देने के लिए कहा। तदनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने सुझाव लिखित में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से भेजे । उक्त प्रस्तावों की एक प्रति संलग्न है (उपाबन्ध-ङ) ।

अध्याय तीन

भारतीय दंड संहिता, 1860 में सिफारिश किये गये परिवर्तन

3.1. 'बलात्संग' की परिभाषा के स्थान पर 'लैंगिक हमला' की परिभाषा का प्रतिस्थापन :— न केवल स्त्रियां अपितु नौजवान लड़के भी दिन पर दिन बलपूर्वक लैंगिक हमलों का शिकार हो रहे हैं। बलपूर्वक किये गये लैंगिक हमले से लड़के को भी उससे कम पीड़ा और मनोवैज्ञानिक क्षति नहीं होती, जितनी कि किसी लड़की को ऐसे अपराध के कारण होती है। लड़के और लड़कियां, दोनों ही गुदा मैथुन का शिकार हो रहे हैं। कुछ समाजसेवियों के अनुसार, जैसे — कु० वीला बारसे के अनुसार, कुछ पर्यटन केन्द्रों पर, जैसे कि गोवा में, जवान लड़कियों और लड़कों को नियमित रूप से सभी प्रकार के लैंगिक कार्यों और कुकर्मों के लिये प्रयोग किया जा रहा है—मुख्य रूप से विदेशी पर्यटकों के आमोद के लिये। साक्षी ने भी धारा 375 के अंतर्गत अपराध की परिधि में विस्तार करने की और उसको महिलाओं और पुरुषों, दोनों पर समान रूप से लागू करने की सिफारिश की है। कुछ पश्चिमी देश ऐसा कर भी चुके हैं। (लैंगिक हमला) को इस नई परिभाषा के अधीन न केवल लैंगिक प्रवेशन को सम्मिलित करना आवश्यक है अपितु शरीर के किसी अन्य भाग का (जैसे—अंगुल या अंगूठे का प्रवेशन) अथवा किसी अन्य वस्तु का प्रवेशन सम्मिलित करना आवश्यक है। हमने धारा 375 के स्पष्टीकरण को भी प्रतिस्थापित किया है और कहा है कि किसी भी मात्रा में प्रवेशन इस धारा के प्रयोजन के लिये प्रवेशन माना जाएगा। यह उपबन्ध इस कारण से किया गया है कि बालक की दशा में, शारीरिक कार्यों से, प्रवेशन शायद ही कभी पूर्ण होता हो। जहां तक कि अपवाद का संबंध है, हमने विद्यमान अपवाद को केवल आयु से संबंधित परिवर्तन के साथ बनाए रखा है। हमने 'पत्नी' की आयु को बढ़ा कर 15 से 16 कर दिया है। छठें खण्ड में निर्दिष्ट लैंगिक हमले के शिकार व्यक्ति की आयु को 15 से बढ़ा कर 16 कर दिया गया है।

3.1.1. हम यह उल्लेख भी करना चाहते हैं कि इस धारा में परिवर्तन करते समय, जहां तक संभव हो सका है, हमने विद्यमान उपबंधों को बनाए रखा है। इसका कारण यह है कि इन उपबन्धों के निर्वचन और व्याख्याएं न्यायालयों के निर्णयों में हो चुकी हैं अतः इन उपबन्धों को बनाए रखना नये पदों और नये शब्दों का प्रयोग करने से बेहतर है। धारा 375 के खण्ड (क) से लेकर खण्ड (ङ) का प्रारूप तैयार करते समय हमने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की दण्ड विधि से प्रेरणा ली है।

3.1.2. भा० दं० सं० की विद्यमान धारा 375 के प्रतिस्थापन की सिफारिश:—हम तदनुसार स्पष्ट करते हैं कि विद्यमान धारा 375 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए :—

"375. लैंगिक हमला : लैंगिक हमले से, निम्नलिखित छः भांति की परिस्थितियों में,—

(क) किसी व्यक्ति की योनि (जिस पद के अंतर्गत लाबिया मेजोरा भी है), गुदा या मूत्राशय में—

(1) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का, या

(2) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साधित किसी वस्तु का, ऐसी दशा के सिवाए प्रवेशन, जहां ऐसा प्रवेशन उचित शारीरिक स्वच्छता या चिकित्सा प्रयोजनों के लिये किया जाता है;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को ऐसे साधित करना, जिससे कि अपराधी की योनि (जिसके अंतर्गत लाबिया मेजोरा भी है), गुदा या मूत्राशय में अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेशन हो;

(ग) किसी व्यक्ति के लिंग के किसी भाग का किसी अन्य व्यक्ति के मुख में प्रवेश;

(घ) कनीलिंगस या फेलाशियों में निमग्नता; या

(ङ) ऊपर के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में यथा परिभाषित लैंगिक हमले को जारी रखना।

छः भांति की परिस्थितियां निम्नलिखित हैं—

पहला—अन्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा—अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना।

तीसरा—अन्य व्यक्ति की सम्मति से, जब उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर प्राप्त की गई है।

चौथा—जहां अन्य व्यक्ति स्त्री है, वहां उसकी सम्मति से, जबकि वह पुरुष जानता है कि वह उस अन्य व्यक्ति का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिये दी है कि वह विश्वास करती है कि अपराधी ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवां—उस अन्य व्यक्ति की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्त के कारण या अपराधी द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देता है या देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठा—अन्य व्यक्ति की सम्मति या बिना सम्मति के जब ऐसा अन्य व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिये, किसी भी मात्रा में प्रवेशन प्रवेशन है।

अपवाद : किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन लैंगिक हमला नहीं है, यदि पत्नी 16 वर्ष से कम आयु की नहीं है।"

3.1.2.1. साक्षी के प्रतिनिधि चाहते थे कि हम अपवाद को हटाने की सिफारिश करें किन्तु हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ है। उनका कारण इस प्रकार से है—जहां पति अपनी पत्नी को कोई शारीरिक क्षति पहुंचाता है, वहां वह उपयुक्त अपराध के लिये दण्डनीय है और यह तथ्य कि वह ऐसी स्त्री का पति है, कोई ऐसी असम्य परिस्थिति नहीं है, जिसे विधि को मान्यता प्राप्त हो; यदि ऐसा है, तो कोई कारण नहीं है कि जहां पत्नी की आयु 15-16 वर्ष से अधिक है, वहां बलात्संग अथवा लैंगिक हमले के अपराध के मामले में छूट क्यों दी जाए। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इस अपवाद को हटाने की सिफारिश की जाये क्योंकि इसका अर्थ वैवाहिक संबंधों में अत्यधिक व्यवधान डालना होगा।

3.2. धारा 376 का उपान्तरण :—जहां तक प्रस्तावित धारा 376 का संबंध है, हम दो के सिवाय किन्हीं अन्य तात्विक परिवर्तनों का सुझाव नहीं दे रहे हैं और इस धारा की भाषा को धारा 375 में किये गये परिवर्तन के अनुरूप बनाने के लिये ग्रहण कर रहे हैं। न्यायालय के समक्ष जो उदाहरण आ रहे हैं तथा साक्षी द्वारा तैयार किये गये टिप्पण में जिन उदाहरणों का उल्लेख है, उनके प्रकाश में हमने उप धारा (1) के परन्तुक में ऐसा कुछ जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें यह उपबन्ध होगा कि जहां लैंगिक हमला पिता, पितामह या भाई द्वारा किया जाता है वहां दण्ड कठोर होना चाहिए। साक्षी द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर हमने 'पिता, पिता मह या भाई' शब्दों के पश्चात् या 'कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसको अन्य व्यक्ति के साथ न्यास/विश्वास या प्राधिकार की स्थिति है' शब्द भी जोड़ दिये गये हैं। हमारे द्वारा सुझाया गया दूसरा परिवर्तन प्रस्तावित उपधारा (1) में निर्दिष्ट पत्नी की आयु के मामले में तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट हमलाग्रस्त व्यक्ति के मामले में है। 'पंद्रह' की आयु को बढ़ा कर 'सोलह' कर दिया गया है।

3.2.1. ये परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से किये गये हैं :—

(1) निकट संबंधियों के लिये और ऐसे व्यक्ति के लिये, जो न्यास/विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में है, कठोर दण्ड की व्यवस्था क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्रायः कुटुंब के सदस्यों पर अथवा ऐसे नौजवानों पर, जो उन पर संदेह नहीं करते और विश्वास करते हैं, लैंगिक हमले का अपराध करते हैं। इस संबंध में हमने सुदेश जाधू बनाम के० सी० के० तथा अन्य, 1996 (3) ऐडी दिल्ली 653=(1996) 62 डीएलटी 563] में प्रकाश में आये हुए तथ्यों में अवयस्क लड़की के पिता के अत्यन्त घृणित और गिरे हुए आचरण को तथा (2) पत्नी या किसी अन्य नौजवान की आयु के मामले में, जिन्हें विशेष बचाव की आवश्यकता है, एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से आयु 16 वर्ष रखी है।

3.2.2. 'साक्षी' के दृष्टिकोणों पर विचार :—यद्यपि साक्षी के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि हमें धारा 376(1) के दूसरे परंतुक को और धारा 376(2) के परंतुक को हटा देना चाहिए (जिनमें न्यायालय को उन उपधाराओं में विहित न्यूनतम दण्ड से कम दण्ड देने का विवेकाधिकार दिया गया है) किन्तु हम इस बात से संतुष्ट नहीं है कि ऐसा करने के लिये कोई अच्छे कारण हैं। ऐसी अनेक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जिनका अनुमान लगाना संभव नहीं है और जिनके कारण विहित न्यूनतम दण्ड से कम दण्ड देना आवश्यक हो सकता है। दुरुपयोग से बचाव के लिये इस अपेक्षा का उपबन्ध किया गया है कि निर्णय में ऐसा कम दण्ड देने के पर्याप्त और विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस आलोचना का भी कोई औचित्य नहीं है कि इस प्रकार दिये गये विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है अथवा इसका दुरुपयोग सदैव ही अपराधी को सहायता प्रदान करने के लिये किया जाएगा।

3.3.3. भा० द० सं० की धारा 376 के पुनःप्रारूपण की सिफारिश :—तदनुसार हम यह स्पष्ट करते हैं कि धारा 376 को निम्नलिखित रूप से पुनःप्रारूपित किया जाए :—

376. लैंगिक हमले के लिए दंड :—(1) जो कोई, उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाए, लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन

या इस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री, जिस पर लैंगिक हमला किया गया है, उसकी पत्नी है और सोलह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।

यदि लैंगिक हमला ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो हमला ग्रस्त व्यक्ति के साथ न्यास/विश्वास या प्राधिकारी की स्थिति में है अथवा हमलाग्रस्त व्यक्ति का निकट संबंधी है तो वह व्यक्ति कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, इस उपधारा में विहित न्यूनतम दण्ड से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा ।

(2) जो, कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए—

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, लैंगिक हमला करेगा; या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, लैंगिक हमला करेगा; या

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करेगा; या

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठा कर, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, लैंगिक हमला करेगा; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के, या स्त्रियों या बालक की किसी संस्था के, प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी पर लैंगिक हमला करेगा; या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करेगा; या

(ङ) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, लैंगिक हमला करेगा; या

(च) किसी व्यक्ति पर, जो बारह वर्ष से कम आयु का है, लैंगिक हमला करेगा; या

(छ) सामूहिक लैंगिक हमला करेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं हो सकेगी, दण्डादेश दे सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1 :—जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक लैंगिक हमला किया है ।

स्पष्टीकरण 2 :—'स्त्रियों या बालक की किसी संस्था' से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हो ।

स्पष्टीकरण 3:— 'अस्पताल' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता भी है जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सा विषयक ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को, ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है ।

धारा 376 क का संशोधन :— साक्षी के प्रतिनिधि चाहते थे कि हम धारा 376 क (साथ ही धारा 375 के अपवाद) के हटाए जाने की सिफारिश करें । उनका तर्क था कि जब कोई पुरुष जो अपनी पत्नी को उपहति या कोई और शारीरिक क्षति पहुंचाता है, ऐसी उपहति या शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड का भागी है तो क्यों न ऐसा पति

भी, जो अलग होने की डिक्री के अंतर्गत अथवा किसी रीति रिवाज के अंतर्गत अलग रह रहा है, अपनी पत्नी पर लैंगिक हमला करने के लिए दण्ड का अपराधी होना चाहिए । धारा 376क, जो ऐसे पति को, जो उपरोक्त परिस्थितियों में अपनी पत्नी से अलग रह रहा है, अपनी पत्नी पर लैंगिक हमला करता है और अपेक्षाकृत कम दण्ड की व्यवस्था करती है अतः यह तर्क दिया गया है कि यह धारा मनमानी और भेदभावपूर्ण है । प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि धारा 376क को हटा दिया जाता है तो पति को ऐसे मामले में धारा 376 (1) के अधीन दण्ड दिया जाएगा जिसमें धारा 376क की अपेक्षा अधिक दण्ड का उपबन्ध है । यद्यपि हम उस पत्नी के संदर्भ में जो अलग रहने की डिक्री के अंतर्गत अथवा किसी रीति या रिवाज के अंतर्गत अलग रह रही है, उक्त तर्क के बल की सराहना करते है किन्तु साथ ही हम इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते है कि ऐसे मामले में विवाह का बंधन अटूट रहता है । इन परिस्थितियों में जहां हम एक ओर यह सिफारिश कर रहे है कि कानून की पुस्तक में इस धारा को बनाए रखना चाहिए, वहीं दूसरी ओर इस धारा के अंतर्गत दण्ड को बढ़ाने की सिफारिश भी करते है ।

3.3.1. भा० दं० सं० की धारा 376क में उपान्तरण की सिफारिश:—तदनुसार, धारा 376 क निम्नलिखित रूप में रखी जाएगी :—

"376 क. पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी पर लैंगिक हमला :— जो कोई अपनी पत्नी पर, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन उससे पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी और जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

3.4. धारा 376ख, 376ग, 376घ का संशोधन :— इन अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम दण्ड में वृद्धि करने की सिफारिश करते है और यह न्यूनतम दण्ड 5 वर्ष से कम का नहीं होगा । हमने एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा है जो इन तीनों धाराओं को शासित करेगा । स्पष्टीकरण में "मैथुन" की परिभाषा दी गई है जिसका अर्थ धारा 376 के खण्ड (क) से खण्ड (ङ) तक में उल्लिखित कार्यों में से किसी से भी होगा । तथापि, धारा 375 का स्पष्टीकरण—इस धारा में यथा परिभाषित मैथुन की दशा में भी लागू होगा ।

3.4.1. भा० दं० सं० की धारा 376ख, 376ग, 376घ में उपान्तरण की सिफारिश:— तदनुसार धारा 376 ख, आवश्यक परिवर्तनों के साथ निम्नलिखित रूप में होगी :—

"376 ख. लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ मैथुन :— जो कोई, लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में है या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा, जो मैथुन लैंगिक हमले के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, पांच वर्ष से कम अवधि तक के कारावास का दण्ड दे सकता है ।

स्पष्टीकरण :— इस धारा में और धारा 376 घ तथा 376 घ में "मैथुन" से उन कार्यों में से कोई भी अभिप्रेत है जो धारा 375 (क) से (ङ) तक में उल्लिखित है । धारा 375 का स्पष्टीकरण भी लागू होगा ।"

"376घ. जेल, प्रतिप्रेषण गृह, आदि के अधीक्षक द्वारा मैथुन :— जो कोई, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था की किसी स्त्री या पुरुष निवासी को अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो लैंगिक हमला के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम भी नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, पांच वर्ष से कम अवधि तक के कारावास का दण्ड दे सकता है ।

स्पष्टीकरण 1 :— किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है ।

स्पष्टीकरण 2 :— स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 में है ।"

"376 घ. अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी के साथ मैथुन : — जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी अस्पताल के कर्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में, किसी के साथ मैथुन करेगा जो लैंगिक हमले की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम भी नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, पांच वर्ष से कम अवधि तक के कारावास का दण्ड दे सकता है ।

स्पष्टीकरण : "अस्पताल" पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 3 में है ।"

3.5. धारा 376 ङ का अंतःस्थापन :—यह हमारे द्वारा की गई पूर्ण रूप से एक नई धारा है । हमने इस अपराध को 'विधिविरुद्ध लैंगिक संपर्क' नाम दिया है। यह धारा अपराधों के वृहत रूपों को सम्मिलित करने के लिए आशयित है जिनके अंतर्गत काम-काज के स्थान पर लैंगिक उत्पीड़न और साक्षी द्वारा प्रस्तुत टिप्पण में उल्लिखित प्रकार के अनुचित लैंगिक कार्य भी आते है । इस नई धारा की उपधारा (1) में प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति (जिसमें ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं आता है) के शरीर के किसी भाग का, शरीर के किसी भाग या वस्तु से स्पर्श सम्मिलित है जो लैंगिक आशय से और ऐसे अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना किया जाए । सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की दशा में हमने उच्चतर दण्ड की सिफारिश की है। उपधारा (2), उपधारा (1) में उल्लिखित अपराध का विस्तार है और उपधारा (3) का संबंध ऐसे मामले से है जहां ऐसा अपराध किसी नौजवान व्यक्ति के साथ किया जाता है—नौजवान की परिभाषा स्पष्टीकरण में दी गई है जिसका अर्थ सोलह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है । यदि विधिविरुद्ध लैंगिक संपर्क का अपराध किसी नौजवान व्यक्ति के साथ किया जाता है जिस पर नौजवान व्यक्ति आश्रित होने का संबंध रखता है तो वहां दण्ड ऐसा कठोर दण्ड होगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जो जुर्माने से या दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा तथा यदि अपराधी पिता, पितामह या भाई है तो उसके लिए उच्चतर दण्ड की व्यवस्था है । 'नौजवान व्यक्ति' की दशा में सहमति को सुसंगत नहीं समझा गया है । (कनाडा की दण्डसंहिता की धारा 151, 152 और 153 में भी इसी प्रकार के उपबन्ध हैं) ।

3.5.1. नई धारा 376ङ को अंतःस्थापित करने की सिफारिश :— अतः हम सिफारिश करते हैं एक नई धारा, अर्थात् धारा 376 ङ भा.दं.सं. में निम्नलिखित रूप में अंतःस्थापित की जाए :

"376 ङ. विधि विरुद्ध लैंगिक संपर्क :—(1) जो कोई, लैंगिक आशय से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के, जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है, ऐसे अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसके शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी भाग या किसी अन्य वस्तु से स्पर्श करेगा वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई, लैंगिक आशय से किसी नौजवान व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को, शरीर के किसी भाग या वस्तु से स्पर्श करने के लिए आमंत्रित करता है या सलाह देता है अथवा उत्प्रेरित करता है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति का शरीर भी है जो ऐसा आमंत्रण या सलाह देता है या उत्प्रेरणा देता है, अथवा, लैंगिक आशय से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी नौजवान व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी भाग या किसी अन्य वस्तु से, स्पर्श करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई, किसी व्यक्ति नौजवान व्यक्ति के प्रति न्यास/विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में होते हुए अथवा जिसके साथ नौजवान व्यक्ति आश्रित के रूप में संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, लैंगिक आशय से, ऐसे नौजवान व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को किसी वस्तु से स्पर्श करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

स्पष्टीकरण :— इस उपधारा में और उपधारा (2) में 'नौजवान व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु सोलह वर्ष से कम है ।

3.6. धारा 377 का हटाया जाना :— धारा 375 में हमने जो परिवर्तन किये हैं उनके आलोक में हमारी राय है कि धारा 377 को हटा दिया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती उपबन्धों में (धारा 375 से 376 ङ तक) हमारे द्वारा किये गये परिवर्तनों

के पश्चात् धारा 377 का केवल वह भाग रह जाता है जो किसी जीव जन्तु के साथ स्वेच्छया इन्द्रियभोग से संबंधित है । हम ऐसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ते हैं ।

3.7. धारा 509 का संशोधन :—जहां तक इस धारा का संबंध है हम जिस एकमात्र परिवर्तन की सिफारिश कर रहे हैं वह दण्ड में वृद्धि है । हम सिफारिश करते हैं कि विद्यमान धारा 509 में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जाए :—

"509. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है :—

जो कोई, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनी या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनी सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

3.8. भा०दं०सं० में नई धारा 166क :—विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट में (पैरा 3.20) सिफारिश की गई थी कि भा०दं०सं० में एक नई धारा, अर्थात् धारा 166क अंतःस्थापित की जाए । इस नई धारा का उद्देश्य ऐसे लोकसेवक को दंडित करना है जो जानबूझ कर विधि के किसी ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है जो उसे किसी व्यक्ति को किसी अपराध या मामले का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा करने से प्रतिषिद्ध करता है या जो विधि के किसी अन्य निर्देश की जानबूझ कर अवज्ञा करता है जो उस रीति का विनियमन करती है जिस रीति से वह ऐसा अन्वेषण करेगा और जिसके कारण उसका कार्य ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । साक्षी के उन प्रतिनिधियों ने, जिनके साथ हमने चर्चा की, यह निवेदन किया कि विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट में जिस नई धारा की सिफारिश की गई है उसे भा०दं०सं० में जोड़ने की सिफारिश भी की जाए । इस उपबन्ध को इस तथ्य के आलोक में समझना होगा कि नये अध्याय में हम उस रीति के संबंध में अनेक उपायों की सिफारिश कर रहे हैं जिस रीति से स्त्रियों और बालकों के (जो सोलह वर्ष से कम के हों) दस्तावेजों को दर्ज किया जाना चाहिए तथा जिन स्थानों पर बयान दर्ज किये जाने चाहिए, आदि, आदि ।

3.8.1. भा०दं०सं० में नई धारा 166क को सिफारिश :—तदनुसार हम सिफारिश करते हैं कि भा०दं०सं० में एक नई धारा निम्नलिखित रूप में जोड़ी जाए :—

"166क. जो कोई, लोक सेवक होते हुए—

(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है जो उसे किसी व्यक्ति को किसी अपराध का या अन्य मामले का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा करने का प्रतिषेध करता है;

(ख) विधि के किसी ऐसे निर्देश की जानबूझ कर अवज्ञा करता है जो उस रीति को विनियमित करती है जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा जिसका ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।"

3.9. 'सहमति' को परिभाषित करने के बारे में साक्षी की राय पर विचार : अंत में हम साक्षी के उस निवेदन का उल्लेख करना चाहेंगे जो उपरोक्त धाराओं के प्रयोजन के लिये 'सहमति' की परिभाषा को अंतःस्थापित करने के बारे में है । यद्यपि हमारी राय है कि इस समय ऐसी परिभाषा आवश्यक नहीं है क्योंकि भारत के न्यायालयों ने पहले ही इस पद की व्याख्या की है और उसके बारे में अनेक मामलों में घोषणाएं की हैं। इस संबंध में भा०दं०सं० पर न्यायाधिपति श्री जसपाल सिंह की कॉमेन्ट्री (1998 का प्रथम संस्करण) के पृष्ठ 700 का उल्लेख किया जा सकता है जहां मद्रास, पंजाब और नागपुर उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर यह कहा गया है कि "सहमति से, जिस बात के लिए सहमति दी गई है उसे न देने अथवा रोकने का स्वतंत्र तथा असीमित अधिकार का प्रयोग अभिप्रेत है; यह उस बात की स्वेच्छा से और विचार पूर्वक स्वीकृति है जिसका किसी अन्य ने प्रस्ताव रखा है और जिससे सहमति देने वाला सहमत है" ।

अध्याय चार

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिवर्तनों की सिफारिश

4.1. दण्ड प्रक्रिया के संबंध में 'साक्षी' के सुझाव :— जैसा कि अध्याय दो में कथित है, साक्षी के प्रतिनिधियों ने दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में चौदह सिफारिशें की हैं। हमने उक्त अध्याय में उनका उल्लेख किया है, अब हम उन पर चर्चा करेंगे :—

***4.2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में उपधारा (3) से (7) तक का जोड़ा जाना :—** विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट में (पैरा 3.1 से 3.15 तक) सिफारिश की गई थी कि धारा 160 में उपधारा (3) से (7) तक जोड़ी जाएं। 84वीं रिपोर्ट में जो कारण दिये गये हैं उन्हें अपने शब्दों में प्रस्तुत करने की अपेक्षा हम (पैरा 3.11 से 3.15) को नीचे उद्धृत करना उचित समझते हैं :—

"IV. लैंगिक अपराधों की शिकार स्त्रियों से पूछताछ—

3.11. रिपोर्ट तथा अन्वेषण :— इन विषयों का संबंध मोटी तौर पर स्त्रियों की गिरफ्तारी और निरोध से है। हम अब इन कतिपय विषयों पर विचार करेंगे जो लैंगिक अपराधों की शिकार स्त्रियों की बाबत ध्यान देने योग्य हैं। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है वे उसकी सूचना देने में संकोच करती हैं क्योंकि कुछ तो उन्हें उनके ब्यौरों की चर्चा पुरुष पुलिसियों से करने में दुविधा होती है और कुछ यह कि उन्हें न्यायालय में साक्षी के रूप में खड़े होने में और अधिक दुःखदायी अनुभव का भय होता है।

वे भयभीत हो जाती हैं और भ्रमित हो जाती हैं जब न्यायालय पक्ष के अजीब वातावरण में उन्हें उन तौर-तरीकों का सामना करना पड़ता है जो उनके रीति-रिवाज की दृष्टि से अजनबी हैं तथा साफ-साफ और संयोजित विचार तथा स्पष्ट वक्तव्य के लिए न्यायालय का वातावरण उन कठिनाइयों के कारण अनुकूल नहीं रहता।

3.12. महिला पुलिस द्वारा अन्वेषण :— किसी कानूनी परिवर्तनों की सिफारिश का न किया जाना—प्रायः किसी स्त्री को बलात्कार या अन्य लैंगिक अपराध के आरोप पर जोर देने में इस कारण से कमजोरी रहती है कि उसका सामना केवल पुरुष पुलिस और अभियोजन अधिकारियों से होता है। सम्भवतः यही कारण है कि यह सुझाव दिया गया था कि ऐसे अपराधों का अन्वेषण केवल महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

हमें खुशी होगी यदि लैंगिक अपराधों की शिकार महिलाओं से पूछताछ केवल महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाए। तथापि, हम इस विषय में कोई कानूनी उपबन्ध करने की सिफारिश करने के पक्ष में नहीं है। इस आशय का कोई आज्ञापक उपबन्ध सम्भवतः कारगर सिद्ध नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। शहरी क्षेत्रों में भी, जब तक कि कोई केन्द्रीय कक्ष (जिसका दर्जा पुलिस थाने का हो) स्त्रियों पर होने वाले लैंगिक अपराधों के अन्वेषण के लिए स्थापित नहीं कर लिया जाए तब तक ऐसा उपबन्ध व्यवहार्य नहीं होगा।

हम इस कठिनाई को दुष्कर नहीं समझते। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पूछताछ और अन्वेषण जैसे पुलिस कर्तव्यों पर लगाया जा सके।

3.13. महानगरों में प्रयोग की जाने वाली प्रणाली :— तब तक उन महानगरों में, जहां महिला पुलिस अधिकारी पर्याप्त संख्या में हैं, यह प्रणाली अपनाई जानी चाहिए कि लैंगिक अपराधों का अन्वेषण और उनकी शिकार महिलाओं से पूछताछ केवल महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाए।

अतः हम इस संबंध में कोई कानूनी उपबन्ध बनाने के पक्ष में नहीं है, सिवाए उन बातों के जिनकी सिफारिश हम आगे के पैराओं में कर रहे हैं।

3.14. बलात्कार की शिकार बच्चियों से पूछताछ :— कानूनी उपबन्ध की सिफारिश—ऊपर जिस प्रणाली का सुझाव दिया गया है उसे महानगर क्षेत्रों और बड़े नगरों में आरंभ किया जा सकता है किन्तु एक विषय ऐसा है जो पूरे देश के लिए महत्व का है। यह आवश्यक है कि कतिपय आयु से कम लड़कियों के मामले में—उदाहरण के लिए 12 वर्ष से कम, जो

*विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट

कि बलात्कार का शिकार हों यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपबन्ध होना चाहिए कि ऐसी लड़की से पूछताछ किसी महिला द्वारा ही की जानी चाहिए। किन्तु, यदि कोई पुलिस महिला अधिकारी उपलब्ध न हो तो नीचे दी गई वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

जिस वैकल्पिक प्रक्रिया का हम विचार कर रहे हैं वह है कि जहां कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो वहां थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रश्नों की एक सूची किसी अर्हताप्राप्त महिला को सौंप देनी चाहिए (जिनके ब्यौरों का सुझाव हम आगे देंगे) जो शिकार लड़की से प्राप्त जानकारी को दर्ज करने के पश्चात् उस कागज को पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को वापिस कर देगी। यदि आवश्यक हो तो पुलिस और प्रश्न भी पूछताछ करने वाली महिला को भेज सकती है।

यह प्रक्रिया 12 वर्ष से कम की शिकार बच्चियों के बारे में तुरन्त लागू की जा सकती है। बाद में इसका प्रयोग आमतौर पर सभी बालक-साक्ष्यों के लिए किया जा सकता है यदि यह व्यावहारिक लगे।

"अर्हताप्राप्त महिला" वह होनी चाहिए जो किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की सामाजिक कार्यकर्ता हो। यदि उसे कानून और प्रक्रिया की कुछ जानकारी हो तो यह और भी उपयोगी होगा किन्तु यह कानूनी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

3.15. धारा 160 में उपधाराएं (3) से (7) तक जोड़कर संशोधन करने की सिफारिश:— जो कुछ ऊपर कहा गया है उसकी दृष्टि से हम निम्नलिखित उपबन्धों को जोड़ने की, अर्थात्, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 160 में नई उपधाराओं के रूप में जोड़ने की सिफारिश करना चाहते हैं।

"(3) इस अध्याय के अंतर्गत जहां 12 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का वक्तव्य दर्ज करना हो, चाहे वह अपराध की प्रथम सूचना हो अथवा अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में हो, और वह लड़की वह व्यक्ति है जिसकी बाबत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354क या धारा 375 के अंतर्गत किसी अपराध का किया जाना या करने का प्रयास किया जाना अभिकथित है, वहां उसका वक्तव्य या तो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा या महिलाओं या बालकों के कल्याण से हितबद्ध किसी संस्था के, जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मान्यता प्राप्त है, दर्ज किया जाएगा।

(4) ऐसे मामले में जिसे उपधारा (3) के उपबन्ध लागू होते हैं और जहां कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ऐसे वक्तव्य को दर्ज करने की सुविधा के लिए, उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को एक लिखित निवेदन भेजेगा जिसमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिनकी बाबत लड़की से जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा है।

(5) वह महिला जिसे ऐसा लिखित निवेदन भेजा जाता है, उस लड़की के वक्तव्य को दर्ज करने के पश्चात्, उस अभिलेख को थाने के प्रभारी अधिकारी को भेजेगी।

(6) जहां ऐसी महिला द्वारा दर्ज किया गया वक्तव्य, जो उपधारा (5) के अधीन भेजा गया है, किसी भी विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी स्पष्टीकरण या और ब्यौरे की आवश्यकता है तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी उस कागज को उस महिला को, जिससे वह प्राप्त हुआ था, किन्हीं विनिर्दिष्ट विषयों पर स्पष्टीकरण या ब्यौरों के लिये निवेदन करते हुए भेज देगा; और तदुपरि वह महिला उस लड़की का अतिरिक्त वक्तव्य उस निवेदन के अनुरूप दर्ज करेगी और उस कागज को पुलिस अधिकारी को वापिस भेजेगी।

(7) उपधारा (3) से (6) के अधीन दर्ज किया गया और भेजा गया किसी लड़की का वक्तव्य, साक्ष्य में किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये वक्तव्य की ग्राह्यता की बाबत विधि के प्रयोजन के लिए, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया वक्तव्य समझा जाएगा।"

4.2.1. साक्षी के प्रतिनिधियों ने उक्त सिफारिश का समर्थन किया है और यह इच्छा प्रकट की है कि हम उसका पुनः समर्थन करें।

4.2.2. भारत के विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट :— विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट में पैरा 6.5 से 6.9 तक उपरोक्त सिफारिश की चर्चा हुई है। पैरा 6.5 में उपरोक्त उपधाराओं को प्रस्तुत करने के पश्चात्, रिपोर्ट के अध्याय 18 के पैरा 6.6 से 6.9 तक में निम्नलिखित टिप्पणियां और सिफारिशें हैं :—

"6.6. इस सुझाव का स्रोत विधि आयोग की रिपोर्ट में 'बलात्कार तथा संबंधित अपराध' और 'अभिरक्षागत स्त्रियां' से संबंधित चर्चाओं में पाया जा सकता है।

भारत के विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट

6.7. विधेयक (एन सी डब्ल्यू) विधि आयोग की पूर्वतर सिफारिशों से इस संबंध में आगे बढ़ गया है कि महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति पर जोर दिया जाये। यद्यपि ऐसी महिला अधिकारी की उपस्थिति उपयोगी और आवश्यक है किन्तु अनुपस्थिति के कारण अपराधों के अन्वेषण में विलम्ब नहीं होना चाहिए। ऊपर उल्लिखित उपधारा (4), (5), (6) और (7) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह अपराध के शिकार का सरकार के प्रतिनिधि, मान्यता प्राप्त महिला संगठन के पास भेजे और ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्ज किया गया वक्तव्य पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया वक्तव्य समझा जाएगा।

6.8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1994 के विधेयक में उपरोक्त संशोधन सम्मिलित नहीं है।

6.9. हमारी राय है कि धारा 160 का ऊपर सुझाव दिये गये के अनुसार संशोधन कुछ रूपान्तरों के साथ किया जाए। एन सी डब्ल्यू विधेयक की उपधारा (4) में की गई सिफारिश वर्तमान स्थिति को देखते हुए और महिला पुलिस अधिकारियों की कमी के कारण व्यवहार्य नहीं है। हमारा सुझाव है कि इसकी अपेक्षा उपधारा (3) और (4) में इस आशय का संशोधन किया जाय कि जहां महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो और उपधारा (3) में उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क करना कठिन हो वहां, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी शिकार व्यक्ति का वक्तव्य उसके किसी संबंधी की उपस्थिति में दर्ज करने के लिए अग्रेसर होगा।

इसके अतिरिक्त बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुरूप 'बारह वर्ष' की आयु को बढ़ाकर 'अठारह वर्ष' कर दिया जाय।

4.2.3. 156वीं रिपोर्ट में गई सिफारिशों का पुनः समर्थन:— सभी सुसंगत तथ्यों और जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारी भी यह राय है कि उपधारा (4), (5) और (6) में दर्शाई गई प्रक्रिया जटिल और अव्यवहार्य है। उक्त उपधारा (4) से उपधारा (6) में उल्लिखित अनेक कदम अपराध के शिकार व्यक्ति के लिए या परिवादी के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा कर देंगे। हम विधि आयोग की 156वीं रिपोर्ट में इस विषय में पैरा 6.9 में व्यक्त की गई राय से सहमत हैं। तथापि, हमने उपधारा (3) की भाषा में, सरकारी महिला अधिकारी जोड़कर परिवर्तन कर दिया है। 1983 के अधिनियम 43 द्वारा प्रभावी संशोधनों के आलोक में और पैरा 3.2 और 3.5 में हमारे द्वारा की गई सिफारिशों (धारा 375 में अपराध का प्रतिस्थापन और 376ङ का जोड़ा जाना) के आलोक में भी परिवर्तन करने होंगे।

4.2.3.1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 160 में उपधारा (3) और (4) का जोड़ा जाना:—तदनुसार, हम सिफारिश करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में निम्नलिखित दो उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(3) जहां इस अध्याय के अधीन, किसी महिला का वक्तव्य अपराध की प्रथम सूचना के रूप में या किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में लेखबद्ध करना हो और महिला वह व्यक्ति है जिसकी बाबत भा.दं.सं. की धारा 354, 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ङ या 509 के अधीन किसी अपराध का किया जाना या प्रयत्न किया जाना अभिकथित है, वहां ऐसा वक्तव्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में आस-पास में उपलब्ध किसी महिला सरकारी सेवक द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और सरकारी महिला सेवक के उपलब्ध न होने की दशा में स्त्रियों और बालकों के कल्याण से हितबद्ध किसी संगठन द्वारा प्राधिकृत किसी महिला द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा।

"(4) ऐसे मामले में जहां उपधारा (3) में उल्लिखित किसी विकल्प को इस कारण नहीं अपनाया जा सकता है कि कोई भी महिला पुलिस अधिकारी या सरकारी महिला सेवक या स्त्रियों और बालकों के कल्याण में हितबद्ध प्राधिकृत कोई महिला उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, ऐसी शिकार महिला के वक्तव्य को उसके किसी संबंधी की उपस्थिति में लेखबद्ध करने के लिए अग्रेसर होगा।"

4.3. धारा 160 की उपधारा (1) के परन्तुक का प्रतिस्थापन:— धारा 160 की उपधारा (1) पुलिस अधिकारी को इस शक्ति की बाबत है कि वह ऐसे साक्षी को हाजिर होने की अपेक्षा कर सकता है जो पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किये जा रहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत हो यह धारा हाजिर होने के लिए अपेक्षित ऐसे व्यक्ति पर बाध्यता भी अधिरोपित करती है। तथापि, विद्यमान परन्तुक में यह उपबन्ध है कि "पंद्रह वर्ष की आयु से कम के किसी भी पुरुष से अथवा किसी भी महिला से जहां वह निवास करता है या करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी"। हम सिफारिश करते हैं कि उक्त परन्तुक में लिखित आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष किया जाए।

4.3.1. अन्वेषण के दौरान नातेदार या मित्र या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति के बारे में 'साक्षी' के दृष्टिकोण पर विचार:— इस आयाम पर हम साक्षी द्वारा प्रस्तुत एक और सुझाव की चर्चा कर सकते हैं जो यह उपबन्ध करने के लिए है कि जहां सोलह वर्ष से कम आयु के किसी पुरुष का अथवा स्त्री का वक्तव्य अन्वेषण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है वहां भी ऐसे पुरुष, जिसकी आयु सोलह वर्ष से कम है, या स्त्री की पसंद के किसी नातेदार या मित्र या सामाजिक

कार्यकर्ता को उस पूरी अवधि के दौरान जब उसका वक्तव्य दर्ज किया जाता है, उपस्थित रहने की इजाजत होगी। हम इस सुझाव से सहमत हैं, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा नंदिनी सत्पथी बनाम पी. एल. दानी (ए.आई.आर. 1978 उ.न्या. 1025 में दिए गये निर्णय के प्रकाश में।

4.3.2. धारा 160 की उपधारा (1) के परन्तुक के प्रतिस्थापन की सिफारिश :—तद्नुसार, हम सिफारिश करते हैं कि धारा 160 की उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाए :—

"परन्तु ऐसे किसी पुरुष से, जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, या किसी स्त्री से ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जहां ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है। वक्तव्य दर्ज करते समय उस व्यक्ति की पसंद के, जिसका वक्तव्य दर्ज किया जाना है, किसी नातेदार या मित्र या सामाजिक कार्यकर्ता को उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। ऐसा नातेदार, मित्र या सामाजिक कार्यकर्ता, जिसे उपस्थित रहने की अनुज्ञा दी गई हो, वक्तव्य दर्ज किये जाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।"

*4.4. भारत के विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट—दंड प्रक्रिया संहिता में नई धारा, अर्थात, धारा 164क का जोड़ा जाना :—विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट में अध्याय चार के पैरा 4.8 से 4.11 में ऐसा उपबन्ध जोड़े जाने की सिफारिश की गई थी। ऐसा उपबन्ध जोड़ने के कारण और प्रस्तावित उपबन्ध निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

"III. शिकार व्यक्ति की परीक्षा

4.8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164क (जो जोड़ी जानी है)—अब हम शिकार व्यक्ति की चर्चा करेंगे। अनेक मामलों में शिकार महिला की शारीरिक परीक्षा के बारे में चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट बहुत कुछ औपचारिक ही होती है और उसमें उन तात्विक ब्यौरों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जो धारा 375 के विभिन्न बिन्दुओं के निर्धारण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारियों को शीघ्र नहीं भेजी जाती। परिणाम यह कि रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने की संभावना बनी रहती है।

हमारी राय में बलात्कार के मामले में शिकार व्यक्ति की जांच की रिपोर्ट (अन्य औपचारिक ब्यौरों के अतिरिक्त) निम्नलिखित रूप में दी जानी चाहिए—

(i) शिकार व्यक्ति की आयु,

(ii) यह जानकारी कि शिकार व्यक्ति पहले से मैथुन का आदि थी या नहीं,

(iii) शिकार व्यक्ति के शरीर पर मिली चोटें,

(iv) शिकार व्यक्ति की सामान्य मानसिक दशा, और

(v) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां।

यह भी आवश्यक है कि रिपोर्ट में परीक्षा का समय दर्ज किया जाए और उसे बिना किसी विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी के पास भेजा जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट में वे कारण दर्ज किए जाएं, जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

4.9. विधायी उपबन्धों की आवश्यकता :—सामान्य तौर पर, ऐसे विषयों को कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तथापि, इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता में किसी उचित स्थान पर ऐसा उपबन्ध जोड़ना उचित होगा, जिसमें वे मार्गदर्शक सिद्धांत हों जिनका, सुझाव हमने ऊपर दिया है। ऐसे उपबन्धों के व्यावहारिक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, सुसंगत उपबन्धों में और सुधार किए जा सकते हैं।

4.10. दं०प्र०सं० में धारा 164क की सिफारिश:—तद्नुसार, हम सिफारिश करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाए :—

"164 क. (1) जहां उस उपक्रम के दौरान जब बलात्कार करने के प्रयास के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा हो, उस स्त्री के, जिसके साथ बलात्कार करने या कराने का प्रयास करने का अभिकथन है, शरीर की किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से जांच कराने का प्रस्ताव है, ऐसी परीक्षा किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उस स्त्री की या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सम्मति से की जाएगी और उस स्त्री को, बिना किसी विलम्ब के, ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसके पास ऐसी स्त्री को भेजा जाता है, अविलम्ब स्त्री के शरीर की परीक्षा करेगा और अपनी परीक्षा के परिणाम को विनिर्दिष्ट रूप से दर्ज करते हुए और निम्नलिखित ब्यौरों के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा:—

(i) स्त्री का और उस व्यक्ति का नाम, जो उसे लेकर आया है,

(ii) स्त्री की आयु,

(iii) यह जानकारी कि शिकार व्यक्ति पहले से मैथुन का आदि थी या नहीं,

(iv) शिकार व्यक्ति के शरीर पर मिली चोटें,

(v) शिकार व्यक्ति की सामान्य मानसिक दशा, और

(vi) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां ।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारण संक्षिप्त में दर्ज किए जाएंगे ।

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह दर्ज किया जाएगा कि ऐसी स्त्री की या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सम्मति प्राप्त कर ली गई थी ।

(5) परीक्षा आरम्भ और पूर्ण करने का निश्चित समय भी रिपोर्ट में दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी रिपोर्ट को अविलम्ब अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मैजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में, भेजेगा ।

(6) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि शिकार स्त्री की अथवा उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना की गई परीक्षा विधिपूर्ण है ।"

4.11. बलात्कार के शिकार की चिकित्सा परीक्षा :—शिकार व्यक्ति की परीक्षा के बारे में दं०प्र०सं० की धारा 53(2) में यह उपबन्ध है कि उस धारा के अधीन जब भी किसी महिला के शरीर की परीक्षा की जाए, ऐसी परीक्षा किसी रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसकी देख-रेख में की जाएगी ।

इस प्रश्न पर कि क्या इस आशय का उपबन्ध जोड़ा जाना चाहिए कि जब भी लैंगिक अपराध की शिकार किसी महिला की परीक्षा की जाए, ऐसी चिकित्सा परीक्षा केवल किसी महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जानी चाहिए, हमने ध्यान-पूर्वक विचार किया है । हमारे विचार में दो कारणों से ऐसे कानूनी उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है । प्रथमतः, भारत में यह एक सतत प्रथा है और किसी कानूनी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है कि यदि शिकार महिला किसी पुलिस चिकित्सक से परीक्षा कराने की इच्छुक नहीं है, तो ऐसा करने की उस पर कोई कानूनी बाध्य नहीं है । इस कारण से भी किसी कानूनी उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है । यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसी चिकित्सा परीक्षा ऐसी स्त्री की सम्मति के बिना या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना विधिपूर्ण रूप में नहीं की जा सकती ।"

4.5. उपरोक्त प्रस्ताव का 154वीं रिपोर्ट में पुनःसमर्थन :—विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट के अध्याय 18 के पैरा 7.1 से 7.3 में उक्त प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया गया है । आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि ऐसा उपबन्ध इस उपांतरण के साथ करना नितान्त वांछनीय है कि चिकित्सा परीक्षा किसी महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ही करना उचित होगा । रिपोर्ट में बलात्कार की शिकार स्त्रियों के शीघ्र और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा ऐसी रिपोर्ट के शीघ्र ही अन्वेषण अधिकारी को भेजे जाने के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

4.5.1. पारिणामिक परिवर्तनों के साथ इस प्रस्ताव पर स्वीकृति :—84वीं और 154वीं रिपोर्ट में सम्मिलित की गई उपरोक्त सिफारिशों की हम पुष्टि तथा पुनः समर्थन करते हैं । तथापि, धारा 375 में हमने जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, उनके आलोक में, प्रासंगिकता की दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन करने होंगे ।

4.5.2. दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 164क जोड़ने की सिफारिश :—तदनुसार हम सिफारिश करते हैं कि दं०प्र०सं० में निम्नलिखित धारा 164 क जोड़ी जाए :—

"164क. (1) जहां, उस उपक्रम के दौरान जब धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, या 388क के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण किया जा रहा हो और शिकार व्यक्ति की परीक्षा किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से कराने का प्रस्ताव हो, वहां ऐसी परीक्षा शिकार व्यक्ति की सम्मति से अथवा उसकी ओर से ऐसी सम्मति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति

की सम्मति से किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी । सभी मामलों में, शिकार व्यक्ति को अविलम्ब ऐसी परीक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए ।

परन्तु जहां ऐसी शिकार कोई महिला है, ऐसी चिकित्सा परीक्षा, जहां तक संभव हो, किसी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसके पास शिकार व्यक्ति को भेजा जाता है, अविलम्ब शिकार व्यक्ति के शरीर की परीक्षा करेगा और अपनी परीक्षा के परिणाम को विनिर्दिष्ट रूप से दर्ज करते हुए और निम्नलिखित ब्यौरों के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा :—

(i) शिकार व्यक्ति का और उस व्यक्ति का नाम, जो उसे लेकर आया है या आई है,

(ii) शिकार व्यक्ति की आयु,

(iii) शिकार व्यक्ति के शरीर पर मिली चोटें,

(iv) शिकार व्यक्ति की सामान्य मानसिक दशा, और

(v) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां ।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारण संक्षिप्त में दर्ज किए जाएंगे ।

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह दर्ज किया जाएगा कि ऐसे शिकार व्यक्ति की या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सम्मति प्राप्त कर ली गई थी ।

(5) परीक्षा आरम्भ और पूर्ण करने का निश्चित समय भी रिपोर्ट में दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी रिपोर्ट को अविलम्ब अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मैजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में, भेजेगा ।

(6) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि शिकार व्यक्ति की अथवा उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना की गई परीक्षा विधिपूर्ण है ।"

***4.6. दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में विधि आयोग की 84 वीं रिपोर्ट के बारे में की गई सिफारिशें** :—दंड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा 53क का जोड़ा जाना—विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट में अध्याय चार के पैरा 4.5 से 4.7 में एक नई धारा 53क जोड़ने की सिफारिश की गई है जो निम्नलिखित रूप में है : —

"ii. अपराधी की परीक्षा

4.5. संहिता में उपबन्ध :—समय पर परीक्षा कराने की आवश्यकता—दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में ऐसे सभी मामलों में जहां ऐसी परीक्षा से अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य मिल सकेगा, अपराधी की चिकित्सा परीक्षा के विषय में एक सामान्य उपबन्ध है ।

तथापि, ऐसा देखा जाता है कि बलात्कार या बलात्कार करने के प्रयास के मामलों में चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट प्रायः औपचारिक होती है या समय पर नहीं भेजी जाती है ।

हाल ही के कलकत्ता के एक मामले में (नारायण दत्त बनाम राज्य, 1980, क्रि० ला० ज० 264, पैरा 1-2) उच्च न्यायालय को यह कहने के लिये बाध्य होना पड़ा कि—

"यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अपीलार्थी को उसी रात (9 मई को) गिरफ्तार कर लिया गया था किन्तु उसे डॉ० पाल (प्रा०सा० 11) के समक्ष पेश नहीं किया गया जिन्होंने प्रा०सा० 1 से 10 तक का परीक्षण 10-5-1970 को किया ।"

4.6. ब्यौरों का दर्ज किया जाना और कारण देना :—यह भी वांछनीय है कि रिपोर्ट में (अन्य औपचारिक ब्यौरों के साथ) यह ब्यौरे भी विनिर्दिष्ट रूप से दिये जाने चाहिए—(i) अपराधी की आयु, (ii) अपराधी के शरीर पर चोटें, और (iii) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां । रिपोर्ट में परीक्षा का निश्चित समय भी लिखा जाना चाहिए । रिपोर्ट चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अन्वेषण अधिकारी को अविलम्ब भेजी जानी चाहिए और अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसे उस मैजिस्ट्रेट के समक्ष (जो संज्ञान लेने के लिए सक्षम है) फाइल की जानी चाहिए, संहिता की धारा (5) के अधीन चालान के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेजों के साथ दाखिल की जानी चाहिए ।

4.7. दं०प्र०सं० की धारा 53 के बारे में सिफारिश:—यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट में व्यक्त की गई राय के आधार दिये जाने चाहिए । तद्नुसार, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ने की सिफारिश करते हैं :

दंड प्रक्रिया संहिता, 1972 में जोड़ी जाने वाली धारा 53 की उपधाराएं (1क), (1ख), (1ग), (1घ)—

"(1क) जब बलात्कार करने या बलात्कार करने का प्रयास करने का अपराधी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और इस धारा के अधीन उसके शरीर की परीक्षा की जानी है तो उसे, अविलम्ब, उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा जिसके द्वारा परीक्षा की जानी है ।

(1ख) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसे ऐसी परीक्षा करनी है, अविलम्ब, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें परीक्षा के परिणाम विनिर्दिष्ट रूप से दर्ज किये जाएंगे और निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :

(i) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लेकर आया है या आई है,

(ii) अभियुक्त की आयु,

(iii) अभियुक्त के शरीर पर मिली चोटें, और

(iv) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां ।

(1ग) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारण संक्षिप्त में दर्ज किए जाएंगे ।

(1घ) परीक्षा आरम्भ और पूर्ण करने का निश्चित समय भी रिपोर्ट में दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी रिपोर्ट को अविलम्ब अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में, भेजेगा ।"

4.6.1. 'साक्षी' की राय पर विचार :—साक्षी के प्रतिनिधियों ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया है और कुछ बातें जोड़ी हैं । इन जोड़ी गई बातों द्वारा यह उपबन्ध करने का आशय था कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अपनी रिपोर्ट में "रक्त, वीर्य और हाल ही की किसी लैंगिक घटना के साक्ष्य को उचित ब्यौरों के साथ" दर्ज करेगा । तथापि, हमारी राय में साक्षी द्वारा सुझाया गया उक्त उपबन्ध अनावश्यक है क्योंकि 84वीं रिपोर्ट में सुझाये गये उपबन्धों में उक्त ब्यौरे भी पर्याप्त रूप से आ जाते हैं । तद्नुसार, हम 84वीं रिपोर्ट की सिफारिशों की पुष्टि करते हैं और पुन: समर्थन करते हैं किन्तु यह भा०दं०सं० की धारा 375 को प्रतिस्थापित करने की हमारी सिफारिशों के आलोक में किये जाने वाले परिवर्तनों और उपान्तरणों के अधीन होगा ।

4.6.2. दंड प्रक्रिया संहिता में नई धारा 53क की सिफारिश :—प्रस्तावित धारा 53क निम्नलिखित रूप में होगी :

"53क. (1) जब धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ङ के अधीन किन्हीं अपराधों अथवा उक्त अपराधों को करने का प्रयास करने के अपराधी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और इस धारा के अधीन उसके शरीर की परीक्षा की जानी है तो उसे, अविलम्ब, उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा जिसके द्वारा परीक्षा की जानी है ।

(2) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसे ऐसी परीक्षा करनी है, अविलम्ब, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें परीक्षा के परिणाम विनिर्दिष्ट रूप से दर्ज किये जाएंगे और निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :

(i) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लेकर आया है या आई है,

(ii) अभियुक्त की आयु,

(iii) अभियुक्त के शरीर पर मिली चोटें, और

(iv) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां ।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारण संक्षिप्त में दर्ज किए जाएंगे ।

(4) परीक्षा आरम्भ और पूर्ण करने का निश्चित समय भी रिपोर्ट में दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी रिपोर्ट को अविलम्ब अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में, भेजेगा ।"

4.7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची में परिणामिक संशोधनों की सिफारिश :—भा० दं० सं० की धारा 376 से धारा 376घ, धारा 377 और 509 में प्रस्तावित संशोधनों तथा नई धारा 376क के जोड़े जाने के परिणामस्वरूप,

दंड प्रक्रिया संहिता, 1873 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने होंगे और भा. दं. सं. की धारा 376 से 376 घ, 377 और 509 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर और नई धारा 376क के संबंध में प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से जोड़ी जाएगी :

376	बैंगिक हमला	आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना	वही	गैरजमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी पुरुष द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी पर बैंगिक हमला	3 वर्ष का कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	गैरजमानतीय	वही
	हमलाग्रस्त व्यक्ति के प्रति प्राधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा अथवा किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बैंगिक हमला	आजीवन कारावास या जुर्माना	संज्ञेय	गैरजमानतीय	वही
	पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए अथवा किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा बैंगिक हमला	आजीवन कारावास या जुर्माना	संज्ञेय	गैरजमानतीय	वही
376क	पति द्वारा अपनी पत्नी पर पृथक्करण के दौरान बैंगिक हमला	7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना	संज्ञेय (केवल शिकार महिला के परिवाद पर)	गैरजमानतीय	वही
376ख	किसी लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर बैंगिक हमला	10 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना	संज्ञेय (किन्तु कारण के बिना या मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी)	गैरजमानतीय	वही
376ग	जेल, प्रतिप्रेषण गृह, आदि के अधीक्षक द्वारा बैंगिक हमला	वही	वही	वही	वही
376घ	अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री पर बैंगिक हमला	वही	वही	वही	वही
376ङ	विधिविरुद्ध बैंगिक संपर्क	2 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट
	किसी नाबालग के साथ विधिविरुद्ध बैंगिक संपर्क	3 वर्ष का कारावास	संज्ञेय, यदि अपराध करने के बारे में इत्तिला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अपराध से	गैरजमानतीय	वही

			व्यथित व्यक्ति द्वारा या वंशज के रूप में या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित के रूप में किसी नातेदार द्वारा अथवा यदि ऐसा कोई नातेदार नहीं है, तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के किसी लोक सेवक द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त अधिसूचित किया हो, दी जा रही है		
	किसी नौजवान के प्रति न्यास/विश्वास या प्राधिकारी की हैसियत वाले किसी व्यक्ति द्वारा लिप्तिविरुद्ध लैंगिक संपर्क	7 वर्ष का कारावास व जुर्माना	यही	गैरजमानतीय	सेशन न्यायालय
377	हटाइए]	हटाइए	हटाइए]	हटाइए]	हटाइए
509	किसी स्त्री आदि की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित किसी शब्द का उच्चारण करना या अंग-विक्षेप करना	3 वर्ष का कारावास	संज्ञेय	गैरजमानतीय	प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट

4.8 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 198 की उपधारा (6) का संशोधन:—भा. दं. सं. की धारा 376 के प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप दं. प्र. सं. की धारा 198 की उपधारा (6) में निम्नलिखित रीति में संशोधन किया जाएगा :

"मैथुन" शब्द के स्थान पर "लैंगिक हमला" तथा "पंद्रह" के स्थान पर "सोलह" शब्द रखे जाएंगे।

4.9 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में नई धारा 198ख का जोड़ा जाना :—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 198क के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 198ख जोड़ी जाएगी :

"**भारतीय दंड संहिता की धारा 376ङ की उपधारा (2) और (3) के अधीन अपराधों का अभियोजन** :—कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) की धारा 376ङ की उपधारा (2) और (3) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब के सिवाए नहीं लेगा जब उन तथ्यों की जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं कोई पुलिस रिपोर्ट हो या अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहिन अथवा वंशज के रूप में या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई परिवाद हो।"

4.10 साक्षी द्वारा प्रस्तुत दंड संहिता में परिवर्तन करने के ऐसे प्रस्ताव जिनसे हम सहमत नहीं हैं :—साक्षी ने कुछ ऐसे अन्य सुझाव प्रस्तुत किए हैं जिन्हें हमने इस रिपोर्ट के अध्याय दो में मद 6,7,8,9 के रूप में गठित किया है। हमारी राय में विद्यमान उपबन्धों को तथा इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्ताव अनावश्यक है। इन विषयों को न्यायालय के विवेक पर छोड़ना बेहतर है।

अध्याय पांच

साक्ष्य अधिनियम 1982 में परिवर्तनों की सिफारिश

5.1. साक्षी के सुझावों पर विचार :— साक्षी के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य अधिनियम में 3 संशोधन करने का सुझाव दिया है, अर्थात् (क) धारा 114क का संशोधन जिसका आशय यह है कि गुरुतर लैंगिक हमले के किसी अभियोजन में जहां मैथुन साबित हो जाता है और यह प्रश्न उठता है कि वह परिवादी की सहमति से था या नहीं और परिवादी न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसकी सहमति नहीं थी, तो न्यायालय यह परिकल्पना करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी; (ख) धारा 155 का खण्ड (4) हटा दिया जाए, जो बलात्कार या उसका प्रयास करने के लिए अभियोजित व्यक्ति को यह दर्शाने की अनुज्ञा प्रदान करता है कि अभियोक्ती सामान्यतया व्यभिचारिणी थी, और (ग) धारा 146 में एक नया खण्ड, खण्ड (4), जोड़ दिया जाए, जिसमें यह उपबन्ध हो कि लैंगिक हमले के या लैंगिक हमले का प्रयास करने के अभियोजन में जहां सहमति का प्रश्न विचारणीय हो, परिवादी की जिरह में ऐसे प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होगी, जिनका संबंध उसके पूर्व लैंगिक इतिहास, चरित्र या आचरण से हो, जिसके द्वारा सहमति या सहमति का स्वरूप साबित किया जाए।

5.1.1. सुझाव संख्या 1 :—जहां तक प्रथम सुझाव का संबंध है, यह 1983 के अधिनियम 43 पर ध्यान दिए बिना ही रखा गया है, जिस अधिनियम द्वारा साक्ष्य अधिनियम में धारा 114क रखी गई थी, जो निम्नलिखित रूप में है :—

"114क. बलात्कार/बलात्संग संबंधी कतिपय अभियोजनों में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा :—भा०दं०सं० (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) के अधीन बलात्कार के अभियोजन में जहां अभियोगी द्वारा मैथुन सिद्ध हो गया है और यह प्रश्न है कि मैथुन बलात्कार की गई के रूप में अभिकथित स्त्री की सम्मति से किया गया था या उसके बिना और उसने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उसकी सहमति नहीं थी तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी।"

5.1.2. उपरोक्त धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें उस विषय का उपबन्ध किया गया है, जो साक्षी के प्रतिनिधि चाहते थे।

5.1.3 साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के विषय में सिफारिश :—यह इंगित करना आवश्यक है कि धारा 114क धारा 376(2) की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ङ) और खण्ड (छ) में उल्लिखित बलात्कार के गुरुतर रूपों तक ही सीमित है। यह धारा 376 की उपधारा (1) को लागू नहीं होती, यहां तक कि धारा 376क से 376घ को भी लागू नहीं होती किन्तु साक्षी के प्रतिनिधि यह भी चाहते थे कि ऐसी उपधारणा केवल "गुरुतर लैंगिक हमले" के बारे में की जाए और यही बात धारा 114क में उपबन्धित है। अतः 114क में, कुछ उपान्तरणों के सिवाय, जो भा०दं०सं० की धारा 375 में हमारे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आलोक में संशोधनों के रूप में करने होंगे, कोई अन्य संशोधन आवश्यक नहीं है।

5.1.4 साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क में उपान्तरण करने की सिफारिश :— तदनुसार, हम सिफारिश करते हैं कि धारा 114क में निम्नलिखित रूप में उपान्तरण किया जाए :—

"**114क. लैंगिक हमले संबंधी कतिपय अभियोजनों में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा** :— भा०दं०सं० (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क), या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) के अधीन लैंगिक हमले के अभियोजन में जहां अभियोगी द्वारा मैथुन सिद्ध हो गया है और यह प्रश्न है कि लैंगिक हमला किये गए के रूप में अभिकथित अन्य व्यक्ति की सहमति से किया गया था या उसके बिना और उसने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उसकी सहमति नहीं थी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी।"

स्पष्टीकरण :—इस धारा में और धारा 376ग तथा 376घ में "लैंगिक हमला" से धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (ङ) तक में उल्लिखित कार्यों में से कोई कार्य अभिप्रेत है। धारा 375 का स्पष्टीकरण भी लागू होगा।

5.1.4.1. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त उपधारणा विधि की ऐसी उपधारणा है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अर्थ में खण्डन योग्य ('उपधारणा करेगा') है।

5.1.5 शिकार व्यक्ति की आयु की बाबत उपधारणा करने के बारे में साक्षी के सुझावों पर विचार— : इस संबंध में हम साक्षी के एक अन्य सुझाव का उल्लेख करना चाहेंगे जो शिकार व्यक्ति की आयु की बाबत ऐसी ही उपधारणा करने

के बारे में है । तथापि, हमें ऐसा उपबन्ध करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि आयु का प्रश्न वस्तुतः तथ्य का विषय है और इसे न्यायालय के निर्णय के लिए छोड़ना बेहतर होगा ।

5.2.1. सुझाव संख्या 2 :— धारा 155 के संशोधन के सुझाव के उचित विचार के लिए यह उपयुक्त होगा कि पूरी धारा 155 को (उदाहरणों को छोड़कर) उद्धृत किया जाए । यह धारा निम्नलिखित रूप में है :—

"155. साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप :— किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सहमति से उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया, निम्नलिखित प्रकारों से आक्षेप किया जा सकेगा :—

(1) उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर, वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं ।

(2) यह साबित किए जाने के द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्थापना प्रतिगृहीत कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिये कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है ।

(3) उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से, जिसका खण्डन किया जा सकता है, असंगत पिछले कथनों को साबित करने द्वारा ।

(4) जबकि कोई मनुष्य बलात्संग के प्रयत्न के लिए अभियोजित है, तब यह दर्शित किया जा सकता है कि अभियोक्ती साधारणतया व्यभिचारिणी है ।

स्पष्टीकरण : —कोई साक्षी, जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताए, किन्तु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा और उन उत्तरों का, जिन्हें वह देता है, खण्डन नहीं किया जा सकता, तथापि यदि वे मिथ्या हों, तो तत्पश्चात् उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा ।

5.2.2. धारा 155 में वह रीति वर्णित है, जिसमें किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप किया जा सकता है । खण्ड (4) विशेष रूप से बलात्कार के अभियोजन के बारे में है । ऐसे अभियोजन में अधिनियम बलात्कार के लिए (या बलात्कार के प्रयास के लिए) अभियोजित व्यक्ति को यह दर्शाने की अनुज्ञा प्रदान करता है कि अभियोक्ती सामान्यतया व्यभिचारिणी थी । हमारी यह राय है कि इस खण्ड को हटा देना चाहिए । हमें लैंगिक हमले से (धारा 376ङ के अंतर्गत वर्णित) अपराध तथा शिकार व्यक्ति के सामान्य रूप से व्यभिचारी होने के बीच कोई सुसंगत या युक्ति-युक्त संबंध दिखाई नहीं देता है । कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी स्त्री के साथ बलपूर्वक मैथुन करने का अधिकार है, भले ही वह स्त्री सामान्य रूप से व्यभिचारिणी क्यों न हो । इस संदर्भ में हम उच्चतर न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (एआईआर 1996 एस सी 1393) के मामले में व्यक्त कुछ सुसंगत विचारों का उल्लेख करना चाहते हैं :

"15. हम विचारण न्यायालय के विचार से और अभियोक्ती के चरित्र पर दाग लगाने से अत्यंत तीव्र असहमति व्यक्त करना चाहते हैं । न्यायाधीश के सम्प्रेक्षणों में उस गम्भीरता का अभाव है, जो एक न्यायाधीश से अपेक्षित है । इस प्रकार के दाग लगाने से लैंगिक हमले के शिकार व्यक्ति, जो अपराधियों के विचारण के लिए शिकायत करने के प्रति उदासीन हैं, हतोत्साहित हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप समाज को यह बात सहन करनी होगी कि अपराधी परीक्षण से बच जाएं । न्यायालयों से स्वयं पर यह नियंत्रण रखने की अपेक्षा की जाती है कि जब वे ऐसे निष्कर्षों को लेखबद्ध करें, जिनके लैंगिक अपराधों के शिकार व्यक्ति के भविष्य के बारे में व्यापक परिणाम हो सकते हैं और समाज पर समस्त रूप से व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं—जिससे अपराध का शिकार व्यक्ति हतोत्साहित होता है और परिणामस्वरूप अपराध को बल मिलता है, ऐसे मामलों में भी, जो वर्तमान मामलों के समान नहीं है, जहां अभिलेख पर ऐसी स्वीकार्य योग्य सामग्री है, जिससे यह सिद्ध हो कि शिकार व्यक्ति मैथुन का अभ्यासी था, ऐसा कोई निष्कर्ष कि शिकार लड़की का "चरित्र अच्छा नहीं था" केवल उन परिस्थितियों से निकलना अनुज्ञात नहीं है । किसी मामले में यदि अभियोक्ति अपने यौन सम्बन्धों में पहले शिथिल चरित्र की भी रही है तब भी उसे हर एक के साथ मैथुन के लिए राजी हो जाने से इनकार करने का अधिकार है क्योंकि वह हर किसी के द्वारा लैंगिक हमले की वस्तु या शिकार होने के लिए बाध्य नहीं है, न्यायालयों द्वारा ऐसे किसी साक्षी पर ऐसा कोई दाग नहीं लगाना चाहिए जैसा कि इस मामले में लगाया गया है क्योंकि न्यायालय में विचारण अपराधी का हो रहा है न कि लैंगिक अपराध के शिकार व्यक्ति का ।"

5.2.3. साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के खण्ड (4) को हटाने की सिफारिश :— इस संदर्भ में विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस विषय पर चर्चा की गई है । रिपोर्ट के अध्याय 7 में मद "V. पूर्व का लैंगिक इतिहास" के अंतर्गत आयोग ने धारा 155 के खण्ड चार में संशोधन करने की वांछनीयता पर बल

दिया था । (ऐसे प्रश्नों को केवल उस सीमा तक अनुज्ञात करने के लिए, जिसका संबंध अभियुक्त के साथ अभियोक्ती के पिछले यौन संबंधों से है किन्तु अभियोक्ती के सामान्य दुश्चरित्र या पूर्ववर्ती लैंगिक अनुभव के बारे में प्रश्नों की अनुमति नहीं होगी) तथा धारा 146 में एक नया खण्ड, खण्ड (4) जोड़ने पर भी बल दिया था । आयोग ने वास्तव में अधिनियम में एक नई धारा 53क जोड़ने की सिफारिश की थी । यहां यह आवश्यक नहीं है कि उन सभी कारणों का उल्लेख किया जाए, जो धारा 155 के खण्ड (4) के संशोधन के समर्थन में 84वीं रिपोर्ट में दिये गये है क्योंकि ऐसे संशोधन के प्रयोजनों को हमने धारा 146 में सम्मिलित कर लिया है । इस दृष्टि से धारा 155 के खण्ड (4) का उपबंध नहीं रह जाता । अतः हम धारा 155 के खण्ड (4) को हटाने की सिफारिश करते हैं ।

5.3.1. सुझाव संख्या 3 : —जहां तक धारा 140 में एक नया खण्ड, अर्थात् खण्ड (4) जोड़ने का संबंध है, विधि आयोग ने 84वीं रिपोर्ट में इसे निम्नलिखित रूप में जोड़ने का सुझाव दिया था :—

"(4) बलात्कार या बलात्कार करने के प्रयास के लिए अभियोजन में जहां मैथुन या मैथुन के प्रयास के लिए सहमति का प्रश्न उठता है, वहां अभियोक्ति के सामान्य रूप से व्यभिचारी चरित्र के बारे में अथवा अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व यौन अनुभवों के बारे में, ऐसी सहमति अथवा सहमति के स्वरूप को साबित करने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा अभियोक्ती से जिरह में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।"

5.3.2. विधि आयोग ने 84वीं रिपोर्ट में एक नई धारा 53क, निम्नलिखित रूप में जोड़ने की सिफारिश की थी : —

"53क. बलात्कार या बलात्कार करने के प्रयास के किसी अभियोजन में, जहां मैथुन या मैथुन करने का प्रयास करने के लिए सहमति का प्रश्न उठता है, अभियोक्ती से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व यौन अनुभव का साक्ष्य, ऐसी सहमति या सहमति के स्वरूप के प्रश्न पर सुसंगत नहीं होगा ।"

5.3.3. स्पष्ट है कि धारा 53 को जोड़ने की सिफारिश इस कारण से की गई थी को धारा 146 केवल जिरह में पूछे जाने वाले प्रश्नों तक सीमित है और अतः उसका क्षेत्र सीमित है जबकि धारा 53क काफी विस्तृत है और ऐसे साक्ष्य को किसी भी रीति से प्रस्तुत करने को प्रतिबंधित करती है ।

5.3.4. 84वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का पुनः समर्थन और न्यू साउथ वेल्स लॉ रिफोर्म्स कमीशन की सिफारिशों का उल्लेख : —हम विधि आयोग की 84 वीं रिपोर्ट में शामिल उपरोक्त सिफारिशों से सहमत हैं और उनका समर्थन करते हैं । इस संदर्भ में हम न्यू साउथ वेल्स लॉ कमीशन द्वारा क्राइम्स ऐक्ट, 1900 (न्यू साउथ वेल्स) की धारा 409बी में संशोधन करने के प्रस्तावों का भी उल्लेख करना चाहते हैं । न्यू साउथ वेल्स एक्ट की धारा 409बी की उपधारा (2) में उपबन्ध है कि "विहित लैंगिक अपराध की कार्यवाही में परिवादी के लैंगिक संबंधी की कुख्याति के बारे में साक्ष्य अनुज्ञेय है" । उपधारा (3) में भी परिवादी के किसी लैंगिक अनुभव या लैंगिक अनुभव के अभाव के साक्ष्य को कुछ विशेष परिस्थितियों के सिवाय प्रतिबंधित किया गया है । न्यू साउथ वेल्स लॉ कमीशन ने विद्यमान उपधारा (2) को उपधारा (2) के खण्ड (क) के रूप में बनाए रखने की तथा उपधारा (2) में एक नया खण्ड तथा खण्ड (ख) जोड़ने की प्रस्तावना की है । कमीशन ने उपधाराएं (3) से (11) जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा है । तथापि, हम उक्त प्रस्तावित सभी उपधाराओं को उद्धृत नहीं करना चाहते, सिवाय उपधारा (2) के, जो निम्नलिखित रूप में है :—

"(2) (क) उस कार्यवाही में, जिसे यह धारा लागू होती है, परिवादी के यौन जीवन के संबंध में साक्ष्य की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) उपधारा (2) (क) में किसी बात के होते हुए भी, परिवादी के यौन अनुभव या यौन कार्यों में से किसी का अथवा अनुभव या कार्यों के अभाव का कोई साक्ष्य केवल इस कारण से प्रतिबन्धित नहीं होगा कि उसका संबंध परिवादी की यौन संबंधी प्रतिष्ठा से है ।"

5.3.5. तुरंत ध्यान में लाने की दृष्टि से हम धारा 409ब को जिस रूप में वह इस समय है, तथा न्यू साउथ वेल्स लॉ रिफोर्म्स कमीशन द्वारा सुझाए गये उसके संशोधित रूप को भी संलग्न कर रहे हैं । (उपाबन्ध-च) (सिफारिश नवम्बर 1998 में की गई थी) ।

5.3.6. हम नहीं समझते कि हमें न्यू साउथ वेल्स लॉ रिफोर्म्स कमीशन द्वारा धारा 209ब को उपधारा (2) के खण्ड (ख) के रूप में अथवा उपधारा (3) से (7) तक के रूप में जोड़ने के लिए प्रस्तावित उपबन्धों का, जो कि अत्यन्त अंतर्वस्तु और उलझे हुए हैं, साक्ष लेने की कोई आवश्यकता है । यहां जिस उपबन्ध का सुझाव दिया गया है वह पर्याप्त है । हां, इस बात का विनिश्चय सरकार को करना है कि न्यू साउथ वेल्स लॉ रिफोर्म्स कमीशन ने जिस प्रकार के उपबन्धों का सुझाव दिया है वे रखे जाने चाहिए या नहीं ।

5.3.7. धारा 375 में हमने जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, उसके आलोक में धारा 53क और धारा 146 के खण्ड (4) की भाषा में, जिनकी सिफारिश विधि आयोग ने 84वीं रिपोर्ट में की है, उपान्तरण और परिवर्तन करने होंगे।

5.3.8. साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा 53क और धारा 146 के प्रस्तावित खण्ड (4) में सिफारिश किए गये पारिणामिक संशोधन :—तदनुसार, हम साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करने की सिफारिश करते है : —

5.3.8.1. धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए :—

"53क. धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, या 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए अथवा किसी ऐसे अपराध को करने का प्रयास करने के लिए अभियोजन में, जहां सहमति का प्रश्न विचारणीय है, शिकार व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य अथवा किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सहमति या सहमति के स्वरूप के प्रश्न पर सुसंगत नहीं होगा ।"

5.3.8.2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में निम्नलिखित खण्ड, खण्ड (3) के पश्चात्, जोड़ा जाए : —

"(4) धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए अथवा किसी ऐसे अपराध को करने का प्रयास करने के लिए अभियोजन में, जहां सहमति का प्रश्न विचारणीय है, शिकार व्यक्ति के सामान्य व्याभिचारी चरित्र के बारे में या किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में, ऐसी सहमति या सहमति के स्वरूप को साबित करने के लिए, कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की अथवा शिकार व्यक्ति की जिरह में कोई प्रश्न पूछने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।"

अध्याय छह

साक्षी के प्रकीर्ण सुझाव

6.1 साक्षी के प्रतिनिधियों ने तीन अन्य सुझाव दिए हैं, जिनका हमने इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में मद 11 12 और 13 के रूप में उल्लेख किया है । जहां तक मद 11 पर दिए गये सुझाव का संबंध है, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि "उसके सिवाए, जो अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से उपबंधित है, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया जाने वाला समस्त साक्ष्य अपराधी की उपस्थिति में लिया जाएगा या जब उसे स्वयं उपस्थित रहने से छूट दी गई हो, उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा" । हम नहीं समझते कि इस सामान्य सिद्धांत को, जो नैसर्गिक सिद्धांत पर आधारित है, लैंगिक अपराधों से संबंधित विचारणों और जांचों में सर्वथा त्याग दिया जाए । उचित मामलों में, अभियोजन को, न्यायालय से यह निवेदन करने की छूट दी जा सकती है कि वह ऐसी रीति से एक पर्दे की व्यवस्था करे ताकि शिकार व्यक्ति अभियुक्त को न देख सके और साथ ही अभियुक्त को शिकार व्यक्ति की गवाही को सुनने का अवसर भी प्रदान रहे और वह प्रभावपूर्ण जिरह के लिए अपने अधिवक्ता को उचित अनुदेश दे सके । तथापि, इस विषय में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में निम्नलिखित आशय का एक परंतुक जोड़ा जा सकता है :—

"परन्तु जहां सोलह वर्ष से कम आयु के ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना है, जिस पर लैंगिक हमला होने या कोई अन्य लैंगिक अपराध होने का अभिकथन है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय कर सकती है कि ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त का जिरह करने का अधिकार भी सुनिश्चित हो जाए ।"

यह परंतुक धारा के स्पष्टीकरण के ऊपर जोड़ा जा सकता है ।

6.2. मद 12 पर उल्लिखित सुझाव हमारी राय में अव्यावहारिक है : उक्त निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है । मद 13 के अंतर्गत सुझाव के संबंध में भी हम यही टिप्पणी करते हैं अतः हम साक्षी के उपरोक्त निवेदनों के आधार पर और प्रस्तावित रूप में इस समय कोई सिफारिश करने में असमर्थ हैं ।

अध्याय सात

निष्कर्ष

7.1. पूर्ववर्ती अध्यायों में की गई चर्चा के आधार पर आयोग की यह विचारपूर्ण राय है कि भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निम्नलिखित संशोधन करने की आवश्यकता है।

7.2. भारतीय दंड संहिता, 1860 में परिवर्तनों की सिफारिश

7.2.1. भा०दं०सं० की विद्यमान धारा 375 के प्रतिस्थापन की सिफारिश :—हम तदनुसार स्पष्ट करते है कि विद्यमान धारा 375 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए :—

"375. लैंगिक हमला :—लैंगिक हमले से, निम्नलिखित छह भांति की परिस्थितियों में,—

(क) किसी व्यक्ति की योनि (जिस पद के अंतर्गत सावित्री मेजोरा भी है), गुदा या मूत्राशय में—

(1) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का या

(2) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साधित किसी वस्तु का

ऐसी दशा के सिवाए प्रवेशन जहां ऐसा प्रवेशन उचित शारीरिक स्वच्छता या चिकित्सा प्रयोजनों के लिये किया जाता है;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को ऐसे साधित करना जिससे कि अपराधी की योनि (जिसके अंतर्गत सावित्री मेजोरा भी है), गुदा या मूत्राशय में अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेशन हो;

(ग) किसी व्यक्ति के लिंग के किसी भाग का किसी अन्य व्यक्ति के मुख में प्रवेश;

(घ) कनीलिंगस या फेलाशियों में निमग्नता; या

(ङ) ऊपर के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में यथा परिभाषित लैंगिक हमले की जारी रखना।

छः भांति की परिस्थितियां निम्नलिखित है—

पहला—अन्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा—अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना।

तीसरा—अन्य व्यक्ति की सम्मति से, जब उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहृति के भय में डालकर प्राप्त की गई है।

चौथा—जहां अन्य व्यक्ति स्त्री है वहां उसकी सम्मति से, जबकि वह पुरुष जानता है कि वह उस अन्य व्यक्ति का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि अपराधी ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवां—उस अन्य व्यक्ति की सम्मति से, जबकि, ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता के कारण या अपराधी द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देता है या देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठा—अन्य व्यक्ति की सम्मति या बिना सम्मति के जब ऐसा अन्य व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये, किसी भी मात्रा में प्रवेशन प्रवेशन है।

अपवाद : किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन लैंगिक हमला नहीं है यदि पत्नी 16 वर्ष से कम आयु की नहीं है।"

इसके अतिरिक्त, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अपवाद का लोप कर दिया जाए।

(पूर्ववर्ती पैरा 3.1.2. और 3.1.2.1.)

7.2.2. भा०दं०सं० की धारा 376 को नए रूप में रखने की सिफारिश :—धारा 376 को निम्नलिखित नए रूप में रखा जाए :

"376. लैंगिक हमले के लिये दण्ड—(1) जो कोई, उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाए, लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष

तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री, जिस पर लैंगिक हमला किया गया है, उसकी पत्नी है और सोलह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

यदि लैंगिक हमला ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो हमला करने व्यक्ति के साथ न्यास/विश्वास या प्राधिकारी की स्थिति में है अथवा हमलाग्रस्त व्यक्ति का निकट संबंधी है तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, इस उपधारा में विहित न्यूनतम दण्ड से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(2) जो, कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए—

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, लैंगिक हमला करेगा; या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, लैंगिक हमला करेगा; या

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करेगा; या

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठा कर, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, लैंगिक हमला करेगा ; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के, या स्त्रियों या बालक की किसी संस्था के, प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी पर लैंगिक हमला करेगा ; या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करेगा; या

(ङ) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, लैंगिक हमला करेगा ; या

(च) किसी व्यक्ति पर, जो बारह वर्ष से कम आयु का है, लैंगिक हमला करेगा ; या

(छ) सामूहिक लैंगिक हमला करेगा;

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं हो सकेगी, दण्डादेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण 1 :— जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक लैंगिक हमला किया है।

स्पष्टीकरण 2 :— 'स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था' से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हो।

स्पष्टीकरण 3 :—'अस्पताल' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता भी है जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को, ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है।"

(पूर्ववर्ती पैरा 3.2.3)

7.2.3. भा.द.सं. की धारा 376क में उपान्तरण की सिफारिश :—धारा 376 क निम्नलिखित रूप में रखी जाए :—

"376 क. पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी पर लैंगिक हमला :—जो कोई अपनी पत्नी पर, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन उससे पृथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी और जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

(पूर्ववर्ती पैरा 3.3.1.)

7.2.4. धारा 376ख, 376ग, 376घ का संशोधन :—इन अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम दण्ड में वृद्धि करने की सिफारिश करते है और यह न्यूनतम दण्ड 5 वर्ष से कम नहीं होगा । हमने एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा है जो इन तीनों धाराओं को शासित करेगा । स्पष्टीकरण में "मैथुन" की परिभाषा दी गई है जिसका अर्थ धारा 37 के खण्ड(क) से खण्ड(ङ) तक में उल्लिखित कार्यों में से किसी से भी होगा । तथापि, धारा 375 का स्पष्टीकरण—इस धारा में यथा परिभाषित मैथुन की दशा में भी लागू होगा ।

तदनुसार, भा० दं० सं० की उपांतरित धाराएं 376ख, 376ग, 376घ निम्नलिखित रूप में रखी जाए :

"376 ख. लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ मैथुन :—जो कोई, लोक सेवक होते हुए, अपनी आस-कीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में है या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा, जो मैथुन लैंगिक हमले के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, पांच वर्ष से कम अवधि तक के कारावास का दण्ड दे सकता है ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा में और धारा 376ग तथा 376घ में "मैथुन" से उन कार्यों में से कोई भी अभिप्रेत है जो धारा 375(क) से (ङ) तक में उल्लिखित है। धारा 375 का स्पष्टीकरण भी लागू होगा ।"

"376ग. जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, आदि के अधीक्षक द्वारा मैथुन :—जो कोई, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था की किसी स्त्री या पुरुष निवासी को अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो लैंगिक हमले के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम भी नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, पांच वर्ष से कम अवधि तक के कारावास का दण्ड दे सकता है ।

स्पष्टीकरण 1 :—किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है ।

स्पष्टीकरण 2 :—स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 में है ।"

"376घ. अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी के साथ मैथुन :—जो कोई किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी अस्पताल के कार्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में, किसी के साथ मैथुन करेगा जो लैंगिक हमले की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, पांच वर्ष से कम अवधि तक के कारावास का दण्ड दे सकता है ।

स्पष्टीकरण :—"अस्पताल" पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 3 में है।"

(पूर्ववर्ती पैरा 3.4 और 3.4.1.)

7.2.5. नई धारा 376ङ को अंत:स्थापित करने की सिफारिश :—एक नई धारा, अर्थात् धारा 376ङ भा० दं० सं० में निम्नलिखित रूप में अंत:स्थापित की जाए :

"376 ङ. विधिविरुद्ध लैंगिक संपर्क :—(1) जो कोई, लैंगिक आशय से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के, जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है, ऐसे अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसके शरीर के किसी भाग को शरीर के किसी भाग या किसी अन्य वस्तु से स्पर्श करेगा वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई, लैंगिक आशय से किसी नौजवान व्यक्ति को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को, शरीर के किसी भाग या वस्तु से स्पर्श करने के लिए आमंत्रित करता है या सलाह देता है अथवा उत्प्रेरित करता है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति का शरीर भी है जो ऐसा आमंत्रण या सलाह देता है या उत्प्रेरणा देता है, अथवा, लैंगिक आशय से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी नौजवान व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी भाग या किसी अन्य वस्तु से, स्पर्श करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई, किसी व्यक्ति नौजवान व्यक्ति के प्रति न्यास/विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में होते हुए अथवा जिसके साथ नौजवान व्यक्ति आश्रित के रूप में संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, लैंगिक आशय से, ऐसे नौजवान व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को किसी वस्तु से स्पर्श करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उपधारा में और उपधारा (2) में "नौजवान व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु सोलह वर्ष से कम है ।"

(पूर्ववर्ती पैरा 3.5 और 3.5.1)

7.2.6. धारा 377 का हटाया जाना :—धारा 375 से धारा 388क में हमने जो परिवर्तन किए हैं उनके आलोक में भा० दं० सं० की धारा 377 को हटा दिया जाना चाहिए । हम उन व्यक्तियों को जो पशुओं के साथ मैथुन करते है उन्हीं के भाग्य पर छोड़ते हैं ।

(पूर्ववर्ती पैरा 3.6)

7.2.7. धारा 509 का संशोधन:—हम सिफारिश करते है कि विद्यमान धारा 509 में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जाए :—

"509. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य को जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है :—जो कोई, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

(पूर्ववर्ती पैरा 3.7)

7.2.8. भा० दं० सं० में नई धारा 166 की सिफारिश :—हम सिफारिश करते है कि भा० दं० सं० में एक नई धारा निम्नलिखित रूप में रखी जाए :—

166 क. जो कोई लोक सेवक होते हुए—

(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है जो उसे किसी व्यक्ति को किसी अपराध का या अन्य मामले का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा करने का प्रतिषेध करता है;

(ख) विधि के किसी ऐसे निर्देश की जानबूझ कर अवज्ञा करता है जो उस रीति को विनियमित करती है जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा जिसका ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।"

(पूर्ववर्ती पैरा 3.8 और 3.8.1)

7.2.9. इस प्रक्रम पर "सहमति" पद की परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है ।

(पूर्ववर्ती पैरा 3.9)

7.3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिवर्तनों की सिफारिश

7.3.1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 160 में उपधारा (3) और (4) का अंतःस्थापन :—हम सिफारिश करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में निम्नलिखित दो उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(3) जहां इस अध्याय के अधीन, किसी महिला का वक्तव्य अपराध की प्रथम सूचना के रूप में या किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में लेखबद्ध करना हो और वह महिला वह व्यक्ति है जिसकी बाबत भा० दं० सं० की धारा 354, 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ङ या 509 के अधीन किसी अपराध का किया जाना या प्रयत्न किया जाना अभिकथित है, वहां ऐसा वक्तव्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में आसपास में उपलब्ध किसी महिला सरकारी सेवक द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और सरकारी महिला सेवक के उपलब्ध न होने की दशा में स्त्रियों और बालकों के कल्याण से हितबद्ध किसी संगठन द्वारा प्राधिकृत किसी महिला द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा ।

(4) ऐसे मामले में जहां उपधारा (3) में उल्लिखित किसी विकल्प को इस कारण नहीं अपनाया जा सकता कि कोई भी महिला पुलिस अधिकारी या सरकारी महिला सेवक या स्त्रियों और बालकों के कल्याण में हितबद्ध प्राधिकृत कोई महिला उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, ऐसी शिकार महिला के वक्तव्य को उसके किसी संबंधी की उपस्थिति में लेखबद्ध करने के लिए अग्रसर होगा ।"

(पूर्ववर्ती पैरा 4.2.3 और 4.2.3.1)

7.3.2. धारा 160 की उपधारा (1) के परन्तुक का उपान्तरण :—हम धारा 160 की उपधारा (1) के परंतुक में उल्लिखित आयु को पन्द्रह वर्ष से सोलह वर्ष बढ़ाने की सिफारिश करते हैं ।

(पूर्ववर्ती पैरा 4.3)

7.3.3. धारा 160 की उपधारा (1) के परंतुक को प्रतिस्थापित करने की सिफारिश :—हम सिफारिश करते हैं कि ऊपर उल्लिखित उपान्तरण के अतिरिक्त धारा 160 की उपधारा के परंतुक को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाए :

"परन्तु ऐसे किसी पुरुष से, जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, या किसी स्त्री से ऐसे स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जहां ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है । वक्तव्य दर्ज करते समय उस व्यक्ति की पसंद के जिसका वक्तव्य दर्ज किया जाना है, किसी नातेदार या मित्र या सामाजिक कार्यकर्ता को उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । ऐसा नातेदार, मित्र या सामाजिक कार्यकर्ता जिसे उपस्थित रहने की अनुज्ञा दी गई हो, वक्तव्य दर्ज किये जाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा ।"

(पूर्ववर्ती पैरा 4.3.1 और 4.3.2)

7.3.4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नई धारा, अर्थात् धारा 164क का जोड़ा जाना :—हम सिफारिश करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित धारा 164क जोड़ी जाए :—

"164क. (1) जहां, उस प्रक्रम पर जब धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 376ङ के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण किया जा रहा हो और शिकार व्यक्ति की परीक्षा किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से कराने का प्रस्ताव हो, वहां ऐसी परीक्षा शिकार व्यक्ति की सम्मति से अथवा उसकी ओर से ऐसी सम्मति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सम्मति से किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी । सभी मामलों में, शिकार व्यक्ति को अविलम्ब ऐसी परीक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए :

परन्तु यदि ऐसा शिकार व्यक्ति कोई महिला है, तो परीक्षा जहां तक संभव हो किसी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसके पास शिकार व्यक्ति को भेजा जाता है, अविलम्ब शिकार व्यक्ति के शरीर की परीक्षा करेगा और अपनी परीक्षा के परिणाम को विनिर्दिष्ट रूप से दर्ज करते हुए और निम्नलिखित ब्यौरों के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा :—

(i) शिकार व्यक्ति का और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लेकर आया है या आई है,

(ii) शिकार व्यक्ति की आयु,

(iii) शिकार व्यक्ति के शरीर पर मिली चोटें,

(iv) शिकार व्यक्ति की सामान्य मानसिक दशा, और

(v) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां ।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारण संक्षिप्त में दर्ज किए जाएंगे ।

(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह दर्ज किया जाएगा कि ऐसे शिकार व्यक्ति की या उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सम्मति प्राप्त कर ली गई थी ।

(5) परीक्षा आरम्भ और पूर्ण करने का निश्चित समय भी रिपोर्ट में दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी रिपोर्ट को अविलम्ब अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा ।

(6) इस धारा की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि शिकार व्यक्ति की अथवा उसकी ओर से सम्मति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना की गई परीक्षा विधिपूर्ण है ।"

(पूर्ववर्ती पैरा 4.5.1 और 4.5.2)

7.3.5. दंड प्रक्रिया संहिता में नई धारा 53क की सिफारिश :—प्रस्तावित धारा 53क निम्नलिखित रूप में होगी :—

"53क. (1) जब धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ङ के अधीन किन्हीं अपराधों अथवा उक्त अपराधों को करने का प्रयास करने के अपराधी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और इस धारा के अधीन उसके शरीर की परीक्षा की जानी है तो उसे, अविलम्ब, उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा जिसके द्वारा परीक्षा की जानी है ।

(2) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसे ऐसी परीक्षा करनी है, अविलम्ब, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें परीक्षा के परिणाम विनिर्दिष्ट रूप से दर्ज किये जाएंगे और निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :

(i) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लेकर आया है,

(ii) अभियुक्त की आयु,

(iii) अभियुक्त के शरीर पर मिली चोटें, और

(iv) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां ।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारण संक्षिप्त में दर्ज किए जाएंगे ।

(4) परीक्षा आरम्भ और पूर्ण करने का निश्चित समय भी रिपोर्ट में दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी रिपोर्ट को अविलम्ब अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा ।"

(पूर्ववर्ती पैरा 4.6.2)

7.3.6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची में पारिणामिक संशोधनों की सिफारिश :—भा० दं० सं० में प्रस्तावित संशोधनों के परिणाम स्वरूप भा० दं० सं० की धारा 376 से 376 घ, धारा 377 और धारा 509 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करना होगा और नई धारा 376ङ के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित करनी होंगी :

376	लैंगिक हमला	आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना	वही	गैरजमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी पुरुष द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी पर लैंगिक हमला	3 वर्ष का कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	गैरजमानतीय	वही
	हमलाग्रस्त व्यक्ति के प्रति प्राधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा अथवा किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया लैंगिक हमला	आजीवन कारावास या जुर्माना	संज्ञेय	गैरजमानतीय	वही

	पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के जो स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध या कर्मचारी-वृन्द में होते हुए अथवा किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी-वृन्द में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक हमला	आजीवन कारावास या जुर्माना	संज्ञेय	गैरजमानतीय	सेशन न्यायालय
376क	पति द्वारा अपनी पत्नी पर प्रथक्करण के दौरान लैंगिक हमला	7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना	संज्ञेय (केवल शिकार गैरजमानतीय महिला के परिवाद पर)		वही
376ख	किसी लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला	10 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना	संज्ञेय (किन्तु कारण के बिना या मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी)	गैरजमानतीय	वही
376ग	जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा लैंगिक हमला	वही	वही	वही	वही
376घ	अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री पर लैंगिक हमला	वही	वही	वही	वही
376ङ	विधिविरुद्ध लैंगिक संपर्क	2 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट
	किसी नौजवान के साथ विधिविरुद्ध लैंगिक संपर्क	3 वर्ष का कारावास	संज्ञेय यदि अपराध करने के बारे में इत्तिला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या वंशज के रूप में या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित के रूप में किसी नातेदार द्वारा अथवा यदि ऐसा कोई नातेदार नहीं है तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के किसी लोक सेवक द्वारा जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त अधिसूचित किया हो, दी जा रही है	गैरजमानतीय	वही
	किसी नौजवान के प्रति न्यास/विश्वास या प्राधिकारी की हैसियत वाले किसी व्यक्ति द्वारा विधि विरुद्ध लैंगिक संपर्क	7 वर्ष का कारावास व जुर्माना	वही	गैरजमानतीय	सेशन न्यायालय

377	हटाइए	हटाइए	हटाइए	हटाइए	हटाइए
510	किसी स्त्री आदि की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित किसी शब्द का उच्चारण करना या अंगविक्षेप करना	3 वर्ष का कारावास	संज्ञेय	गैरजमानतीय	प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट

(पूर्ववर्ती, पैरा 4.7)

7.3.7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1978 की धारा 198 की उपधारा (6) का संशोधन :—भा०दं०सं० की धारा 376 के प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप दं०प्र०सं० की धारा 198 की उपधारा (6) में निम्नलिखित रीति में संशोधन किया जाएगा :

"मैथुन" शब्द के स्थान पर "लैंगिक हमला" तथा "पन्द्रह" के स्थान पर "सोलह" शब्द रखे जाएंगे।

(पूर्ववर्ती पैरा 4.8)

7.3.8. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में नई धारा 198ख का जोड़ा जाना :—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 198क के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 198ख जोड़ी जाएगी :

"**भारतीय दंड संहिता की धारा 376ङ की उपधारा (2) और (3) के अधीन अपराधों का अभियोजन :**—कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) की धारा 376ङ की उपधारा (2) और (3) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब के सिवाए नहीं लेगा जब उन तथ्यों की जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं कोई पुलिस रिपोर्ट हो या अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहिन अथवा वंशज के रूप में या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई परिवाद हो।"

(पूर्ववर्ती पैरा 4.9)

7.3.9. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 273 का संशोधन :—धारा 273 में स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए :—

"परन्तु जहां सोलह वर्ष से कम आयु के ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना है जिस पर लैंगिक हमला होने या कोई अन्य लैंगिक अपराध होने का अभिकथन है वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय कर सकती है कि ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त का जिरह करने का अधिकार भी सुनिश्चित हो जाए।"

(पूर्ववर्ती पैरा 6.1)

7.4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में सिफारिश किये गए परिवर्तन

7.4.1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के उपान्तरण की सिफारिश :—हम सिफारिश करते हैं कि धारा 114क में निम्नलिखित रूप में उपान्तरण किया जाए :—

"**114क. लैंगिक हमले संबंधी कतिपय अभियोजनों में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा :**—भा०दं०सं० (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) के अधीन लैंगिक हमले के अभियोजन में जहां अभियोगी द्वारा मैथुन सिद्ध हो गया है और यह प्रश्न है कि लैंगिक हमला किये गए के रूप में अभिकथित अन्य व्यक्ति की सहमति से किया गया था या उसके बिना और उसने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उसकी सहमति नहीं थी तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी।"

स्पष्टीकरण :—इस धारा में और धारा 376ग तथा 376घ में "लैंगिक हमला" से धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (ङ) तक में उल्लिखित कार्यों में से कोई कार्य अभिप्रेत है। धारा 375 का स्पष्टीकरण भी लागू होगा।

(पूर्ववर्ती पैरा 5.1.4)

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त उपधारणा विधि की ऐसी उपधारणा है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अर्थ में खण्डन योग्य ('उपधारणा करेगा') है।

(पूर्ववर्ती पैरा 5.1.4.1)

7.4.2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के खण्ड (4) का हटाया जाना :—हम सिफारिश करते है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के खण्ड (4) को हटा दिया जाए।

(पूर्ववर्ती, पैरा 5.2.2 और 5.2.3)

7.4.3. साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा 53क में सिफारिश किए गए कारिवाहिक संशोधन :—हम सिफारिश करते है कि धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ दी जाए :—

"53क. धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए अथवा किसी ऐसे अपराध को करने का प्रयास करने के लिए अभियोजन में, जहां सहमति का प्रश्न विचारणीय है, शिकार व्यक्ति के चरित्र का साक्ष्य अथवा किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सहमति या सहमति के स्वरूप के प्रश्न पर सुसंगत नहीं होगा।"

(पूर्ववर्ती, पैरा 5.3.8.1)

7.4.4. साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में खण्ड (4) का अंतःस्थापन :—साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में निम्नलिखित खण्ड, खण्ड (3) के पश्चात् जोड़ा जाए :—

"(4) धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए अथवा किसी ऐसे अपराध को करने का प्रयास करने के लिए अभियोजन में, जहां सहमति का प्रश्न विचारणीय है, शिकार व्यक्ति के सामान्य व्यभिचारी चरित्र के बारे में या किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में, ऐसी सहमति या सहमति के स्वरूप को साबित करने के लिए, कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की अथवा शिकार व्यक्ति की जिरह में कोई प्रश्न पूछने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।"

(पूर्ववर्ती पैरा 5.3.8.2)

तदनुसार हम सिफारिश करते है और सरकार से आग्रह करते है कि वह तीनों अधिनियमों में, अर्थात्, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रनिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमारे प्रस्तावों के अनुसार संशोधन करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करे।

हस्ताक्षर
(न्यायाधिपति वी० पी० जीवन रेड्डी) (सेवा निवृत्त)
अध्यक्ष

हस्ताक्षर
(न्यायाधिपति लीला सेठ) (सेवानिवृत्त)
सदस्य

हस्ताक्षर
(डॉ० एन० एम० घटाटे)
सदस्य

हस्ताक्षर
(डॉ० सुभाष चन्द्र जैन)
सदस्य सचिव

तारीख : 13-03-2000

उपाबन्ध क

साक्षी द्वारा दाखिल किया गया ता० 3-8-99 का शपथपत्र

भारत का उच्चतम न्यायालय

दांडिक प्रारम्भिक अधिकारिता

रिट याचिका (दांडिक) 1997 की 33

साक्षी — याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का राज्य संघ — प्रत्यर्थी

भाग I : विधि आयोग और भारत सरकार के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत संक्षिप्त प्रश्न

1. बालकों के लैंगिक शोषण के मामलों में चौंकाने वाली बढ़ती हुई घटनाओं और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा धारा 376(2) (च) विनिर्दिष्ट रूप से जोड़ी गई थी, जिस धारा में 12 वर्ष से कम किसी भी आयु की बालिका पर "बलात्कार" के अपराध का उल्लेख किया गया है, यह प्रश्न उठता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में यथावर्णित "मैथुन" पद में क्या सभी प्रकार के प्रवेशन जैसे लैंगिक/योनि प्रवेशन, लैंगिक/मुख प्रवेशन, लैंगिक/गुदा प्रवेशन, अंगुल/योनि और अंगुल/गुदा प्रवेशन तथा वस्तु/योनि प्रवेशन सम्मिलित किए जाने चाहिए या नहीं; तथा क्या "प्रवेशन" पद को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के स्पष्टीकरण में उक्त रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए या नहीं (कृपया इस भाग से संलग्न परिशिष्ट "क" का टिप्पण-1 देखिए)।

2. क्या धारा 375 (बलात्कार/बलात्संग) के स्पष्टीकरण में "प्रवेशन" के सीमित निर्वचन से धारा 376(2) (च) के अंतर्गत बलात्कार के लिए दंड—"जो कोई भी किसी स्त्री से जो 12 वर्ष से कम आयु की है बलात्संग करेगा" का मूल प्रयोजन और उद्देश्य नष्ट हो जाता है (कृपया इस भाग से संलग्न परिशिष्ट "क" का टिप्पण-2 देखिए)।

3. क्या 12 वर्ष के कम आयु के बालक का प्रवेशन दुरुपयोग प्रवेशन के स्वरूप के अनुसार भा०दं०सं० की धारा 377 के अंतर्गत "प्रकृति विरुद्ध अपराध" के रूप में, यदि प्रवेशन लैंगिक/मुख प्रवेशन और लैंगिक/गुदा प्रवेशन है तो अथवा यदि यह अंगुल प्रवेशन या किसी अन्य वस्तु का प्रवेशन है तो धारा 354 के अन्तर्गत "स्त्री की लज्जा भंग करने" के अपराध के रूप में, अन्यथा अपने मन के अनुसार वर्गीकृत करना भविष्य में बंद किया जाना चाहिए या नहीं।

4. क्या 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ उसकी सहमति के बिना प्रवेशन को धारा 377 के अंतर्गत अपराध ("प्रकृति के विरुद्ध") के रूप में माना जाना सहमति पूर्ण प्रवेशन के अन्य रूपों के सदृश्य (जैसे सहमतिपूर्ण समलैंगिक मैथुन) वहां भी जारी रहना चाहिए जहां सहमति लेने वाले पक्षकार को उत्प्रेरक के रूप में अथवा अन्यथा उत्तरदायी माना जा सकता है (कृपया इससे संलग्न परिशिष्ट "क" का टिप्पण-3(ख) देखिए)।

परिशिष्ट क

टिप्पण 1 :—1983 से पूर्व बलात्कार की विधि में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित उपबन्धित था :—

(क) भा०दं०सं० की धारा 375 और 376 के अंतर्गत बलात्कार किसी स्त्री के साथ असहमति से मैथुन के रूप में परिभाषित था। भा०दं०सं० की धारा 375 के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित उपबन्धित है :

"बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है।"

भा०दं०सं० की धारा 376 के अंतर्गत उपरोक्त बलात्संग के लिए कारावास का, जिसकी अवधि आजीवन या दस वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने का दंड है।

(ख) दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के पश्चात् विधि में पहली बार यह उपबन्ध किया गया कि "जो कोई किसी स्त्री के साथ जब उसकी आयु 12 वर्ष से कम है, बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा"। धारा 376 (2) (च),

6—36 M. of L. J. & C.A.I.C. (ND)/2000.

धारा 375, जो 16 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ बलात्संग तक सीमित थी, संतुष्ट न होने के कारण 1983 में लाए गये उपबन्ध में पहली बार 12 वर्ष से कम आयु की किसी भी स्त्री या लड़की के साथ बलात्संग के अपराध का उपबन्ध किया गया। किसी लड़की के साथ योनि संबंधी/गुदा संबंधी/मौखिक प्रवेशन की शरीर के किसी भाग या अन्य वस्तु से, केवल लिंग से ही नहीं, सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसा करना किसी अवयस्क के साथ लैंगिक अपराध को वयस्क के पैमाने से मापना माना जाएगा न कि इस दृष्टि से कि बालक कैसा अनुभव करता है। इसके विपरीत कोई भी लड़की भले ही वह एक वर्ष की आयु की हो, धारा 376(2) (च) की परिधि में आ जाती है और धारा 375 के स्पष्टीकरण में "प्रवेशन" शब्द की लैंगिक/योनि संबंधी प्रवेशन तक सीमित नहीं किया जा सकता।

टिप्पण 2 :—अर्जीकर्ता को इस सुस्थापित मत से समर्थन प्राप्त होता है कि "बाल लैंगिक दुरुपयोग" के अधिकांश दाण्डिक मामलों में लैंगिक-योनि संबंधी प्रवेशन आवश्यक रूप से अंतर्ग्रस्त नहीं होता है। बड़ी मात्रा में अनुसंधान से इस बात की पुष्टि होती है कि लैंगिक/योनि संबंधी संपर्क न होने पर भी दूरगामी मनोवैज्ञानिक क्षति होती है। अतः मैथुन की सीमित परिभाषा, जिसमें केवल लैंगिक/योनि संबंधी प्रवेशन को सम्मिलित किया गया है उन अनेकों मामलों को लागू नहीं होगी जिसमें ऐसे व्यवहार से गहरे आघात से ग्रस्त अनेकों बालक आते हैं (पेपर बुक के पृष्ठ 22/23 और 108—112 देखिए।)

टिप्पण 3 (क) :—भारत के विधि आयोग ने अपनी 156वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि लैंगिक/मौखिक प्रवेशन तथा लैंगिक/गुदा प्रवेशन के रूप में बालकों का लैंगिक दुरुपयोग भा० दं० सं० की धारा 377 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा आंगुल प्रवेशन और अन्य वस्तुओं का किसी महिला या बालक की योनि या गुदा में प्रवेशन को धारा 354 के अंतर्गत पर्याप्त रूप से सम्मिलित किया जा सकता है और उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जा सकती है। अर्जीदाता का कथन है कि इस सिफारिश पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। धारा 375 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण में 'प्रवेशन' का मनमानी वर्गीकरण न केवल दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 के उद्देश्य को पूरा करने में चूक करता है जिसके द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग के अपराध को धारा 376(2) (च) में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित किया गया था, अपितु बालकों के लैंगिक दुरुपयोग की वास्तविकता के सामाजिक संदर्भ को ध्यान रखने से भी चूकता है। जो संदर्भ बालक के साथ लैंगिक दुरुपयोग के ऐसे मामलों की बाबत है जो कि उनके परिचित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। (मुख्य पेपर बुक के पृष्ठ 22/23 तथा 109-112 देखिए)। यह बात कही गई है कि वर्तमान सामयिक सोच के अनुसार बलात्कार को उसके प्रभाव के आधार पर समझा गया है, अर्थात्, किसी महिला को लैंगिक दृष्टि से परिहासित करने तथा महिला की लज्जा को भंग करने और नीचा दिखाने का उद्देश्य जो कि महिलाओं और बालकों की लैंगिक शुचिता और स्वायत्तता पर दुष्प्रभाव डालता है।

यद्यपि इस बात को माना जाता है कि बालकों का विशेष रूप से अवयस्क लड़कियों का लैंगिक/योनि संबंधी प्रवेशन संभिन्न प्रवेशन द्वारा लैंगिक दुरुपयोग आम बात है और वह लैंगिक/गुदा प्रवेशन के रूप में या लैंगिक/मुख प्रवेशन, आंगुल/गुदा प्रवेशन, आंगुल/योनि प्रवेशन या वस्तु जननेंद्रिय/योनि प्रवेशन के रूप में भी हो सकता है, विधि आयोग की सिफारिश (भा०दं०सं० की धारा 376(2)(च) के संशोधन जो धारा 1983 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई है) मुख्य उद्देश्य को नष्ट कर देती है।

कम उम्र के बालकों के साथ प्रवेशन के इस प्रकार से मनमानी तौर पर वर्गीकरण से कोमल आयु के बालकों के साथ लैंगिक दुरुपयोग के प्रभाव को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि किस अंग में प्रवेशन किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है, स्वीकार करने में चूक हो जाती है। ऐसा वर्गीकरण यह मान कर किया जाता है कि 12 वर्ष से कम आयु का बालक, उदाहरण के लिए 2 वर्ष का बालक, प्रत्येक मामले में यह भेद करने में समर्थ होगा कि उसके किस अंग में और कैसे प्रवेशन किया गया है।

अर्जीदाता निम्नलिखित उदाहरण यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत करना चाहता है कि धारा 375 के अंतर्गत 'प्रवेशन' के तंग और सीमित निर्वचन का, तब जब उसका संबंध बालकों के लैंगिक दुरुपयोग से हो, क्या प्रभाव होगा —

(क) एक छः वर्ष की बालिका का शील् भंग किया गया। अठारह वर्ष की आयु का अपराधी प्रवेशन में सफल न हो सका तो उसने उसकी योनि में एक लोहे की छड़ घुसा दी जिसके कारण उसको गहरा आघात पहुंचा, उसका गर्भाशय भंग हो गया और उसे एक मास तक अस्पताल में रहना पड़ा।

(ख) एक पांच वर्ष की लड़की के साथ उसके पड़ोसी युवक ने बलात्कार किया। लड़की को पेट के बल लेटने पर मजबूर किया गया और पीछे की ओर से बलात्कार किया गया। लड़की को गहरी चोटें पहुंची। न्यायालय ने गवाही के समय जिरह में इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि उंगली का प्रवेशन किया गया था क्योंकि उसे पुरुषों की इन्द्रियों या लिंग का कोई ज्ञान नहीं था और वह इतनी कम आयु की थी कि लिंग और उंगली के अंतर को नहीं समझ सकती थी और यह भी एक तथ्य था कि उसके साथ बलात्कार पीछे से किया गया था।

(ग) दो वर्ष की अवधि में एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ, जिसकी आयु अब छह वर्ष थी अनेक बार अपनी उंगली से उसकी योनि और गुदा में प्रवेशन किया।

(घ) एक अपराधी को एक वर्ष की बालिका के गुप्त अंगों के साथ छेड़छाड़ के लिये भा०दं०सं० की धारा 354 से आरोपित किया गया। यह तर्क दिया गया कि एक वर्ष की बालिका को शील का ज्ञान नहीं हो सकता अतः उसके शील को भंग करने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त मामलों में से कोई भी बलात्कार नहीं माना जाएगा यदि भा०दं.सं० की धारा 375 के स्पष्टीकरण में 'प्रवेशन' का संकीर्ण और सीमित अर्थ निकाला जाएगा। इससे धारा 376(2) (च) को इस दृष्टि से विशेष रूप से जोड़ने का मूल प्रयोजन और उद्देश्य नष्ट हो जाएगा कि यह उपबन्ध चौतरफा फैले हुए बालकों के लैंगिक दुरुपयोग पर अंकुश लगाएगा।

टिप्पण 3 ख :—विधि आयोग की 156वीं रिपोर्ट में की गई वर्तमान सिफारिशों के अंतर्गत दिये गये उदाहरणों का, जो उन पर टिप्पण-3(क) में उद्धृत हैं, निम्नलिखित अर्थ होगा :

उदाहरण (क), (ग) का अंश और (घ) को इस रूप में देखा जाएगा कि वे भा०दं०सं० की धारा 354 के अंतर्गत अपराध हैं (अर्थात् स्त्री की लज्जा को भंग करना) जो दो वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है।

उदाहरण (ख) और (ग) के द्वितीय भाग को भा.दं.सं. की धारा 377 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा (प्रकृति विरुद्ध मैथुन)। दूसरे शब्दों में, अपराध की गंभीरता का अवधारण प्रवेशन की प्रकृति के अनुसार होगा न कि नाजुक उम्र के बालक पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार।

इसके अतिरिक्त, बालक के साथ प्रवेशन के अनेक रूपों को (लैंगिक/मौखिक और लैंगिक/गुदा संबंधी) धारा 377 के अंतर्गत सहमति से मैथुन संबंधों के अपराध के समतुल्य अपराधों के रूप में माना जाएगा जिनमें सहमति देने वाले पक्षकार को भी उत्प्रेरक के रूप में उत्तरदायी माना जा सकता है। [देखिए ०डी०पी० मीनवाला बनाम शहंशाह भाग-36 (1935) क्रि०लॉ०ज० 877, एआईआर 1935 सिंध 78], पश्चमैथुन में माना जाएगा (खान बनाम शहंशाह 1924) 19 एजएलआर ~ 327-बैल के साथ लैंगिक/अन्य वस्तु प्रवेशन का मामला।

जैसा कि भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट (1971 की रिपोर्ट संख्या 42) में कहा गया है, धारा 377 का सृजन कतिपय 'चरित्रहरण' के अपराधों के लिए किया गया था क्योंकि "भारतीय समाज व्यापक रूप से गुद-मैथुन का अनुमोदन नहीं करता है और यह अननुमोदन इस हद तक है कि इसे दाण्डिक अपराध के रूप में लिया जाता है भले ही यह कार्य किन्हीं वयस्कों द्वारा प्राइवेट में किया जाए।" (मुख्य पेपर बुक के पृष्ठ 15 की ओर ध्यान आकर्षित है।)

उपरोक्त की दृष्टि से अर्जीदार ने यह कथन किया है कि धारा 377 का मुख्य उद्देश्य लैंगिक व्यवहार के कतिपय स्वरूपों में अंतर्ग्रस्त 'अप्राकृतिकता' को दण्डित करना है, भले ही वह सहमति से हो। विधायिका का यह आशय नहीं हो सकता था कि सहमति से मैथुन तथा नैतिक चरित्रहनन के अपराधों को असहमतिजन्य लैंगिक दुरुपयोग की श्रेणी में रख दिया जाए, विशेष रूप से तब जबकि असहमतिजन्य लैंगिक हिंसा के लिए 1983 में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध कर दिया गया था और 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लैंगिक दुरुपयोग के लिए एक विशेष उपबन्ध धारा 376 (2)(च) में कर दिया गया था। 156वीं रिपोर्ट भा०दं०सं० की धारा 354 और 377 के बीच किसी भी अंतर को स्वीकार करती है। जिन धाराओं का आशय क्रमशः आघात और चरित्रहनन को दण्ड करना था और धारा 375/376 का उद्देश्य लैंगिक हिंसा को दण्डित करना था।

1968 में एक इसी प्रकार की उलझन भा०दं०सं० की धारा 377 की बाबत खड़ी हुई थी जो धारा "प्रकृतिविरुद्ध" अपराधों के दण्ड के लिए है और सारतः सहमतिजन्य प्रकृति का अपराध है। यह धारा ऐसे "किसी व्यक्ति को जो स्वेच्छा से विधि के विरुद्ध मैथुन करता है........।" गुजरात उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने, विधि पारित हो जाने के पश्चात् सामाजिक दशाओं में परिवर्तन को स्वीकार करते हुए "मैथुन" पद का अर्थ केवल "समलैंगिक मैथुन" नहीं लगाया था। (जिसके साथ इसे दण्ड संहिता का प्रारूप तैयार करते समय जोड़ दिया गया था।) अपितु यह अर्थ लगाया था कि इसमें मौखिक मैथुन भी आता है। (देखिए एआईआर 1968 गुजरात 252) के मामले के निर्णय के आलोक में यह सुव्यवस्थित है कि किसी दाण्डिक कानून को स्वीकृति देने वाली भाषा का अर्थ इस रूप में भी लगाया जा सकता है कि वह किसी त्रुटि को दूर करने के लिए अपराध को दबाने के लिए और उपचार को अग्रसर करने के लिए है इससे यह अर्थ निकलता है कि धारा 376(2) (च) के साथ पठित धारा 375 के स्पष्टीकरण में 'प्रवेशन' का उचित अर्थ निकालने के लिए धारा 376(2) (च) के मूल तथ्य और वास्तविकता पर न कि उसकी भाषा मात्र पर, ध्यान दिया जाना चाहिए।

भाग-II : विद्यमान कमियां

प्रणाली में विद्यमान कमियों के कारण जो प्रश्न खड़े हुए हैं और उनके जो उत्तर सुझाए गये हैं वे इस भाग के उपाबन्ध 'ख' पर है। इस भाग के उपाबन्ध 'ग' पर दिए गये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि यद्यपि उनसे संबंधित प्रत्येक घटना बालिका को गहरा और न कहे जाने योग्य मानसिक कष्ट पैदा कर सकती है किन्तु भा०दं०सं० के विद्यमान उपबन्धों के अंतर्गत एक निश्चित अपराध

की पहचान करना कठिन हो जाता है। उपाबन्ध में वर्णित मामलों में से कोई भी भा०दं०सं० की धारा 375/376 की अधीन बला-
त्कार नहीं हो सकता है, धारा 377 के अधीन 'प्रकृतिविरुद्ध' अपराध नहीं हो सकता है अथवा धारा 354 के अधीन 'स्त्री की
लज्जा को भंग करना' नहीं हो सकता है किन्तु वह दाण्डिक हमला या दाण्डिक बल प्रयोग का एक सीमित रूप हो सकता है। ऐसे
अपराध भा०दं०सं० के अंतर्गत किसी विशिष्ट अपराध की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करना विद्यमान विधि की सीमित परिधि के
कारण संभव नहीं हो सकता। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाए और 'लैंगिक हमला' के
अपराध को और अधिक पूर्णता के साथ परिभाषित किया जाए और उसके विस्तार को स्पष्ट किया जाए। नीचे इस ओर एक
प्रयास किया गया है।

उपखण्ड 'ख' : निम्नलिखित प्रश्न उठाए गये है और उनके निम्नलिखित उत्तर सुझाए गये है :—

1. एक तीन वर्ष के बालक के साथ पड़ोसी ने उसके गुप्त अंगों में उंगली से छेड़छाड़ की किन्तु प्रवेशन नहीं किया। इस अपराध को किस प्रवर्ग में रखेंगे?

उत्तर—यह अपराध अधिक से अधिक भा०दं०सं० की धारा 509 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, अर्थात्
"जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से........ऐसी स्त्री की एकान्तता अतिक्रमण करेगा वह
सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी........दण्डित किया जाएगा।"

2. एक बड़ी उम्र का पड़ोसी 5 वर्ष के छोटे बालक को नित्य अपने घर बुलाता है, उसे अपनी जनन इंद्रिया दिखाता है और
उससे वैसा ही करने को कहता है। उसने कौनसा अपराध यदि कोई है, किया?

उत्तर—भारतीय दण्ड संहिता में बालक के साथ लैंगिक दुराचार का कोई उपबन्ध न होने के कारण यह अपराध अधिक से
अधिक धारा 349/350 के अंतर्गत "आपराधिक बल प्रयोग" के अंतर्गत आ सकता है जिसके लिए "तीन मास की अवधि
तक" का दण्ड है परन्तु यह तब जब बालक की ओर से कोई 'गम्भीर और अचानक प्रकोपन" न किया गया हो।

3. अपराधी को एक वर्ष की बालिका के गुप्त अंगों के साथ खिलवाड़ के लिए भा०दं०सं० की धारा 354 के अंतर्गत आरोपित
किया गया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक वर्ष की बालिका में लज्जा का भाव नहीं हो सकता अतः उसकी लज्जा को
भंग करने का प्रश्न नहीं उठता है।

4. एक पांच वर्ष के बालक का चाचा प्रायः उसे नंगा कर देता है उसकी पुरुष इंद्रियों का स्पर्श करता है और बालक से वैसा
ही करने से को कहता है। अपराध किस श्रेणी में आता है।

उत्तर—यह अपराध उदाहरण दो में दिए गये विस्तार तक सीमित है। इस स्थिति में अधिक से अधिक भा०दं०सं० की धारा
349/350 और 352 के अंतर्गत आपराधिक बल प्रयोग के लिए दण्डित किया जा सकता है।

5. एक अवधि के दौरान जब घर में कोई नहीं है एक 6 वर्ष की बालिका का पिता उससे प्यारपूर्वक हस्तमैथुन के लिए कहता
है। आप इस अपराध को यदि कोई है, क्या नाम देंगे?

उत्तर—यह विद्यमान भा०दं०सं० के अंतर्गत कोई अपराध नहीं है।

6. एक 11 वर्षकी बालिका का चाचा उसे अपने घर आमंत्रित करता है, कीमती भेंटें देता है और उससे निर्वस्त्र होने के लिए
कहता है ताकि वह उसके चित्र विभिन्न रूपों में खींच सके। आप इस अपराध को किस श्रेणी में रखेंगे?

उत्तर—भा०दं०सं० में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो इस अपराध को अपराधी के रूप में वर्णित करता हो।

भाग III : भारतीय दण्ड संहिता के संशोधन के लिए सुझाव

अर्जीदार ने "लैंगिक हमला"[1] के बृहत अनुभवों को सम्मिलित करने के लिए भा०दं०सं० 'बलात्संग' (बलात्कार) के अपराध
के निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया है :

1. विद्यमान 354/375/376 और 509 को हटा दिया जाए और निम्नलिखित को जोड़ा जाए :

2. "लैंगिक हमला" की प्रस्तावित परिभाषा

"375. लैंगिक हमला

1. जो पुरुष उपधारा 2(क) से 2(ग) में वर्णित कोई कार्य उस अन्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अथवा सहमति के बिना
करेगा उसके बारे में यह कहा जाएगा वह पुरुष हमला करता है :

परन्तु जहां ऐसा लैंगिक हमला किसी अवयस्क पर किया जाता है वहां सहमति का प्रश्न असंगत है।

स्पष्टीकरण : अवयस्क वह व्यक्ति है जिसकी आयु........वर्ष से कम है।

1. पश्चिमी आस्ट्रेलिया और कनाडा की विधि की ओर ध्यान आकर्षित है जहां "बलात्कार" के अपराध को हटाकर उसके स्थान पर "लैंगिक हमला" का अपराध रखा गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 1992 में तैयार की गई विधि के प्रारूप "स्त्रियों और बालकों पर लैंगिक हमला" की ओर ध्यान आकर्षित है।

कनाडा में "लैंगिक हमला" विधि सुधार के निम्नलिखित निर्धारण की ओर भी ध्यान आकर्षित है :

— कन्फ्रंटिंग सैक्सुअल असौल्ट : ए डिकेड ऑफ लीगल एण्ड सोशल चेंज—जूलियन वी. रावर्ट और रेनेट एम. मोहर द्वारा प्रकाशित, 1994. (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार की "लैंगिक हमला" के रूप में की गई पुनः परिभाषा का विस्तृत विश्लेषण है और बाल लैंगिक दुराचार के मामलों में उसका प्रभाव बताया गया है।

— "द न्यू सैक्सुअल एसौल्ट लॉ : व्हाट हेज बीन इट्स इफैक्ट"—लेखक के. एडवर्ड रैनर तथा सुरेश सहजपाल—कैनेडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलोजी, पृ. 407-413 (इसमें आंकड़ों से इस बात का समर्थन किया गया है कि पूर्वतर बलात्कार विधि की अपेक्षा लैंगिक हमले के नए कानून के अंतर्गत मामलों की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है।)

— "इनकन्सिसटेन्सीज एण्ड कॉन्ट्रेडिक्शन्स इन कनाडाज सैक्सुअल एसोल्ट लॉ" लेखक आर. होल्म—कैनेडियन पॉलिसी XII सं. 3 सितम्बर, 1988 (प. प. 282-294)

3. "लैंगिक हमला" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(क) किसी पुरुष द्वारा दूसरे व्यक्ति की योनि बाहरी जनन इन्द्रीय, गुदा अथवा मुखमय अपने लिंग का (किसी भी विस्तार तक प्रवेश करना)।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की योनि या गुदा में किसी वस्तु या शरीर के भाग का (लिंग से भिन्न) (किसी भी विस्तार तक प्रवेश करना)।

(ग). जहां कोई व्यक्ति, लैंगिक प्रयोजन से, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के किसी भाग या किसी वस्तु से स्पर्श करता है।

(ड़) जहां कोई व्यक्ति लैंगिक प्रयोजन से, किसी अवयस्क व्यक्ति को आमंत्रित करता है, परामर्श देता है या उत्प्रेरित करता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के किसी भाग या किसी वस्तु से किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का जिसमें उस व्यक्ति का शरीर भी है जो इस प्रकार से आमंत्रित करता है, परामर्श देता है या उत्प्रेरित करता है या स्पर्श करता है।

(घ) जहां कोई व्यक्ति लैंगिक प्रयोजन से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है इस आशय से कि किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाये या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसे व्यक्ति की एकान्तता का अतिक्रमण हो।

4. (क) धारा 375(1) के प्रयोजनों के लिए "सहमति" से किसी स्त्री की प्रश्नगत लैंगिक कार्य में संलग्न होने के लिए स्वेच्छापूर्वक शर्त रहित इकरार अभिप्रेत है।

(ख) धारा 375(1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित दशाओं में यह नहीं माना जाएगा कि सहमति प्राप्त की गई है।

(i) जब सहमति किसी स्त्री या किसी ऐसे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति में स्त्री हितबद्ध है, मृत्यु या आघात के भय में डाल कर प्राप्त की गई है।

(ii) जहां ऐसी सहमति किसी स्त्री ने इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है या उसे यह विश्वास दिलाया गया है कि वह व्यक्ति उसका पति है।

(iii) जब सहमति देने के समय वह स्त्री विकृतचित्त है या मत्तता के कारण या उस पुरुष के द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी पदार्थ दिए जाने के कारण वह स्त्री अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है।

(iv) जब इकरार से स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति के शब्दों या व्यवहार से प्रकट हुआ है।

(v) स्त्री पुरुष की पहचान के मामले में भूल में है।

(vi) स्त्री कार्य की लैंगिक प्रकृति के बारे में भूल है अथवा भूल वश यह विश्वास कर रही है कि ऐसा लैंगिक कार्य चिकित्सा, रीतिरिवाज, शुद्धि, शरीर विकार दूर करने, मनोवैज्ञानिक या आत्मा संबंधी प्रयोजनों के लिए है।

(vii) वह व्यक्ति अवयस्क है या प्रतीत होता है।

(3) "375 क. गुरुतर लैंगिक हमला

निम्नलिखित दशाओं में यह कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने गुरुतर लैंगिक हमला किया है—

(1)(क) जब ऐसा व्यक्ति पुलिसकर्मी में होते हुए निम्नलिखित दशाओं में किसी स्त्री या अवयस्क पर लैंगिक हमला करता है—

(i) पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर,

(ii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में; अथवा

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपनी अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में; अथवा

(iv) जब ऐसा व्यक्ति वर्दी में है,

(ख) सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारिवृन्द में होते हुए, कर्तव्य पर होते हुए, किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है;

(ग) लोक सेवक होते हुए अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के, या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के, प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संस्था के किसी निवासी पर लैंगिक हमला करता है; या

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारिवृन्द में होते हुए उस अस्पताल में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है;

(च) विश्वास, प्राधिकार, संरक्षकत्व या आश्रित या सामाजिक आधिपत्य की हैसियत में होते हुए ऐसे विश्वास, प्राधिकार या आधिपत्य के अधीन किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है।

(2)(क) जब ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री पर लैंगिक हमला करता है, जो गर्भवती है;

(ख) जब ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री पर लैंगिक हमला करता है जो मानसिक या शारीरिक असमर्थता से पीड़ित है;

(ग) जब ऐसा व्यक्ति किसी अवयस्क पर लैंगिक हमला करता है।

(3) जब ऐसे लैंगिक हमले के कारण किसी स्त्री या अवयस्क को कोई गंभीर शारीरिक क्षति हो जाती है, अंगविक्षेप हो जाता है, शरीर का विरूपण हो जाता है या जीवन को खतरा हो जाता है।

(4) जब ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री या अवयस्क पर लम्बी अवधि तक लैंगिक हमला करता है या करता रहता है।

(5) जब एक से अधिक व्यक्ति किसी स्त्री या अवयस्क पर लैंगिक हमला करते हैं।

स्पष्टीकरण 1 : जब किसी व्यक्ति पर व्यक्तियों के समूह में से किसी एक अथवा अधिक के द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए लैंगिक हमला करते हैं, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा के अर्थ में लैंगिक हमला किया है।

स्पष्टीकरण 2 : "स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था" से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों और बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह हो या कोई भी अन्य नाम हो।

स्पष्टीकरण 3 : "अस्पताल" से आहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी किसी संस्था का आहाता भी है, जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को चिकित्सा या पुनर्वास और उनका उपचार करने के लिए है।

नई दिल्ली

तारीख :

अर्जीदाता की ओर से

भारत का उच्चतम न्यायालय

दाण्डिक मूल अधिकारिता

रिट अर्जी (दाण्डिक) संख्या 1997 का 33

साक्षी ..... अर्जीदाता

बनाम

भारत का संघ ..... प्रत्यर्थी

शपथपत्र

मैं डा० हेमलता, पत्नी श्री सुनील कुमार, आयु 30 वर्ष, प्रोजेक्ट कोर्डीनेटर, साक्षी, बी-67, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट-I, नई दिल्ली शपथपूर्वक निम्नलिखित रूप में कथन करती हूं :—

1. मैं अर्जीदाता संगठन की प्रोजेक्ट कोर्डीनेटर हूं और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूर्ण रूप से परिचित हूं तथा यह शपथपत्र देने के लिए सक्षम हूं।

2. मैं यह कथन करती हूं कि मैंने लिखित निवेदन, प्रश्नों में संलग्न अंतर तथ्यों को पढ़ लिया है और भलीभांति समझ लिया है और यह कथन भी करती हूं कि मैं अर्जीदाता संगठन कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों और पुस्तकों तथा विधि परामर्शी से प्राप्त राय पर आधारित के अनुसार तैयार किये गए हैं।

सत्यापन : शपथकर्ता

मैं, शपथकर्ता, यह सत्यापन करती हूं कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु सत्य तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और कोई बात न छिपाई गई है और न गलत है।

आज 3 अगस्त, 1999 को नई दिल्ली में सत्यापित।

शपथकर्ता

साक्षी को 29-8-1999 को चर्चा के लिये विधि आयोग द्वारा भेजे गये भा०दं०सं० की सुसंगत धाराओं का संशोधित

प्रारूप

"375. **लैंगिक हमला** : लैंगिक हमले से, निम्नलिखित छः भांति की परिस्थितियों में,—

(क) किसी व्यक्ति की योनि (जिस पद के अंतर्गत लाबिया मेजोरा भी है), गुदा या मुत्राशय में—

(1) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का; या

(2) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साधित किसी वस्तु का,

ऐसी दशा के सिवाए प्रवेशन, जहां ऐसा प्रवेशन उचित शारीरिक स्वच्छता या चिकित्सा प्रयोजनों के लिये किया जाता है;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को ऐसे साधित करना, जिससे कि अपराधी की योनि (जिसके अंतर्गत लाबिया मेजोरा भी है), गुदा या मूत्राशय में अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेशन हो;

(ग) किसी व्यक्ति के लिंग के किसी भाग का किसी अन्य व्यक्ति के मुख में प्रवेश;

(घ) कनीलिंगस या फेलाशियो में निमग्नता; या

(ङ) ऊपर के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में यथा परिभाषित लैंगिक हमले को जारी रखना।

छः भांति की परिस्थितियां निम्नलिखित हैं"—

पहला—अन्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा—अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना।

तीसरा—अन्य व्यक्ति की सहमति से जब, उसकी सहमति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर प्राप्त की गई है।

चौथा—जहां अन्य व्यक्ति स्त्री है, वहां उसकी सहमति से, जबकि वह पुरुष जानता है कि वह उस अन्य व्यक्ति का पति नहीं है और उस स्त्री ने सहमति इसलिये दी है कि वह विश्वास करती है कि अपराधी ऐसा अन्य पुरुष है, जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवां—उस अन्य व्यक्ति की सहमति से, जबकि, ऐसी सहमति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्तता के कारण या अपराधी द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सहमति देता है या देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठा—अन्य व्यक्ति की सहमति से या बिना सहमति के, जब ऐसा अन्य व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिये किसी भी मात्रा में प्रवेशन है।

"376. **लैंगिक हमले के लिए दण्ड** :—(1) जो कोई, उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय, लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री, जिस पर लैंगिक हमला किया गया है, उसकी पत्नी है और सोलह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी की भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

परन्तु यदि लैंगिक हमला पिता, पितामह या भाई द्वारा किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजन्म हो सकती है, दण्डित किया जाएगा।

परन्तु यह और कि न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिसका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

(2) जो, कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए—

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, लैंगिक हमला करेगा; या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, लैंगिक हमला करेगा; या

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करेगा; या

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, लैंगिक हमला करेगा; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालक की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी पर लैंगिक हमला करेगा; या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करेगा; या

(ङ) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, लैंगिक हमला करेगा; या

(च) किसी व्यक्ति पर, जो बारह वर्ष से कम आयु का है, लैंगिक हमला करेगा; या

(छ) सामूहिक लैंगिक हमला करेगा;

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं हो सकेगी, दण्डादेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण 1 :— जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक लैंगिक हमला किया है।

स्पष्टीकरण 2 :—'स्त्रियों या बालक की किसी संस्था' से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हो।

स्पष्टीकरण 3 :—'अस्पताल' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है इसके अंतर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है।

"376 क. **पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी पर लैंगिक हमला** :—जो कोई अपनी पत्नी पर, जो पृथक्करण की किसी डिकरी के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन उससे पृथक् रह रही है, उसकी सहमति के बिना लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नही होगी और जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय भी होगा।"

"376 ख. **लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ मैथुन** :—जो कोई, लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसका अभिरक्षा में है या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा, जो मैथुन लैंगिक हमला के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम भी नहीं होगी और जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

7—96 M. of LJ & CAIC (ND)/2000

स्पष्टीकरण :— इस धारा में और 376क तथा 376ख में "मैथुन" से उन कार्यों में से कोई भी अभिप्रेत है जो धारा 375 (क) से (ङ) तक में उल्लिखित है । धारा 375 का स्पष्टीकरण भी लागू होगा ।"

"376 ग. **जेल, प्रतिप्रेषण गृह, के अधीक्षक आदि द्वारा मैथुन** :—जो कोई, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था की किसी स्त्री या पुरुष निवासी की, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो लैंगिक हमला के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम भी नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

स्पष्टीकरण 1 :— किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है ।

स्पष्टीकरण 2 :— स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 में है ।"

"376 घ. **अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारिवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी के साथ मैथुन** :— जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी अस्पताल के कर्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में, किसी के साथ ऐसा मैथुन लैंगिक हमला की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम भी नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण :— "अस्पताल" पद का वही अर्थ है जो धारा 386 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 3 में है ।"

"376 ङ **विधिविरुद्ध लैंगिक संभोग** :—(1) जो कोई, लैंगिक आशय से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के, जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है, ऐसे अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसके शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी भाग या किसी अन्य वस्तु से स्पर्श करेगा जहां साधारण कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई, लैंगिक प्रयोजन से किसी को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को, शरीर के किसी भाग या वस्तु से स्पर्श करने के लिए आमंत्रित करता है या सलाह देता है अथवा उत्प्रेरित करता है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति का शरीर भी है जिसे आमंत्रित किया जाता है या सलाह दी जाती है या उत्प्रेरित किया जाता है, अथवा, लैंगिक आशय से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी नौजवान व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी भाग या किसी अन्य वस्तु से स्पर्श करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई, किसी व्यक्ति नौजवान व्यक्ति के प्रति विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में होते हुए अथवा, कोई व्यक्ति, जिसके साथ नौजवान व्यक्ति आश्रित के रूप में संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, लैंगिक आशय से, ऐसे नौजवान व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी भाग या किसी वस्तु से स्पर्श करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु यदि लैंगिक हमला पिता, पितामह या भाई द्वारा किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजीवन हो सकती है, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिसका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है ।

स्पष्टीकरण :—इस उपधारा में और उपधारा (2) में 'नौजवान व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु सोलह वर्ष से कम है ।"

377. हटाया जाए ।

509. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा के लिए आशयित है :—

जो कोई, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।"

तथापि, जहां, ऐसा अपराध लैंगिक कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

साक्षी द्वारा दिए गए पत्र की प्रतिलिपि

इस दस्तावेज को पढ़ने की कुंजी

— राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिए गये प्रस्ताव काली स्याही में लिखे गए हैं ।

— उन प्रस्तावों के पश्चात् विधि आयोग के तत्संबंधी प्रस्ताव दिए गए हैं ।

— विधि आयोग के प्रस्ताव नीली स्याही में हैं ।

— दोनों प्रस्तावों की तुलना की बाबत टिप्पण लाल स्याही में हैं ।

तुलना—बलात्कार विधियां

धारा 375—लैंगिक हमला

1. किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि उसने लैंगिक हमला किया है, यदि वह व्यक्ति, जो उपधारा (2) (क) से (2) (ग) में अधिकथित कार्यों में से कोई कार्य उस व्यक्ति की **इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना** करता है ।

टिप्पण :—रेखांकित भाग पहले धारा 375 में उद्धृत किया गया है और द्वितीय वाद में विधि आयोग के प्रस्ताव में ।

परन्तु जहां ऐसा लैंगिक हमला अवयस्क पर किया जाता है वहां सहमति का प्रश्न असंगत है ।

स्पष्टीकरण 1 :—अवयस्क वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे कम है ।

टिप्पण :—अवयस्क वह व्यक्ति है जिसकी आयु विधि आयोग के प्रस्ताव में सभी प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष से कम है ।

स्पष्टीकरण 2 :—दो वयस्क व्यक्तियों के बीच सहमतिपूर्वक किया गया कोई भी लैंगिक कार्य इस धारा की परिधि में नहीं आता है ।

टिप्पण :—विधि आयोग के प्रस्तावों में इसका उल्लेख नहीं है ।

2. "लैंगिक हमला" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं —

(क) किसी पुरुष द्वारा दूसरे व्यक्ति की योनि, **बाहरी जनन इन्द्रिय**, गुदा अथवा मुख में अपने लिंग का **(किसी भी विस्तार तक) प्रवेश करना** ।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की योनि या गुदा में किसी वस्तु या शरीर के भाग का (लिंग से भिन्न) (किसी भी विस्तार तक) प्रवेश करना ।

धारा 375—लैंगिक हमला

(क) किसी व्यक्ति की योनि (जिस पद के अंतर्गत लाबिया मेजोरा भी है), गुदा **मूत्राशय** में—

(1) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का; या

(2) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साधित किसी वस्तु का ऐसी दशा के सिवाए प्रवेशन, जहां ऐसा प्रवेशन उचित शारीरिक स्वच्छता या चिकित्सा प्रयोजनों के लिये किया जाता है ;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को ऐसे साधित करना, जिससे कि अपराधी की योनि (जिसके अंतर्गत लाबिया मेजोरा भी है,) गुदा या मूत्राशय में अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेशन हो;

(ग) किसी व्यक्ति के लिंग के किसी भाग का किसी अन्य व्यक्ति के मुख में प्रवेश;

(घ) कनीलिंगस या फेलाशियो में निमग्नता; या

(ङ) ऊपर के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में यथा परिभाषित लैंगिक हमले को जारी रखना ।

टिप्पण :—"बाह्यजनन इन्द्रिय" शब्द को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर "मूत्राशय" शब्द अतःस्थापित किया गया है । इसी प्रकार से "योनि" में 'लाबिया मेजोरा' आ जाता है । इसके अतिरिक्त 'प्रवेशन' शब्द का प्रयोग "(किसी भी विस्तार तक) प्रवेश" पद के स्थान पर किया गया है । धारा 375(ख) और (घ) को लैंगिक हमले के इन्हीं कारणों को सम्मिलित करने के लिए अतःस्थापित किया गया है ।

(च) जहां कोई व्यक्ति, लैंगिक **प्रयोजन** से, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, शरीर के किसी भाग या वस्तु से स्पर्श करता है ।

धारा 376क—"विधिविरुद्ध लैंगिक संपर्क"

(1) जो कोई, लैंगिक **आशय** से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के, जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है, ऐसे अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसके शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी भाग या किसी अन्य वस्तु से स्पर्श करेगा, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

टिप्पण :—"आशय" शब्द का प्रयोग "प्रयोजन" शब्द के स्थान पर किया गया है । अधिकतम दण्ड को पांच वर्ष से घटा कर 3 वर्ष किया गया है । कोई निम्नतम दण्ड विहित नहीं किया गया है ।

(छ) जहां कोई व्यक्ति लैंगिक प्रयोजन से कोई शब्द करेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग इस आशय से प्रदर्शित करेगा कि ऐसा शब्द या ध्वनि ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या प्रदर्शन देखा जाए अथवा ऐसे व्यक्ति की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा ।

509. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है :—जो कोई, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

तथापि, जहां, ऐसा अपराध लैंगिक आशय से किया जाता है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

टिप्पण :—नया प्रस्ताव दो भागों में बांटा गया है :—

(क) जहां अंगविक्षेप या टिप्पणी किसी स्त्री को परेशान करने के आशय से या उसकी लज्जा को भंग करने के आशय से किया जाता है, और

(ख) जहां ऐसा लैंगिक आशय से किया जाता है । दोनों अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न दण्ड विहित किए गये हैं

(ज) जहां कोई व्यक्ति, लैंगिक प्रयोजन से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अवयस्क व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को किसी वस्तु से स्पर्श करने के लिए आमंत्रित करता है या सलाह देता है अथवा उत्प्रेरित करता है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति का शरीर भी है जो ऐसा आमंत्रण या सलाह देता है या उत्प्रेरण करता है ।

"धारा 376ख—विधिविरुद्ध लैंगिक संपर्क

(2) जो कोई, लैंगिक आशय से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को किसी वस्तु से स्पर्श करने के लिए आमंत्रित करता है या सलाह देता है अथवा उत्प्रेरित करता है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति का शरीर भी है, जो ऐसा आमंत्रण या सलाह देता है या उत्प्रेरण करता है, वह कठोर-कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय किया जाएगा ।

टिप्पण :—इस उपधारा के अंतर्गत दण्ड विधि आयोग ने जोड़ा है ।

(3) जो कोई, किसी नौजवान व्यक्ति के प्रति विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में होते हुए अथवा जिसके साथ नौजवान व्यक्ति आश्रित के रूप में संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, लैंगिक आशय से, ऐसे नौजवान व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को किसी वस्तु से स्पर्श करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

परन्तु यदि लैंगिक हमला पिता, पितामह या भाई द्वारा किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजीवन हो सकती है, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उपधारा में और उपधारा (2) में "भौजवान व्यक्ति" से ऐसा अभिप्रेत है, जिसकी आयु सोलह वर्ष से कम है ।

टिप्पण :—उपधारा (3) विधि आयोग ने जोड़ी है ।

3. (क) धारा 375(1) के प्रयोजन के लिए, 'सहमति' से स्त्री का मैथुन के लिए बिना शर्त स्वैच्छिक इकरार अभिप्रेत है ।

टिप्पण :—'सहमति' की परिभाषा विधि आयोग के प्रस्ताव में नहीं दी गई है।

(ख) धारा 375(1) के प्रयोजन के लिए कोई सहमति नहीं ली जाती है ।

(i) जहां सहमति स्त्री को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें स्त्री हितबद्ध है, मृत्यु या क्षति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

धारा 375 तृतीय—अन्य व्यक्ति की सहमति से, जब ऐसी सहमति ऐसे अन्य व्यक्ति को अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या आघात के भय में डालकर प्राप्त की गई है ।

टिप्पण :—'स्त्री' शब्द के स्थान पर 'अन्य व्यक्ति' और 'क्षति' के स्थान पर 'आघात' शब्द रखे गये है ।

(ii) जहां ऐसी सहमति किसी स्त्री ने इसलिए दी है, वह विश्वास करती है या उसे यह विश्वास दिलाया गया है कि वह व्यक्ति उसका पति है ।

धारा 375 चतुर्थ—जहां अन्य व्यक्ति स्त्री है, वहां उसकी सहमति से, जबकि वह पुरुष जानता है कि वह उस अन्य व्यक्ति का पति नहीं है और उस स्त्री ने सहमति इसलिये दी गई है कि वह विश्वास करती है कि अपराधी ऐसा ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ।

टिप्पण :—अत्यन्त भ्रमपूर्ण है ।

(iii) जब ऐसी सहमति देने के समय वह स्त्री विकृतचित्त होने के कारण या मत्तता के कारण या उस पुरुष के द्वारा स्वयं यह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी पदार्थ दिए जाने के कारण वह स्त्री अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है ।

धारा 375 पांचवां—अन्य व्यक्ति की सहमति से, जब सहमति देने के समय अन्य व्यक्ति विकृतचित्त होने के कारण या मत्तता के कारण या अपराधी द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अनिष्टकर पदार्थ दिए जाने के कारण, वह अन्य व्यक्ति उस बात की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति ने सहमति दी है ।

टिप्पण :—'स्त्री' शब्द के स्थान पर 'अन्य व्यक्ति' पद रखा गया है और 'अनिष्टकर' पद जोड़ा गया है ।

(iv) जब इकरार स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति के शब्दों या व्यवहार से प्रकट हुआ है ।

(v) स्त्री पुरुष की पहचान के मामले में भूल में है ।

(vi) स्त्री कार्य की लैंगिक प्रकृति के बारे में भूल में है अथवा भूलवश यह विश्वास कर रही है कि ऐसा लैंगिक कार्य चिकित्सा रीतिरिवाज, शुद्धि, शरीर विकार दूर करने, मनोवैज्ञानिक या आत्मा संबंधी प्रयोजनों के लिए है ।

(vii) वह व्यक्ति अवयस्क है या प्रतीत होता है ।

टिप्पण :—खण्ड (iv) से (iiv) तक को विचार में नहीं लिया गया है तथापि निम्नलिखित खण्ड जोड़ा गया है ।

धारा 375 छठा :—'अन्य व्यक्ति' की सहमति से या उसके बिना जब ऐसा अन्य व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु का है ।

धारा 375 का स्पष्टीकरण कहता है—"व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन, जो 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं है, लैंगिक हमला नहीं है" ।

धारा 375क—गुरुतर लैंगिक हमला

निम्नलिखित दशाओं में यह कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने गुरुतर लैंगिक हमला किया है ।

धारा 376—लैंगिक हमले के लिए दण्ड

1(क) जब ऐसा व्यक्ति पुलिस कर्मी होते हुए किसी स्त्री या अवयस्क पर लैंगिक हमला करता है ।

2(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए निम्नलिखित दशाओं में लैंगिक हमला करता है—

(i) पुलिस परिसर की सीमाओं के भीतर,

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर जहां उसे नियुक्त किया गया है ; या

(ii) किसी स्टेशन हाउस के परिसर के भीतर जहां उसे नियुक्त किया गया है, भले ही वह परिसर थाने में अवस्थित है या नहीं; या

(ii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिसकर्मी की अभिरक्षा में ; या

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर ; या

(iii) जब ऐसा व्यक्ति वर्दी में है ।

टिप्पण :—यद्यपि एक नया खण्ड (ii) रखा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्ताव के खण्ड (iii) पर विचार नहीं किया गया है ।

(ख) सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारिवृन्द में होते हुए, कर्तव्य पर होते हुए किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है ।

टिप्पण :—विधि आयोग के प्रस्ताव में इसका उल्लेख नहीं है ।

(ग) लोक सेवक होते हुए अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है ।

(घ) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय हैसियत का लाभ उठाकर, अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है ।

टिप्पण:—रेखांकित अंश मात्र ही इस उपधारा में परिवर्तन है या जोड़ा गया है ।

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, या संस्था के किसी निवासी पर लैंगिक हमला करता है ; या

(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए अपनी शासकीय हैसियत का लाभ लेकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी पर लैंगिक हमला करता है ; या

टिप्पण:—केवल रेखांकित भाग इस उपधारा में जोड़ा गया है ।

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए उस अस्पताल में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है ।

(ज) जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या कर्मचारिवृन्द में होते हुए अपनी शासकीय हैसियत का लाभ लेकर उस अस्पताल में किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है ।

टिप्पण:—केवल रेखांकित भाग इस उपधारा में जोड़ा गया है ।

(झ) न्यास/विश्वास, प्राधिकार, संरक्षकत्व या आर्थिक या सामाजिक आधिपत्य की हैसियत में होते हुए ऐसे विश्वास, प्राधिकार या आधिपत्य के अधीन किसी व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है ।

टिप्पण :—विधि आयोग के प्रस्ताव में इसका उल्लेख नहीं है ।

2(क) जब ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री पर लैंगिक हमला करता है जो गर्भवती है ।

(ख) ऐसी स्त्री पर हमला करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह गर्भवती है ; या

(ग) जब ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री पर लैंगिक हमला करता है जो मानसिक या शारीरिक असमर्थता से पीड़ित है ।

टिप्पण :—विधि आयोग के प्रस्ताव में इसका उल्लेख नहीं है ।

(ग) जब ऐसा व्यक्ति किसी अवयस्क पर लैंगिक हमला करता है ।

(घ) ऐसे व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है; या

3. लैंगिक हमला करते समय स्त्री या अवयस्क को गम्भीर शारीरिक क्षति पहुंचाता है, अंगविच्छेद करता है या विरूपण करता है या उनके जीवन को खतरे में डालता है ।

टिप्पण:—विधि आयोग के प्रस्ताव में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।

4. ऐसे व्यक्ति ने किसी स्त्री या अवयस्क पर लम्बी अवधि तक लैंगिक हमला किया है या करता है।

टिप्पण:—विधि आयोग के प्रस्ताव में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

5. जहां एक से अधिक व्यक्ति किसी स्त्री या अवयस्क पर लैंगिक हमला करते है।

(घ) सामूहिक लैंगिक हमला करते है,

वे कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और जो आजीवन हो सकती है दण्डनीय होंगे और जुर्माने के दायित्वाधीन होंगे :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा 10 वर्ष से कम अवधि के किसी भी भांति के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकता है।

स्पष्टीकरण 1 : जहां किसी व्यक्ति पर एक समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए लैंगिक हमला किया जाता है वहां उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में लैंगिक हमला किया है।

स्पष्टीकरण 1 : जहां किसी व्यक्ति को एक समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए लैंगिक हमले का भाजन बनाया जाता है वहां उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में लैंगिक हमला किया है।

टिप्पण:—इसमें से केवल रेखांकित भाग ही एक मात्र परिवर्तन है।

स्पष्टीकरण 2 : 'स्त्रियों या बालक की किसी संस्था' से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों और विधवाओं के लिए स्थान हो या कोई भी अन्य नाम हो।

स्पष्टीकरण 2 :—'स्त्रियों या बालक की किसी संस्था' से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हो।

टिप्पण :—केवल रेखांकित शब्द इस उपधारा में एक मात्र परिवर्तन हैं।

स्पष्टीकरण 3 : 'अस्पताल' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को, ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है।

टिप्पण :—धारा 376 के स्पष्टीकरण 3 के अनुरूप रखा गया है।

धारा 376(1) लैंगिक हमले के लिए दण्ड

(क) जो कोई, धारा 375(2) (क) या धारा (2) (ख) के अर्थ में लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन हो सकेगी और दाण्डिक जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा :

परन्तु न्यायालय असाधारण परिस्थितियों, में जिन्हें निर्णय में लेखबद्ध किया जाएगा, 7 वर्ष से कम किन्तु पांच वर्ष से अन्यून कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकता है।

(ख) जो कोई, धारा 375 (2) (ग) के अर्थ में लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 5 वर्ष की हो सकेगी और दाण्डिक जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

(ग) जो कोई, धारा 375(2) (घ) या धारा 375 क(2)(क), धारा 375(2) (घ) के पठित के अर्थ में लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो 3 वर्ष की हो सकेगी और दाण्डिक जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

धारा 376—लैंगिक हमले के लिए दण्ड

(1) जो कोई, उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाए, लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री, जिस पर लैंगिक हमला किया गया है, उसकी पत्नी है और 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा :

परन्तु यदि लैंगिक हमला पिता, पितामह या भाई द्वारा किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजन्म हो सकती है, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में जिन्हें निर्णय में लेखबद्ध किया जाएगा, 7 वर्ष से कम का कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकता है।

टिप्पण :—लैंगिक हमले के विभिन्न कार्यों के लिए केवल एक ही दण्ड विहित किया गया है। अपनी पत्नी पर किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक हमला और किसी अन्य स्त्री पर लैंगिक हमले में अंतर रखा गया है। सिर्फ यही नहीं दोनों के लिए दो विभिन्न दण्ड रखे गये है तथापि रेखांकित पैरा अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है।

धारा 376 (2)—गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दण्ड

(क) जो कोई, धारा 375(2) (क) या (ख) के साथ पठित धारा 375 क (1) (क-च) के अर्थ के अंतर्गत लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और जो आजीवन हो सकती है, और दाण्डिक जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में, जिन्हें निर्णय में लेखबद्ध किया जाएगा, 10 वर्ष से कम किन्तु 7 वर्ष से अन्यून कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकता है।

(ख) जो कोई, धारा 375(2) (ग) के साथ पठित धारा 375 क (1) (क-च) के अर्थ के अंतर्गत लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक की हो सकती है, और दाण्डिक जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(ग) जो कोई, धारा 375(2) (घ) के साथ पठित धारा 375 क(1) (क-च) के अर्थ के अंतर्गत लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 3 वर्ष तक की हो सकती है, और दाण्डिक जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

टिप्पण :—'गुरुतर लैंगिक हमला' के कार्यों के लिए दण्ड विधि आयोग के प्रस्ताव की धारा 376(2) में दिया गया है जिसकी अवधि आजीवन हो सकेगी किन्तु 10 वर्ष से कम नहीं होगी और दाण्डिक जुर्माने का भी दण्ड दिया जा सकेगा।

धारा 376 (3)—धारा 375 क(2) के अन्तर्गत लैंगिक हमले के लिए दण्ड

(क) जो कोई, धारा 375(2) (क), (ख) के साथ पठित धारा 375 क (2) (क), (ख) और (ग) के अर्थ के अंतर्गत, वहां जहां अवयस्क की आयु 12 वर्ष से अधिक है, लैंगिक हमला करेगा वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, और दाण्डिक जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

(ख) जो कोई, धारा 375 (2) (ग) के साथ पठित धारा 375 क (2) (क), (ख) और (ग) के अर्थ के अंतर्गत, वहां जहां अवयस्क की आयु 12 वर्ष से अधिक है, लैंगिक हमला करेगा वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और दाण्डिक जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

(ग) जो कोई, धारा 375(2) (घ) के साथ पठित धारा 375 क (2) (क), (ख) और (ग) के अर्थ के अंतर्गत वहां जहां अवयस्क की आयु 12 वर्ष से अधिक है लैंगिक हमला करेगा वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और दाण्डिक जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा।

8—56 M. of L. J. & C.A.I.C.(ND)2000

धारा 376 क.—12 वर्ष की आयु तक के अवयस्क पर तथा धारा 375 क(3) के अंतर्गत लैंगिक हमले के लिए दण्ड

(क) जो कोई, 12 वर्ष की आयु तक के किसी अवयस्क पर या धारा 375(2) (क) या (ख) के साथ पठित धारा 375 क(3) के अंतर्गत लैंगिक हमला करेगा वह आजीवन कारावास से और दाण्डिक जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(ख) जो कोई, 12 वर्ष की आयु तक के किसी अवयस्क पर या धारा 375(2) (ग) के साथ पठित धारा 375 क (3) के अंतर्गत लैंगिक हमला करेगा वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और दाण्डिक जुर्माने से, दण्डनीय होगी।

(ग) जो कोई, 12 वर्ष की आयु तक के किसी अवयस्क पर या धारा 375(2) (घ) के साथ पठित धारा 375 क(3) के अंतर्गत लैंगिक हमला करेगा वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और दाण्डिक जुर्माने से, दण्डनीय होगी ।

(घ) जो कोई, 12 वर्ष की आयु तक के किसी अवयस्क पर या धारा 375(2) (ङ) के साथ पठित धारा 375 क(3) के अंतर्गत लैंगिक हमला करेगा वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और दाण्डिक जुर्माने से, दण्डनीय होगी।

साक्षी, आई एफ एस एच ए और ए आई डी डब्ल्यू ए के तारीख 13-9-1999 के सुझावों की प्रतिलिपि

अध्यक्ष, 9/03/99

भारत का विधि आयोग,
शास्त्री भवन,
द्वारा 2,
7वीं मंजिल
नई दिल्ली

प्रिय न्यायमूर्ति श्री रेड्डी,

जैसा कि आयोग ने निवेदन किया है, लैंगिक हमले के मामलों में अन्वेषण, प्रक्रिया और साक्ष्य में संशोधनों की बाबत सिफारिशें संलग्न हैं जिन पर विधि आयोग को विचार करना है ।

हमारी कुछ और भी चिंताएं है जिन्हें हम आयोग के साथ अपनी आगामी बैठक के समय स्पष्ट करना चाहेंगे । इनमें 'लैंगिक समानता' विधि के प्रश्नों पर विचार भी है।

हम एक बार पुनः इस प्रश्न पर आयोग द्वारा दिये गये समय और दर्शाये गये सहयोग और गंभीर चिंता के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं ।

सादर,

नैना कपूर
(निदेशक, साक्षी)

जसजीत पुरेवाल
(निदेशक, आईएफएसएचए)

कीर्ति सिंह
(एआईडीडब्ल्यूए)

लैंगिक हमले से संबंधित मामलों में पूछताछ, अन्वेषण, चिकित्सा परीक्षा, साक्ष्य और विचारण प्रक्रिया में सिफारिश किये गये परिवर्तन

विधि आयोग ने अपनी 84वीं रिपोर्ट में स्त्रियों के साथ बलात्कार और लैंगिक हमले से संबंधित मामलों में पूछताछ, अन्वेषण, चिकित्सा परीक्षा के लिए अनेक सुझाव दिए हैं । इन सुझावों को, कतिपय उपान्तरों के साथ, विधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए । साक्ष्य विधि में कुछ अन्य संशोधन करने का सुझाव दिया जा रहा है जो लैंगिक हमले के परिवाद के विचारण में सुविधा प्रदान करेंगे ।

1. विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि जहां 12 वर्ष से कम आयु की शिकार लड़की का वक्तव्य दर्ज किया जाना हो वहां यह कार्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा स्त्रियों या बालकों की समस्याओं से हितबद्ध किसी संगठन की महिला द्वारा किया जाना चाहिए ।

हमारी सिफारिश

1. लैंगिक हमले के किसी परिवादी का वक्तव्य केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा स्त्रियों या बालकों की समस्याओं से हितबद्ध किसी संगठन की किसी महिला द्वारा ही दर्ज किया जाना चाहिए ।

9—56 M. of L.J. & C A.I.C.(ND)2000

2. लैंगिक हमले के परिवादी का वक्तव्य उसकी पसंद के किसी रिश्तेदार या मित्र की उपस्थिति में ही दर्ज किया जाना चाहिए ।

3. परिवादी से पूछताछ केवल उसके घर पर या उसकी पसंद के किसी स्थान पर ही की जानी चाहिए । जैसा कि विधि आयोग ने सुझाव दिया है धारा 161 में आवश्यक स्पष्टीकरण को दिया जाना चाहिए ।

ऊपर की बातों को दृष्टि में रखते हुए हम निम्नलिखित परिवर्तन करने का सुझाव देते हैं :—

I. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में एक नई उपधारा (1) निम्नलिखित रूप में जोड़ी जाए—

"(3) जहां इस अध्याय के अधीन किसी लैंगिक अपराध के परिवादी का वक्तव्य दर्ज किया जाना हो वहां ऐसा वक्तव्य या तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा, महिला पुलिस अधिकारी के उपस्थित न होने की दशा में किसी महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा दर्ज किया जाएगा ।"

"(4) (क) जहां लैंगिक हमले के परिवादी का वक्तव्य दर्ज करने के लिए कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो वहां पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी वक्तव्य दर्ज करने की सुविधा के लिए, किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता को लिखित निवेदन करेगा जो यह कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् वक्तव्य को भार साधक अधिकारी को भेजेगा ।"

(ख) यदि उक्त वक्तव्य में और आगे स्पष्टीकरण या कुछ जोड़ने की आवश्यकता हो तो भार साधक अधिकारी या तो स्वयं अथवा सामाजिक कार्यकर्त्ता के माध्यम से ऐसा कर सकता है ।"

(5) (क) उपधारा (3) और (4) के अंतर्गत दर्ज किया गया और अपेक्षित किया गया किसी लड़की का वक्तव्य, किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये वक्तव्य की साक्ष्य में ग्राह्यता से संबंधित विधि के प्रयोजन के लिये, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया वक्तव्य समझा जाएगा ।"

II. धारा 160(1) के वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :

"परन्तु किसी पुरुष से जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है अथवा किसी स्त्री से, उसके घर या उसकी पसंद के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।"

III. भा. दं. सं. की धारा 166 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जानी चाहिए जो ऐसे पुलिस अधिकारी को दण्डित करने के लिए है जो ऊपर उल्लिखित के अनुसार वक्तव्य दर्ज करने में चूक करता है ।

"166. जो कोई लोक सेवक होते हुए :

(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा जो उसे किसी अपराध या अन्य मामले का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा करने से प्रतिषिद्ध करता है ।

(ख) विधि के किसी ऐसे अन्य निर्देश की अवज्ञा करेगा जो उस रीति को विनियमित करता है जिस रीति से, किसी व्यक्ति के हित के विरुद्ध, ऐसा अन्वेषण करने के बारे में है,

"वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।"

IV. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में एक नई उपधारा (6) अंत:स्थापित की जानी चाहिए :

"(क) इस अध्याय के अधीन, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी पुरुष जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है अथवा किसी स्त्री का वक्तव्य, किसी अपराध की प्रथम सूचना के रूप में अथवा किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में, दर्ज किया जाता है वहां ऐसे पुरुष या स्त्री का कोई संबंधी या मित्र तथा परिवादी की पसंद का कोई सामाजिक कार्यकर्त्ता भी, ऐसी सम्पूर्ण अवधि के दौरान जब वक्तव्य दर्ज किया जा रहा हो, उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।"

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक हमले से संबंधित अपराध तुरन्त दर्ज किया जाए, भा. दं. सं. में निम्नलिखित धारा जोड़ी जानी चाहिए जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने कुछ मामूली से परिवर्तनों के साथ की है :

"167क : जो कोई, किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी होते हुए जिससे यह अपेक्षित है कि उसे सूचित किये गये किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने से संबंधित कोई इत्तिला दर्ज करे, ऐसी इत्तिला दर्ज करने से इन्कार करेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और दाण्डिक जुर्माने से भी, दण्डित किया जाएगा ।"

V. जहां तक कि किसी शिकार व्यक्ति तथा अपराधी की चिकित्सा परीक्षा का संबंध है हम सिफारिश करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जानी चाहिए :

"164 (क). जहां किसी पुलिस वाले को लैंगिक हमले के मामले की सूचना मिलती है, वह, बिना किसी विलम्ब के परिवादी की चिकित्सा परीक्षा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से कराएगा ।

(ख) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसके पास ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है, बिना किसी विलम्ब के, परिवादी की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें परिवादी की परीक्षा का परिणाम विनिर्दिष्ट रूप से लेखबद्ध किया जाएगा और निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे ।

(i) शिकार व्यक्ति का तथा उस व्यक्ति का जो उसे लेकर आया है, नाम और पता

(ii) व्यक्ति की आयु

(iii) परिवादी की सामान्य मानसिक और भावनात्मक दशा

(iv) मुख, गुदा, जननेन्द्रिय पर लैंगिक हमले के कोई चिन्ह

(v) शरीर पर कोई निशान या क्षतियां

(vi) अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टियां उचित ब्यौरों के साथ ।"

(ग) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारण संक्षेप में दिए जाएंगे ।

(घ) रिपोर्ट में यह बात विनिर्दिष्ट रूप से लिखी जाएगी कि ऐसी परीक्षा करने के बारे में शिकार व्यक्ति की या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है ।

(ङ) परीक्षा प्रारम्भ करने व समाप्त करने का निश्चित समय भी रिपोर्ट में दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उस रिपोर्ट को बिना किसी विलम्ब के परिवादी तथा अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा । अन्वेषण अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट को (धारा 173 (5) (क) में उल्लिखित दस्तावेजों के भाग के रूप में) भेजेगा ।

(च) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह शिकार व्यक्ति की सहमति के बिना अथवा शिकार व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना की गई किसी परीक्षा को वैधता प्रदान करती है ।"

VI. जैसा कि विधि आयोग ने सिफारिश की है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क में निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जानी चाहिए :

(1क) जब लैंगिक हमला करने का कराने का प्रयास करने का अपराधी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और इस धारा के अधीन उसके शरीर की परीक्षा की जानी है तो उसे, अविलम्ब, उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा जिसके द्वारा परीक्षा की जानी है ।

(1ख) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसे ऐसी परीक्षा करनी है, अविलम्ब, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें परीक्षा के परिणाम विनिर्दिष्ट रूप से दर्ज किये जाएंगे और निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :

(i) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लेकर आया है या आई है,

(ii) अभियुक्त की आयु,

(iii) उचित ब्यौरों के साथ अन्य तात्विक विशिष्टियां जिनमें रक्त, वीर्य के चिन्ह और बाल की लैंगिक कार्यवाही के अन्य चिन्ह भी हैं,

(iv) अभियुक्त के शरीर पर मिली चोटें ।

(1ग) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारण संक्षिप्त में दर्ज किए जाएंगे ।

(1घ) परीक्षा आरम्भ और पूर्ण करने का निश्चित समय भी रिपोर्ट में दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी रिपोर्ट को अविलम्ब अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में, भेजेगा ।"

VII. लैंगिक हमले के मामले के अपराधी को जमानत मंजूर करते समय अपराधी को किसी भी रीति से बालक के निकट रहने से रोका जाएगा । यह दर्शाने का भार अपराधी पर होगा कि उसने इस प्रतिबन्ध का अनुपालन किया है ।

VIII. लैंगिक हमले के मामले के परिवादी के रहने के स्थान में दाण्डिक न्याय की किसी भी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान या बाधा नहीं होगी ।

IX. सभी लैंगिक अपराधों का अन्वेषण और परीक्षण एक निश्चित समय के भीतर होना चाहिए और उसमें 6 मास से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस बालक के साथ लैंगिक दुरुपयोग हुआ है उसकी स्मृति से संबंधित आवश्यकताएं पूरी की जाती है।

X. यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि ऊपर वर्णित 'सामाजिक कार्यकर्ता' कोई स्त्री होनी चाहिए जो स्त्रियों और/अथवा बालकों की समस्याओं से हितबद्ध है और उनके बारे में कार्यरत है तथा हिंसा के प्रश्न से परिचित है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिवर्तनों के बारे में हमारी सिफारिशें :

(1) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में संशोधन किया जाएगा और वह निम्नलिखित रूप में रखी जाएगी :

"114क. धारा————————के अधीन गुरुतर लैंगिक हमले के लिए अभियोजन में, जहां मैथुन (जैसा कि उसके अंतर्गत परिभाषित है) यह प्रश्न उठता है कि मैथुन परिवादी की सहमति से हुआ है या उसके बिना और उसने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उसकी सहमति नहीं थी तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी।"

(2) साक्ष्य अधिनियम की धारा 155(4) जो 'बलात्संग' या 'बलात्संग का प्रयत्न' के परीक्षण में अभियोजिका के सामान्य दुश्चरित्र की बाबत अनुमति प्रदान करती है, हटा दी जानी चाहिए।

(3) साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में निम्नलिखित खण्ड (4) जोड़ा जाएगा :—

"4. लैंगिक हमले या लैंगिक हमले का प्रयास के अभियोजन में जहां सहमति का प्रश्न विचारणीय हो, परिवादी की जिरह में उसके पूर्व लैंगिक इतिहास, चरित्र और चाल-चलन के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने की या कोई प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो ऐसी सहमति या सहमति के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए हो।"

(4) उचित स्वास्थ्य रक्षा प्रणालियों की विद्यमान वास्तविकता और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष उपबन्ध जोड़ा जाना चाहिए कि लैंगिक हमले के मामले में चिकित्सा रिपोर्ट की कमी को परिवादी के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

बाल लैंगिक दुरुपयोग के मामलों के लिए विशेष उपबन्ध

हम गंभीर रूप से अनुभव करते है कि हमले के किसी अवयस्क परिवादी को अभियुक्त की उपस्थिति में मौखिक साक्ष्य नहीं देने दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे निश्चित रूप से अवयस्क को कष्ट होगा। अतः न्याय प्रक्रिया द्वारा अवयस्क साक्षी को कष्ट से निवारित करने के लिए विधि में उपयुक्त परिवर्तन किए जाने चाहिए।

यद्यपि बाल परिवादियों की "दुरुपयोग प्रणाली" को कम करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना बहुत कठिन होगा। तथापि बाल लैंगिक दुरुपयोग से निबटने के लिए दाण्डिक न्याय प्रणाली का पूर्ण रूप से उपयोग इस उपचार का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करने में सहायता देने के लिए, जिसमें बालक पुनः स्वस्थ हो सकें, तथा अपराधी के नियंत्रण और उपचार के लिए अधिक से अधिक स्थान प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक और विधिक व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाए और उनमें समन्वय किया जिससे कि बाद परिवादी के साथ कम से कम अनावश्यक व्यवधान या विघ्न हो।

सुझाव

इस संबंध में हम बालकों के लैंगिक दुरुपयोग के मामलों में अनुतोष के लिए निम्नलिखित सुझाव देना चाहते है :

(1) बालक के लैंगिक दुरुपयोग के मामले में अवयस्क की गवाही न्यायालय में यथासम्भव शीघ्र अवसर पर न्यायाधीश तथा बालक के समर्थक किसी व्यक्ति के समक्ष, जिसमें ऐसा परिवार/मित्र/नातेदार या समाज सेवक सम्मिलित हो सकता है जिस पर अवयस्क को विश्वास है, लेखबद्ध की जानी चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए न्यायालय को निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक बात सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए :

(i) न्यायाधीश द्वारा बालक के कथन के विडीयो टेप किए गये साक्षात्कार के प्रयोग की अनुमति (जो बालक के समर्थक व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो)

(ii) शिकायत किए गये कार्यों का पूरा और स्पष्ट विवरण प्राप्त करने के लिए बालक को क्लोज सर्किट टेलीविजन के माध्यम से अथवा पर्दे के पीछे से गवाही देने की अनुमति।

(iii) अवयस्क की अंतरपरीक्षा/जिरह केवल न्यायाधीश द्वारा ऐसे लिखित प्रश्नों के आधार पर की जानी चाहिए जो प्रतिपक्ष अवयस्क की गवाही को पढ़ने के पश्चात् प्रस्तुत करें।

(iv) जब भी बालक से गवाही देने की अपेक्षा की जाए, तब बालक को जब वह चाहे पर्याप्त विराम दिए जाने चाहिए।

(2) लैंगिक हमले के सभी मामलों का विचारण विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे न्यायालय कर्मचारी हों जो लैंगिक हमले के विषयों में विशेष रूप से प्रशिक्षित/हितबद्ध हों तथा यह बात न्यायाधीशों/अभियोजकों/परामर्शियों पर भी लागू होती है।

10—56 M. of L.J. & C.(A.J.C.)/ND/2000

उपबन्ध ङ

राष्ट्रीय महिला आयोग के तारीख 17-9-1999 के सुझावों और तारीख 14-10-1999 के पत्र संख्यांक जेएस/एन सी डब्ल्यू/एल सी/नेटवर्क/99 की प्रतिलिपि

मैंने लैंगिक हमले के संबंध में प्रस्तावित विधिक् उपबन्धों के विषय पर 16-9-99 को 11 बजे श्रीमती लीला सेठ, सदस्य, भारत का विधि आयोग, के साथ बैठक में भाग लिया। यह बैठक साक्षी बनाम भारत का राज्य संघ की याचिका को लेकर उच्चतम न्यायालय का इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हुई थी कि बलात्कार से संबंधित वर्तमान कानून महिलाओं पर लैंगिक अत्याचारों या बालकों के लैंगिक दुरुपयोग के विभिन्न मामलों के निदान के लिए पर्याप्त नहीं है। साक्षी ने भारतीय दण्ड संहिता के वर्तमान उपबन्धों में संशोधन के लिए एक प्रारूप का प्रस्ताव रखा और वह विधि आयोग द्वारा परीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया गया। अतः विधि आयोग ने भी एक प्रारूप तैयार किया और उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग के विचार मांगे। इस आयोग की अध्यक्षा ने यह इच्छा प्रकट की कि मैं इस आयोग की ओर से बैठक में भाग लूं।

मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

(1) वर्तमान बलात्कार शब्द के स्थान पर लैंगिक हमला शब्द रखा जाए। इस पर सहमति हुई।

(2) बालक से संबंधित उपबन्धों का उल्लेख पृथक् रूप से किया जाना चाहिए जिससे कि बालकों के लैंगिक दुरुपयोग के विनिर्दिष्ट मामलों पर उचित ध्यान दिया जा सके।

(3) प्रारूप में लैंगिक हमले के केवल दो स्तरों की पहचान की गई है :

(i) एक जो बलात्कार के समतुल्य है अतः जो 7 वर्ष या उससे अधिक के दण्ड से दण्डनीय है ;

(ii) दूसरे वे मामले जो विधि विरुद्ध लैंगिक सम्पर्क के अंतर्गत आते हैं और जिनके लिए प्रस्तावित अधिकतम दण्ड 3 वर्ष का साधारण कारावास है। (ऐसे लैंगिक दुष्कार्यों पर, जिनमें शारीरिक सम्पर्क अन्तर्वलित नहीं है, धारा 509 के अंतर्गत पृथक् रूप से विचार किया गया है।)

मैंने सुझाव दिया है कि हम तीन प्रकार के लैंगिक हमलों की पहचान कर सकते हैं :

(i) ऐसे मामले जो वर्तमान बलात्कार शब्द के समतुल्य हैं और जो धारा 375 के अंतर्गत (क) से (घ) में प्रस्तावित हैं।

(ii) गंभीर लैंगिक हमले के मामले जहां वास्तव में बलात्कार न किया गया हो किन्तु जिनमें शिकार महिला की आत्मा के हनन का उद्देश्य हो और शिकार महिला को मानसिक भय या अत्यन्त गहरा कष्ट हुआ हो।

(iii) विधि विरुद्ध लैंगिक सम्पर्क के ऐसे अन्य मामले जिनमें आवश्यक नहीं कि गंभीर कष्ट हुआ हो या गंभीर रूप से मनोवैज्ञानिक भय हुआ हो जिनका प्रस्ताव मैंने भा० दं० सं० की धारा 376 के अंतर्गत रखा है।

विकल्प के रूप में प्रस्तावित धारा 376 ङ के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए 7 वर्ष तक के और बालकों के मामलों में 10 वर्ष तक के सश्रम कारावास के दण्ड का उपबन्ध किया जाना चाहिए जिससे कि इसके अंतर्गत उपरोक्त प्रसंग ii के मामले भी प्रभावी रूप से लाए जा सकें।

मैंने यह विचार भी रखा कि दूसरा विकल्प शिकार व्यक्ति द्वारा भोगे गये कष्ट पर ध्यान देने में समर्थ नहीं होगा और यदि ऐसे मामले पर पर्याप्त भावना के साथ विचार किया जाए तो 7 वर्ष तक का दण्ड दिया जाना चाहिए जो कि शिकार व्यक्ति द्वारा भोगे गए मानसिक कष्ट की दृष्टि से उचित होगा।

(4) वर्तमान प्रारूप में लैंगिक हमले की छः स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है और स्पष्टीकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग (यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है) लैंगिक हमला नहीं है"।

मैंने यह सुझाव दिया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संभोग को भी लैंगिक हमला माना जाना चाहिए यदि वह सहमति के बिना किया जाता है। अधिक से अधिक इस बात को सिद्ध करने का भार कि सहमति नहीं दी गई थी

पत्नी पर हो सकता है, जैसा कि अन्य छः श्रेणियों में नहीं है। मैंने लैंगिक हमले की एक आठवीं स्थिति को सम्मिलित करने का सुझाव भी दिया है जिसके कारण प्रस्तावित धारा 376 (क) बदल कर निम्नलिखित रूप में हो जाएगी :

"जहां कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है जो पृथक्करण की डिक्री के अंतर्गत अथवा किसी रीतिरिवाज के अंतर्गत अथवा किसी भी अन्य कारण से उससे अलग रह रही है, उसकी सहमति के बिना किया जाता है।"

(5) मैंने सुझाव दिया था कि प्रस्तावित धारा 376 (क), 376 (ख), 376 (ग), 376 (घ) के उपबन्धों को सम्मिलित कर दिया जाए और उसे अभिरक्षागत संभोग के नाम से पुकारा जाए (जिसमें अभिरक्षागत शब्द का प्रयोग केवल इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित अर्थ में हो) जिससे कि किसी लोक सेवक, पुलिस अधिकारी, जेल अधीक्षक, अभिरक्षा गृह, अस्पताल या किसी अन्य संस्था के भारसाधक द्वारा संभोग को भी सम्मिलित किया जा सके जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपने अधीनस्थ/आश्रितों पर अधिकार का प्रयोग या नियंत्रण कर सकता है। यह सुझाव केवल प्रारूपण संबंधी है।

मैंने यह सुझाव भी दिया है कि इसके लिए न्यूनतम दण्ड 3 वर्ष तक का हो सकता है, होना चाहिए और वह जुर्माने के दायित्वाधीन भी होना चाहिए।

मैं इस बात पर बल देना चाहती हूं कि ये प्रस्तावित धाराएं 376 (ख), 376 (ग) और 376 (घ) अभिरक्षागत संभोग के मामलों को सम्मिलित करने के लिए तात्पर्यित है जिनमें लैंगिक हमले का अपराध नहीं बनता अर्थात् जो सहमति के बिना नहीं है।

अतः एक सीधा स्पष्टीकरण यह जोड़ा जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में संभोग को लैंगिक हमला माना जाना चाहिए यदि शिकार महिला यह कथन करती है कि उस पर उसकी सहमति के बिना हमला किया गया था और ऐसी स्थिति में सबूत का भार अपराधी पर होगा।

यह विनिर्दिष्ट स्पष्टीकरण वर्तमान अधिनियम में उपलब्ध है किन्तु प्रारूप में प्रस्तावित नहीं है।

मेरे केवल 5 उपरोक्त सुझाव हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जानकारी के लिए तथा श्रीमती सेठ द्वारा कृपया विचार के लिए।

(लीना मेहेंदले)
संयुक्त सचिव

श्रीमती लीला सेठ,
सदस्य
भारत का विधि आयोग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।
फैक्स नं. 3388870

श्रीमती लीला मेहेंदले,
संयुक्त सचिव।
फोन : 323610
फैक्स : 3236154

भारत सरकार,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110 002

नं० जेएस/एमसीडब्ल्यू/एलसी/नेटवर्क/99

विषय : लैंगिक हमले से संबंधित उपबन्धों का प्रस्ताव

महोदया,

यह पत्र उपरोक्त विषय पर आयोग की ओर से दिए गये पूर्वतर सुझावों के क्रम में है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि आयोग ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करने के प्रस्ताव मानव संस्थान विकास मंत्रालय के महिला और बाल विकास संस्था को भेजे हैं।

— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 155(4) को हटाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। यह धारा निम्नलिखित प्रकार से है :

"जब कोई पुरुष बलात्कार या बलात्कार करने के प्रयत्न के लिए अभियोजित किया जाता है तब यह दर्शाया जा सकता है कि अभियोगी सामान्यतया दुश्चरित्र की थी"।

— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में निम्नलिखित जोड़ने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए :

"बलात्कार के मामले में, अभियोजन अभियुक्त के पूर्वतर दुश्चरित्र को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दे सकता है और वह मामले में सुसंगत होगा।"

भवदीया
(लीला मेहेंदले)

उपाबन्ध च

क्राइम्स ऐक्ट, 1900 (न्यू साउथ वेल्स की धारा 409 ख से उद्धरण और न्यू साउथ वेल्स लॉ कमीशन द्वारा इस सम्बन्ध में उनकी 87वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशें, जो क्राइम्स ऐक्ट, 1900 (न्यू साउथ वेल्स) (नवम्बर, 1998) के पुनःरीक्षण के विषय में है

सिफारिशों की सूची

सिफारिश 1

धारा 409ख को बनाए रखा जाना चाहिए।

सिफारिश 2

निम्नलिखित उपबंध करने के लिए 409ख में संशोधन किया जाना चाहिए :

409ख. (1)(क) यह धारा एक विहित लैंगिक अपराध के लिए दाण्डिक कार्यवाही को लागू होती है, चाहे वह कार्यवाही केवल उस अपराध के लिए हो या किसी अन्य अपराध को मिलाकर हो (जो अतिरिक्त या वैकल्पिक रूप में हो)।

(ख) यह धारा दाण्डिक कार्यवाही के सभी प्रक्रमों को लागू होती है, जिसके अंतर्गत जमानत, सुपुर्दगी, संक्षिप्त सुनवाई, विचारण, सजा देना और अपील भी है।

(ग) यह धारा इस अधिनियम के भाग 13(क) के अंतर्गत विहित लैंगिक अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में जाँच को लागू होती है।

(घ) इस धारा में :

"किसी कार्यवाही के संबंध में "अपराधी व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिस पर विहित लैंगिक अपराध करने का आरोप है;

किसी कार्यवाही के संबंध में, "परिवादी" से वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई विहित लैंगिक अपराध करने का अभिकथन है, जिस अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप है।"

"विहित लैंगिक अपराध" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :

(i) धारा 61ख, 61ग, 61घ, 61ङ, 61च, 61छ, 61ज, 61झ, 61ञ, 65क, 66, 66क, 66ख, 66ग, 66घ, 66च, 73, 74, 78क, 78ख, 78ज, 78फ, 78ट, 78ठ, 78ड, 78ण, 78थ, 80क, 86, 87, और 89;

(ii) कोई अपराध (जैसे कि धारा 37 या 112 के अधीन अपराध), जिसके अंतर्गत पैरा (i) में निर्दिष्ट किसी अपराध का किया जाना या करने का आशय भी आता है; अथवा

(iii) पैरा (i) या (ii) में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करने, षड्यंत्र करने या उत्प्रेरण करने का अपराध।

(2)(क) ऐसी कार्यवाही में जिसे यह धारा लागू होती है, ऐसा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है जो परिवादी की लैंगिक ख्याति से संबंधित हो।

(ख) उपधारा (2) (क) में किसी बात के होते हुए भी परिवादी के लैंगिक अनुभव या लैंगिक कार्य अथवा अनुभव या कार्य की विद्यमानता के बारे में साक्ष्य केवल इस कारण से अग्राह्य नहीं होगा कि उसका संबंध भी परिवादी की लैंगिक ख्याति से है।

(3) (क) ऐसी कार्यवाही में, जिसे यह धारा लागू होती है, परिवादी के लैंगिक अनुभव या कार्य अथवा अनुभव या कार्य की विहीनता के बारे में कोई साक्ष्य न्यायालय की अनुमति के बिना ग्राह्य नहीं होगा।

(ख) उपधारा (3) (क) के प्रयोजनों के लिए "लैंगिक अनुभव या कार्य" में ऐसा लैंगिक अनुभव या कार्य भी आता है जिसके लिए परिवादी ने सहमति नहीं दी हो।

(4) न्यायालय उपधारा (3) (क) के अंतर्गत कोई अनुमति केवल तभी देगा जब :

(क) न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा साक्ष्य किसी प्रश्नगत तथ्य के घटने की संभावना के संबंध में अथवा उसकी विश्वसनीयता के संबंध में महत्वपूर्ण है; अथवा

(ख) जिस साक्ष्य को ग्रहण करने की वांछा है, उसके सबूत संबंधी महत्व समुचित न्याय प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के खतरे से बहुत अधिक है, यदि उपधारा (6) में वर्णित विषयों को ध्यान में रखा जाए; और

(ग) उस पक्षकार ने, जो उस साक्ष्य के ग्रहण किए जाने की प्रार्थना कर रहा है, उपधारा (7) की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है।

(5) परिवादी के लैंगिक अनुभव या कार्य का साक्ष्य इस अनुमान के समर्थन के लिए ग्राह्य नहीं है कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि परिवादी लैंगिक कार्य में संलग्न रहा है या उसे लैंगिक अनुभव है, परिवादी :

(क) उस किस्म का व्यक्ति है, जिससे इस बात की अधिक संभावना है कि उसने उस लैंगिक कार्य के लिए सहमति दी होगी जो आरोप का विषय है; या

(ख) कम विश्वास योग्य है।

(6) यह अवधारण करने में कि उस साक्ष्य का सबूत संबंधी महत्व, जिसे ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है, धारा 409ख (4) (ख) के अंतर्गत समुचित न्याय प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के खतरे की अपेक्षा बहुत अधिक है, न्यायालय निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देगा :

(क) न्याय का हित, जिसके अंतर्गत अपराधी का पूरा उत्तर देने का और प्रतिरक्षा का अधिकार भी है;

(ख) वह व्यथा, परिनिंदा या परेशानी, जो परिवादी को अनुमति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप सहनी होगी;

(ग) साक्ष्य के कारण जूरी में भेदभावपूर्ण विश्वास या प्रतिकूलता, विपरीत प्रभाव, सहानुभूति या वैमनस्य असम्यक रूप से उत्पन्न होने की जोखिम;

(घ) परिवादी के व्यक्तिगत सम्मान और एकान्तता का सम्मान करने की आवश्यकता;

(ङ) क्या इस बात की युक्तियुक्त संभावना है कि वह साक्ष्य मामले के न्यायोचित अवधारण में सहायक होगा;

(च) कोई अन्य कारण, जिसे न्यायालय सुसंगत समझता है।

(7) जो पक्षकार उपधारा (3) (क) के अंतर्गत अनुमति की प्रार्थना करता है, उसे न्यायालय को लिखित आवेदन करके ही ऐसा करना चाहिए तथा—

(क) यह उल्लेख करना चाहिए कि—

(i) प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति क्या है; और

(ii) वह साक्ष्य प्रश्नगत तथ्य अथवा विश्वसनीयता की दृष्टि से साक्ष्य संबंधी कितने महत्व का है :

(ख) अन्य पक्षकार को आवेदन की सुनवाई से पूर्व, उतने समय के भीतर, जितना न्यायालय विहित करे, अथवा किसी विशेष मामले में न्याय के हित में उचित समझता है, आवेदन की एक प्रति देगा।

(8) न्यायालय उपधारा (3) (क) के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के आवेदन की सुनवाई जूरी (यदि कोई है) और जनसाधारण की उपस्थिति में नहीं करेगा।

(9) उपधारा (क) के अंतर्गत आवेदन की सुनवाई में परिवादी अनिवार्य साक्षी नहीं है।

(10) उपधारा (3) (क) के अंतर्गत अनुमति के लिए आवेदन की सुनवाई की समाप्ति पर यह अवधारण करना चाहिए कि साक्ष्य को ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाए या नहीं तथा न्यायालय को चाहिए कि—

(क) ऐसे अवधारण के कारण लेखबद्ध करे या कराये;

(ख) जहां न्यायालय परिवादी से प्रश्न करने की अनुमति प्रदान करता है वहां वह उस साक्ष्य की प्रकृति को लेखबद्ध करे या कराये।

(11) जहां परिवादी के लैंगिक अनुभव या कार्य के साक्ष्य को इस धारा के अधीन किसी विचारण में ग्रहण किया जाता है वहां न्यायाधीश जूरी को इस आशय की चेतावनी देगा कि वह केवल इस आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचे कि परिवादी लैंगिक कार्य में संलग्न रहा है या उसे उसका अनुभव है :

(क) यह परिणाम कि परिवादी कम विश्वास योग्य है;

(ख) जहां किसी विचारण में सहमति विचार योग्य प्रश्न है वहां यह परिणाम कि परिवादी उस किस्म का व्यक्ति है जिससे इस बात की अधिक सम्भावना है कि उसने उस लैंगिक कार्य के लिए सहमति दी होगी जो आरोप का विषय है।

2.1. वर्तमान धारा 409ख में निम्नलिखित उपबन्ध है :

409ख. (1) इस धारा में :

किसी कार्यवाही के संबंध में "अभियुक्त व्यक्ति" से वह व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस कार्यवाही में किसी विहित लैंगिक अपराध से आरोपित है;

किसी कार्यवाही के संबंध में "परिवादी" से वह व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके साथ ऐसा कोई विहित लैंगिक अपराध किया गया है जिस अपराध से अभियुक्त उस कार्यवाही में आरोपित है।

(2) विहित लैंगिक अपराध की कार्यवाही में परिवादी की लैंगिक ख्याति के संबंध में कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा।

(3) विहित लैंगिक अपराध की किसी कार्यवाही में ऐसा साक्ष्य निम्नलिखित दशाओं के सिवाए ग्राह्य नहीं होगा जिससे यह प्रकट होता हो या यह अर्थ निकलता हो कि परिवादी को कोई लैंगिक अनुभव है या हो सकता है अथवा लैंगिक अनुभव नहीं है अथवा उसने किसी लैंगिक कार्य में भाग लिया है या ले सकता है अथवा भाग नहीं लिया है :

(क) जहां ऐसा साक्ष्य—

(i) इस बारे में है कि अभिकथित विहित लैंगिक अपराध किए जाने के समय या उसके लगभग परिवादी को लैंगिक अनुभव था या नहीं था अथवा उसने किसी लैंगिक कार्य में भाग लिया था अथवा नहीं लिया था; और

(ii) ऐसी घटनाओं के बारे में है कि जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वे किन्हीं परिस्थितियों के समूह से संबंधित है या उनका भाग है जिनमें अभिकथित विहित लैंगिक अपराध किया गया था।

(ख) जहां ऐसा साक्ष्य उस नातेदारी से संबंधित है जो अभिकथित विहित लैंगिक अपराध किए जाने के समय विद्यमान थी और जो नातेदारी अभियुक्त और परिवादी के बीच में है।

(ग) जहां—

(i) यह अभिकथित है कि अपराधी ने परिवादी के साथ धारा 61ज (1) में यथापरिभाषित मैथुन किया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता कि उसने अभिकथित रूप में मैथुन किया है; और

(ii) वह साक्ष्य ऐसा है जो साक्ष्य इस बात का सुसंगत है कि पाए गये वीर्य, गर्भ, बीमारी या क्षति का कारण मैथुन है जो अभियुक्त के द्वारा किया गया अभिकथित है।

(घ) जहां वह इस बात का सुसंगत साक्ष्य है कि—

(i) अभिकथित विहित लैंगिक अपराध के किए जाने के समय परिवादी किसी ऐसे रोग से ग्रस्त था जो उस सुसंगत समय पर अभियुक्त में नहीं था; या

(ii) किसी सुसंगत समय पर परिवादी को ऐसा कोई रोग नहीं था जो अभिकथित विहित लैंगिक अपराध किए जाते समय अभियुक्त को था।

(ङ) जहां वह इस बात का सुसंगत साक्ष्य है कि विहित लैंगिक अपराध अपराधी ने किया है यह अभिकथन पहली बार तब किया गया था जब परिवादी को गर्भ या बीमारी होने की बात अनुभव हुई या प्रकट हुई (और यह अनुभव या प्रकटीकरण अभिकथित विहित लैंगिक अपराध होने के पश्चात् हुआ); या

(च) जहां वह अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से जिरह में परिवादी द्वारा दिया गया साक्ष्य है जो साक्ष्य ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया गया जिसे उपधारा (5) के अनुसरण में पूछा जा सकता था;

और ऐसे साक्ष्य का सबूत संबंधी मूल्य उस कष्ट, परिहास या परेशानी की अपेक्षा अधिक है जो उस साक्ष्य के ग्रहण करने के परिणामस्वरूप परिवादी को हो सकता है।

(4) किसी विहित लैंगिक अपराध की कार्यवाही में साक्षी से—

(क) ऐसा साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा जो उपधारा (3) के अंतर्गत अग्राह्य है; या

(ख) अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से ऐसा साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा जो उपधारा (3) के अंतर्गत अग्राह्य है या हो सकता है सिवाए तब जब न्यायालय या न्यायाधीश ने पहले ही ऐसा निर्णय कर दिया हो कि यदि ऐसा साक्ष्य दिया गया तो वह ग्राह्य होगा।

(5) किसी विहित लैंगिक अपराध की कार्यवाही में जहां न्यायालय का या न्यायाधिश का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) प्राभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रकट किया गया है या यह अर्थ निकलता है कि परिवादी ने, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या किसी भी अवधि में—

(i) सामान्यतया या विनिर्दिष्ट रूप से लैंगिक अनुभव किया या उसे ऐसा लैंगिक अनुभव नहीं था; या

(ii) सामान्यतया या विनिर्दिष्ट रूप से किसी लैंगिक कार्य में भाग लिया था या भाग नहीं लिया था; और

(ख) अभियुक्त पर प्रतिकूल और असम्यक् प्रभाव पड़ सकता था यदि परिवादी की अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किसी प्रकटीकरण या निहित अर्थ के संबंध में जिरह नहीं की जाती,

तो परिवादी से ऐसी जिरह की जा सकती है किन्तु केवल उसी विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में (यदि कोई है) और उस प्रकार के अनुभव या कार्य, यदि कोई है, के संबंध में की जा सकती है जो विनिर्दिष्ट किया गया है।

(6) किसी व्यक्ति के विचारण के समय, उपधारा (2) या (3) के अंतर्गत साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में अथवा उपधारा (5) के अधीन जिरह के अधिकार के बारे में कोई प्रश्न न्यायाधीश द्वारा जूरी के बिना अभिनिश्चित नहीं किया जाएगा।

(7) जहां कोई न्यायालय या न्यायाधीश यह अभिनिश्चित करता है कि साक्ष्य उपधारा (3) के अंतर्गत ग्राह्य है तो वह न्यायालय या न्यायाधीश, साक्ष्य दिए जाने के पूर्व, उस साक्ष्य की प्रकृति और विस्तार लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध कराएगा जो इस प्रकार ग्राह्य है और ऐसे विनिश्चिय के कारण देगा।

(8) इस धारा की कोई बात उस प्रकार के किसी साक्ष्य को ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत नहीं करती है जो इस धारा के आरम्भ होने के ठीक पूर्व अग्राह्य था।

2.2 धारा 409ख दो प्रकार के साक्ष्य को लागू होती है :

परिवादी की "लैंगिक ख्याति" का साक्ष्य; और

परिवादी के "लैंगिक अनुभव" का साक्ष्य।

मप्रशासमुना—वि० 5—56 मिन० ऑफ एल० जे० ऐंड सी० ए० आई० सी०/एन० डी०/2000—14-2-2002—75

PLD 92 CLXXII (Hindi)
75-2001 DSK IV

Price : (Inland) *Rs.* 2037 (Foreign) £ 74.91 *or* $ 1[illegible] 23 ***Cents***

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422 006 द्वारा मुद्रित
तथा प्रकाशक नियंत्रक, भारत सरकार, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित
2002